रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 13, 1985/चैत्र 23, 1907

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13, 1985/CHAITRA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1985

का. आ. 1471.—केन्द्रीय सरकार नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 6 के उपबंधों के अनुसरण मे, अपने द्वारा नियुक्त किए गए और वर्ष 1985 के प्रारम्भ मे विधि व्यवसायरत नोटरियों की सूची प्रकाशित करती है.—

क्र. सं. नोटरियों का नाम	आवास और व्यवसाय का पता	अर्हताएं	वह क्षेत्र जिसमें वह विधि-व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है।	टिप्पणियां
1 2	3	4	5	6
1 श्री चक्रवर्ती दोरास्वामी	मैं. किंग एंड पेट्रीज कैथोलिक सेंटर (सेकिंड फ्लोर) 6, आर्मिनियन स्ट्रीट, मद्रास-1	अधिवक्ता मद्रास उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	—
2. श्री इस्लाम अरदेशिर गगरेट	गगरेट एंड कं. अलीचेंबर नगीनदास मास्टर रोड, मेडोज सेंट, फोर्ट, बंबई	अधिवक्ता बम्बई	संपूर्ण भारत	—
सर्वश्री				
3. भगवती प्रसाद खेतान	1-बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	एटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	—
4 रवीन्द्र कृष्ण देव	टेम्पल चेम्बर्स, 6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	एटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	
5. हिमांशु प्रकाश गांगुली	4, ईश्वर दास लेन, हावड़ा (प. बंगाल)	अधिवक्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय		

1	2	3	4	5	6
सर्वश्री					
	6. सुधीर कुमार डे मलिक	मार्फत मार्टिमबर्न लि 12 मिशन राय एक्स, कलकत्ता-1	एटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	—
	7. रास मोहन चटर्जी	मार्फत मै. और दिग्नाम एंड कं. सालिसिटर्स, 29 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	सालिसिटर कलकत्ता उच्च न्यायालय	पश्चिमी बंगाल, असम बिहार, उ.प्र. और पंजाब	—
	8. प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका	6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट कलकत्ता	अटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	—
	9. पुण्यव्रत घोस	60 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट कलकत्ता-1	अटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	—
	10. विक्टर इलियस मौसेस	6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	अटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	—
	11. मुलकली राज वधावन	अधिवक्ता जलंधर सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय	पंजाब और उ. प्र.	—
	12. मनोहर लाल कपूर	3/9 पटेल नगर (पू.) नई दिल्ली	अधिवक्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	—
	13. हरप्रसाद मेहरा	नं. 3060 चर्खेवालान, दिल्ली	अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	—
	14. चमन लाल अरोड़ा	10, न्यू कोर्ट रोड, अमृतसर, पंजाब	अधिवक्ता	अमृतसर जिला पंजाब	—
	15. दामोदर देवजी दामोदर	मत मै. कांगा एंड कं. सालिसिटर्स एंड मनी मेंशनस, 43, वीरनारीमन रोड, बंबई	सालिसिटर	महाराष्ट्र	—
	16 देव प्रसाद घोष	मार्फत फाउलर एंड कं., सालिसिटर्स एंड एडवोकेट एंड नोटरीज, रीजेंट हाउस, 12, गवर्नमेंट प्लेस, पूर्वी कलकत्ता-69	अटर्नी	संपूर्ण भारत	—
	17. नथमल हिमतसिंगका	6 ओल्ड पोस्ट आफिस अटर्नी स्ट्रीट कलकत्ता	अटर्नी	संपूर्ण भारत	—
	18. राम किशन गर्ग	56 ओल्ड विजयनगर कालोनी, आगरा (उ. प्र.)	वकील, आगरा	जिला आगरा	—
	19. सी. एच. पार्डीवाला	मार्फत मै. क्राफोर्ड बैली एंड कं. स्टेट बैंक बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट बम्बई-1	सालिसिटर	संपूर्ण भारत	—
	20. सर्वश्री शचीन्द्र सी. सेन	अटर्नी एट लॉ, टैम्पल चैम्बर्स पहली मंजिल 6 ओल्डपोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	अटर्नी	कलकत्ता	—
	21. डी. ए. मेहता	अधिवक्ता, 43 बी हनुमान रोड, नई दिल्ली	बार एट लॉ	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	—
	22. दुर्गा प्रसाद तुलस्यान	अधिवक्ता, झुनझुनू, राजस्थान	अधिवक्ता	झुनझुनू जिला राजस्थान	—
	23. एम. जी. दोसित	मै. एम. जी. सोसित एंड कं. सालिसिटर 35-एम्बैसी मार्केट, अहमदाबाद	अटर्नी	गुजरात और महाराष्ट्र	—
	24. नूर मुहम्मद	अधिवक्ता उदयपुर, राजस्थान	अधिवक्ता	उदयपुर जिला (राजस्थान)	—
	25. सुधीर कुमार शील	मार्फत मै. सैण्डरसंस एंड मोरगन्स, सालिसिटर्स रॉयल इंश्यूरेंस बिल्डिंगस 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	सालिसिटर	संपूर्ण भारत	—
	26. जितेन्द्र नाथ सान्याल	मार्फत मै. सैन्डरसंस रायल इन्स्योरेंश बिल्डिंग 5 एंड 7 नेताजी, सुभाष रोड, कलकत्ता-1	सालीसिटर	संपूर्ण भारत	—
	27. इंद्रसेन इसरानी	अधिवक्ता, जे-54, नवल हाउस, जयपुर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जयपुर सिटी और जिला	
	28. पी० सी० कुरियन	14, कोंडीचट्टी स्ट्रीट, II, फ्लोर, मद्रास	अधिवक्ता	मद्रास और केरल	—
	29. गुरदयाल सिंह सिद्धू	नं. 1, दोबा जलंधर (पंजाब)	अधिवक्ता	जलंधर जिला	
	30. सी आई. वेंकट-सुब्रह्मण्यन	140, क्रास कट रोड, कोयम्बतूर	अधिवक्ता	कोयम्बतूर जिला	

1	2	3	4	5	6
31.	पुष्कर लाल जनेजा	एफ-1, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	अधिवक्ता	संपूर्ण भारत	--
32.	चुन्नी लाल भाटिया	सी-4/ए/68/सी, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	अधिवक्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	—
33.	जगन नाथ	सिविल लाइन, मोगा, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	अधिवक्ता	मोगा मुख्यालय स्थित फिरोजपुर जिला और साथ ही मोगा स्थित मुख्यालय सहित संपू री-वकोट जिले में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत	--
34.	रामजी दास सिंघल	गुरुद्वारा स्ट्रीट भटिंडा (पंजाब)	अधिवक्ता	जिला भटिंडा	--
35.	बाल कृष्ण	अधिवक्ता हनुमान गढ़ टाउन जिला गंगा नगर (राजस्थान)	अधिवक्ता	हनुमानगढ़ स्थित मुख्यालय सहित जिला गंगानगर (राजस्थान)	--
36.	एस. आर. मेहता	अधिवक्ता बलोत्रा, राजस्थान	अधिवक्ता	बलोत्रा स्थित मुख्यालय सहित बाड़मेर और जालौर जिले (राजस्थान)	--
37.	जी. सी. वर्मा	अधिवक्ता और शपथ आयुक्त, ई/12, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	अधिवक्ता और शपथ आयुक्त	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	--
38.	पी. एल. गांधी	अधिवक्ता, गांधी बाग के सामने सूरत	अधिवक्ता	जिला सूरत	--
39.	ए. आर. मलकानी	अधिवक्ता, डी०बी०जेड, एन-6, गांधी धाम (कच्छ)	अधिवक्ता	संपूर्ण गुजरात	—
40.	एन. सी. शाह	नं. 1 बर्दवान रोड पहली मंजिल, अलीपुर कलकत्ता-27	अधिवक्ता, कलकत्ता	कलकत्ता और नई दिल्ली	--
41.	टी. दिलीप सिंह	मार्फत मै. किंग एंड पैट्रीज दूसरी मंजिल कैथोलिक सेंटर आर्मेनियन स्ट्रीट, बाक्स नं० 121, मद्रास-1	अधिवक्ता, मद्रास	संपूर्ण भारत	—
42.	जे. आर. गगराट	मार्फत मै. गगराट एंड कं० अलो चैम्बर्सनगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट, बंबई-1	अधिवक्ता, बंबई	संपूर्ण भारत	--
43.	आर. सेतलूर	ओलिम्पस अपार्टमेंट फ्लैट नं. 308 तीसरी मंजिल, एटामाउण्ट रोड, बंबई-26	अटर्नी और अधिवक्ता, बंबई	संपूर्ण भारत	--
44.	बृज मोहन मेहता	13 ए/2 राजिन्दर नगर, नई दिल्ली	अधिवक्ता, नई दिल्ली	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	—
45.	सुरजीत सिंह सूद	23 नेताजी पार्क जलंधर सिटी (पंजाब)	अधिवक्ता, जलंधर	जलंधर, पंजाब	--
46.	जगजीत सिंह बैंस	376 एल माडल टाउन जलंधर सिटी, पंजाब	अधिवक्ता, जलंधर,	जलंधर पंजाब	—
47.	सर्वश्री के. जे० खम्बाटा	रजब महल, 144 क्वीन रोड, बम्बई-20	अधिवक्ता, बंबई	संपूर्ण भारत	—
48.	अम्बे लाल बापू भाई लाल पटेल	वैद्य स्ट्रीट, पो. आ. नावासारी, जिला बुलसार, गुजरात.	अधिवक्ता	गुजरात	—
49.	पूनम चन्द सोम चन्द शाह	गुजरात समाचार भवन, सैकिंड फ्लोर, खानपुर, अहमदाबाद।	अधिवक्ता	गुजरात	—

1	2	3	4	5	6
50.	बी. टी. मर्चेंट	मार्फत मै. ठाकुरदास और मडगावकर, फोर्ट चैंबर्स दीन लेन फोर्ट, बम्बई-1	अटर्नी और अधिवक्ता	संपूर्ण भारत	—
51.	एच. एम. भगत	मार्फत अम्भू भाई एंड दीवानजी सालिसिटर्स एंड एडवोकेट्स इंडस्ट्रीज हाउस, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9	अधिवक्ता और सालिसिटर	गुजरात	—
52.	एच. बी. छत्रपति	मार्फत मै. भाई शंकर कंगा गिरधारी लाल मानकजीवाडिया बिल्डिंग बेल लेन, फोर्ट बम्बई-1 और मार्फत मै. भाई शंकर लाल कंगा और गिरधारी लाल, गुजरात समाचार भवन खानपुर, अहमदाबाद	अधिवक्ता और सालिसिटर	संपूर्ण गुजरात	—
53.	जी. एस. व्यास	35, लावण्य नगर जीवराज पार्क रोड हलियाम ब्रिज, अहमदाबाद-7	अधिवक्ता	अहमदाबाद शहर	—
54.	अमर सिंह	जमीयत सिंह रोड, मोगा जिला फरीदकोट, पंजाब	अधिवक्ता	मोगा जिला फरीदकोट पंजाब	—
55.	बी. एच. अनतिया	मार्फत मै. मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रेग ब्लंट एंड कैरोइस, सालिसिटर्स एंड नोटरीज, जहांगीर वाडिया बिल्डिंग-I 51, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-1	अटर्नी और अधिवक्ता	सपूर्ण भारत	—
56.	बी. पी. शुक्ला	रघुनाथ बिल्डिंग, टाउन हाल राजकोट, गुजरात	अधिवक्ता	राजकोट और जूनागढ़ जिला	—
57.	सर्वश्री बी. के. शाह	मनसुख निवास नैरी चाहिपवाड़ बड़ौदा-6	अधिवक्ता	बड़ौदा	—
58.	रमेश जे. मेहता	नादियाद जिला कैरा गुजरात राज्य	अधिवक्ता	कैरा पंचमहाल जिला	—
59.	वसंत लाल डी. मेहता	मार्फत मालवी रणछोड़ दास एंड कं. सालिसिटर्स एंड एडवोकेट्स यूसुफ बिल्डिंग्स महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, बम्बई-1	सालिसिटर	महाराष्ट्र	—
60.	म. एफ. करमालावाला	फर्स्ट गेट चैम्बर्स, 5, न्यू मेरिन लेन, कमरा सं. 611, छठी मंजिल बम्बई-20	सालिसिटर	बम्बई-गोवा दमन सहित संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य	—
61.	दर्शन सिंह	ए-321 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	अधिवक्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	—
62.	श्रीमती के. बी. देसाई	5 भारत कालोनी, नजदीक सरदार पटेल कालोनी, अहमदाबाद-14	अधिवक्ता	अहमदाबाद	—
63.	मोहिन्द्र सिंह	277 सैदन गेट, जलंधर	प्लीडर	जलंधर	—
64.	राजिन्द्र कुमार भट्ट	एम-401 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-48	अधिवक्ता	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, उ. प्र. और हरियाणा	—
65.	नारायण प्रसाद गोयल	ई-165, नारायण विहार, नई दिल्ली-48	अधिवक्ता	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	—
66.	के. बी. थोमस	विराजपेट कुर्ग जिला कर्नाटक	अधिवक्ता	कुर्ग जिला	—
67.	एस. हुसन कोया	चलायपराम कालीकट, केरल	अधिवक्ता	कालीकट और मालापुरम जिला	—
68.	सलिल कुमार गांगुली	50 रामतनु बोस लेन, कलकत्ता-6	अटर्नी एट ला एंड अधिवक्ता	कलकत्ता	—
69.	पल्लव कुमार बनर्जी	मै. टी. बनर्जी एंड क. सालिसिटर्स एंड एडवोकेट्स टेम्पल चैम्बर्स, नं. 6 ओल्ड पोस्ट आफिस, स्ट्रीट, कलकत्ता	सालिसिटर और अधिवक्ता	कलकत्ता	—
70.	सर्वश्री एम. वाई. एस. मेमन	मै. मजूमदार एंड क., इस्माइल बिल्डिंग, 381, डा. डी. एन. रोड, (फ्लोर फाऊनटेन) बम्बई	सालिसिटर और अधिवक्ता	ग्रेटर बम्बई	—

1 2	3	4	5	6
71. बृज भूषण गुप्ता	कल्लाल मजरी, अंबाला सिटी	अधिवक्ता	अंबाला सिटी	—
72. रघुबीर सिंह कुल्हा	घीरवा तहसील, राजस्थान	अधिवक्ता	चिड़वा तहसील	—
73. सलेमाली गुरवोनी	202, कंवर नगर, रजामल का तालाब, जयपुर	अधिवक्ता	जयपुर	—
74. नन्द किशोर पारीख	321 नाहरगढ़ रोड, गोपाल हलवाई की गली, जयपुर	अधिवक्ता	जयपुर	—
75. अखिलेश्वर दास बदगल	शर्मा रेस्टोरेंट, जौहरी बाजार जयपुर-302003	अधिवक्ता	जयपुर	—
76. डी. आर. जैलवाला	मैं. डी. आर. जैलवाला एंड कं. सालिसिटर्स रेडीमनी मैंशन, 43 वीर नारीमन रोड, फोर्ट, बंबई	सालिसिटर और अधिवक्ता	ग्रेटर बम्बई	—
77. अंथोनी दा कोस्टा	मै. दा कोस्टा एंड दा कोस्टा एडवोकेट्स एंड टैक्स कांसलटेंट्स, 21/12 महात्मा गांधी रोड पहली मंजिल,, बंगलौर-1	अधिवक्ता	सपूर्ण भारत	—
78. श्रीमती सुमति अरविंद पाटिल	236 जैन टैम्पल रोड, गोमेस नगर हिंदवाडी, बेलगाम, कर्नाटक	अधिवक्ता	जिला बेलगाम	—
79. टी. एम. सेन	मै. खेतान एंड कं. सालिसिटर्स एंड एडवोकेट्स हिमालय हाउस, सातवीं मंजिल, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	अटर्नी एण्ड लॉ	सपूर्ण भारत	—
80. श्रीमती एन. अनुसूया बाई	4624/1 शिवाजी रोड, एन. आर. मोहल्ला, मैसूर-7	अधिवक्ता	मैसूर सिटी	—
81. पद्मनाथ गंगाधर गोखले	ए-36 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	अधिवक्ता	संपूर्ण भारत	—
82. राम नरेश लाल गुप्त	"बिहार धाम", सी-28/70 नैलियाबाग, वाराणसी कैंट, उत्तर प्रदेश	अधिवक्ता	वाराणसी, उ. प्र.	—
83. समन असगर अली पूर्नावाला	12-इस्माइल बिल्डिंग, 81, डा. दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट, बम्बई	अधिवक्ता	महाराष्ट्र राज्य	—
84. सर्वश्री अवधेश कुमार वर्मा	मार्फत श्री रघुराम वर्मा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट, वाराणसी, उ. प्र.	अधिवक्ता	जिला वाराणसी, उ. प्र.	—
85. गुलाम ताहिर	डी-50/29 ओमाजीपुराकला, वाराणसी, उ. प्र.	अधिवक्ता	वाराणसी, जिला उ. प्र.	—
86. किशोरी लाल कपूर	516 चर्च गेट चैम्बर्स, पांचवीं मंजिल 5-न्यू मेरीन लेन, बम्बई-20	अधिवक्ता	महाराष्ट्र राज्य	—
87. टी. के. षण्मुगानन्दम्	88, हुजूर रोड, कोयम्बतूर-641018	अधिवक्ता	कोयम्बतूर	—
88. राजेंद्र कुमार	37, साउथ कुमार पाड़ा लेन, कलकत्ता-42	अधिवक्ता	कलकत्ता और 24 परगना	—
89. रघुबीर सहाय हितकारी	सिविल कोर्टस, कानपुर	अधिवक्ता	कानपुर और दिल्ली	—
90. ओम प्रकाश जैन	ए-5-बी 126-बी जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	अधिवक्ता	दिल्ली	—
91. बिमल कुमार बनर्जी	3, बंकशाल स्ट्रीट, कलकत्ता-700001	अधिवक्ता	कलकत्ता और 24 परगना	—
92. पदमसी दाजीखोना	45, टेमेरिण्ड स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-23	अधिवक्ता	ग्रेटर बम्बई	—
93. जी. ए. बनातवाला	मार्फत पायने एंड कं0. एसप्लनाडे हाउस वाउडबे रोड, फोर्ट, बम्बई-40001	अधिवक्ता	संपूर्ण भारत	—;
94. लीयो बेनेडिक्ट वेलहो	कोस्टा परेरा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मारगोवा सेलेक्ट गोवा	अधिवक्ता	संपूर्ण गोवा	—

1	2	3	4	5	6
95.	कुमारी जसवन्त कौर	एच-21, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	अधिवक्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	—
96.	सर्वश्री रुच जलागुर बलगारा	मै. पायने एंड कं., इसप्लाडे हाउस वाउडबे रोड, फोर्ट, बम्बई-1	अधिवक्ता	संपूर्ण भारत	—
97.	बरत्रेम डी सिल्वा शेनाई	92, "समनन" कुफे—परेड, बम्बई-400005	अधिवक्ता	सपूर्ण महाराष्ट्र राज्य	—
98.	रामेश्वर दयाल गुप्त	88, सी. शास्त्री नगर, जोधपुर	अधिवक्ता	जिला जोधपुर	—
99.	धुम चन्द	मुक्तसर जिला फरीदकोट, पंजाब	अधिवक्ता	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	—
100.	राम रतन लेख	ईएस-553, मोहिला अबदुरा, जालंधर सिटी	अधिवक्ता	जालंधर सिटी	—
101.	एम. आई० सेठना	फजलभाई बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 45/57, एम. जी. रोड फोर्ट, बम्बई-1	अधिवक्ता	बम्बई बालकेश्वर और फोर्ट क्षेत्र	—
102.	दुर्गा शंकर दवे	ओसवालवारा राजस्थान बांसवाड़ा-327001	अधिवक्ता	बासवाड़ा जिला राजस्थान	—
103.	मुरली धर राव नायक	मकनानपुरा गुलबर्गा कर्नाटक	अधिवक्ता	गुलबर्गा जिला और शहर	—
104.	भगवती प्रसाद भट्ट	11-शान मार्ग गि, उदयपुर, राजस्थान	अधिवक्ता	उदयपुर	—
105.	जनकलाल अग्रवाल	9, बर्नेसबिल्ले रोड, दार्जिलिंग	अधिवक्ता	दार्जिलिंग	—
106	के. सी. सिंघवा	शाखा सचिवालय बंबई, आयकर भवन एनेक्सी, न्यू मैरीन लाइंस, बम्बई-400020	केंद्रीय सरकार अधिवक्ता	संपूर्ण भारत अधिवक्ता और सालिसिटर	
107.	सूरज कुमार भास्कर	खेतड़ी जिला झुनझुनू, राजस्थान	अधिवक्ता	खेतड़ी, राजस्थान	—
108.	देवी शरण चोपड़ा	बी-3, टू रोजेज, पाली रोड, बंबई	अधिवक्ता	बंबई शहर	—
109.	देवव्रत बसु	7, देवनारायण दास लेन, श्याम बाजार, कलकत्ता	अधिवक्ता	सयालदह स्थित मुख्यालय सहित 24 परगना	—
110.	कुमारी मजुला सेन	33, डीनस कुफे परेड, बम्बई	अधिवक्ता और सालिसिट	संपूर्ण भारत	—
111.	ए. सैयद अली	53, आर्मेनियन स्ट्रीट, मद्रास	अधिवक्ता न	मद्रास राज्य	—
112.	जी. सी. वर्मा	सिविल कोर्टस जगाधरी, जिला अंबाला हरियाणा	अधिवक्ता	जगाधरी	—
113.	गजेंद्र नाथ चक्रवर्ती	9, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट कलकत्ता	अधिवक्ता	कलकत्ता-1	
114.	अदिती कुमार परामर्शीक	10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट कमरा सं. 110, कलकत्ता	अधिवक्ता	पश्चिमी बंगाल राज्य	—
115.	इंद्रा चंद्र मोह	12, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कमरा स० 110, कलकत्ता	अधिवक्ता	कलकत्ता	
116.	एल. महालिंगप्पा	98/113 इंदिरा नगर, मैसूर कर्नाटक	अधिवक्ता	मैसूर सिटी	—
117.	के. गरुवाचर	"सुदर्शन सोमेश्वरपुरम, तुमकुर कर्नाटक	अधिवक्ता	जिला और शहर तुमकुर, कर्नाटक	—
118.	त्रिलोक चन्द्र मिश्रा	दाल बाजार, ग्वालियर	अधिवक्ता	ग्वालियर, म.प्र.	—
119.	त्रिभुवन अग्रवाल	पो. आ. हनुमानगढ़, टाउन जिला श्रीगंगानगर राजस्थान	अधिवक्ता	संपूर्ण हनुमानगढ़, टाउन, राजस्थान	—
120.	जगराम सिंह	पीली कोठी, स्टेशन रोड, झुनझुनू, राजस्थान	अधिवक्ता	जिला झुनझुनूं	—
121.	बी. एस. चंद्रा शेखर	2694 अग्राहारा स्ट्रीट हसन पोस्ट आफिस कर्नाटक-573201	प्लीडर	कर्नाटक का हसन शहर	—
122.	एस० एन० एम० मा० जवेरिया	जवेरिया निवास नौबीवाड़ा उदयपुर, राजस्थान	अधिवक्ता	उदयपुर, राजस्थान	—

1	2	3	4	5	6
123.	एम. सी. जैन	श्री पार्श्वनाथ जैन कालोनी सुभाष बाग, अजमेर, राजस्थान	अधिवक्ता	अजमेर, राजस्थान	--
124.	राम बाबू श्रीवास्तव	अधिवक्ता जेल रोड, सीतापुर, उ.प्र	अधिवक्ता	सीतापुर जिला	--
125.	के. बालकृष्ण	नं. 4 थर्ड क्रास रोड, फोर्थ ब्लाक के. पी. डब्ल्यू. एक्स., बंगलौर-20	अधिवक्ता	बंगलौर	--
126.	बृज मोहन मिश्रा	15 सदर बाजार, झांसी, उ.प्र.	अधिवक्ता	झांसी उ.प्र.	--
127.	श्रीमती प्रेम लता निगम	294 भार्गव बिल्डिंग लोबार बाग सीतापुर	अधिवक्ता	सीतापुर, उ.प्र.	
128.	सुरजीत सिंह मेहता	181 विश्वकर्मा नगर, यमुना नगर जिला अम्बाला, हरियाणा	अधिवक्ता	जगाधारी	
129.	चन्द्र कुमार मेहता	212-डी माडल टाउन, यमुना नगर हरियाणा	अधिवक्ता	यमुना नगर	--
130	जगदीश चन्द्र घोष	19, शरत बोस रोड (हकिमपाड़ा) सिलीगुड़ी-434421 जिला दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल	अधिवक्ता	सिलीगुड़ी स्थित मुख्यालय सहित जिला दार्जिलिंग	--
131.	अमरेन्द्र नाथ डान	टैम्पल चैम्बर पहली मंजिल) 6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1	अधिवक्ता	कलकत्ता	
32.	सर्वश्री राजा राम बसुराय	9 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1	अधिवक्ता और सालिसिटर	पश्चिमी बंगाल राज्य	--
133.	विनोद कांत वर्मा	फ्लैट. 13ए-1, मयूर विहार दिल्ली-110091	अधिवक्ता	दिल्ली	--
134.	नंद लाल चौधरी	जे-4/15 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	अधिवक्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	--
135.	देवेंद्र नाथ मिश्रा	328 गुरु रामदास नगर (लक्ष्मी नगर) दिल्ली-92	अधिवक्ता	नई दिल्ली	--
136.	मन मोहन सिंह सेठी	डी-83 अशोक विहार, नई दिल्ली-110052	अधिवक्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	--
137	जगदीश लाल बत्रा	572 लाल कुंआ, दिल्ली-110031	अधिवक्ता	दिल्ली	
138.	राजवीर सिंह	बी-55/3 मेन रोड, नार्थ घोंडा, दिल्ली-53		शाहदरा स्थित मुख्यालय सहित दिल्ली	--
139.	धीरेन्द्र एच. शाह	फ्लैट नं. 10, चौथी मंजिल, अधिवक्ता मर्रना हाउस, सामने लिबर्टी सिनेमा 5, सर विट्ठल दास थाकार्सी मार्ग, बंबई-20 कार्यालय : 33 आर. एस. सपरे मार्ग, (पिकेट रोड) नजदीक लघुवाद न्यायालय कालाबादेवी, बंबई-400002 .	अधिवक्ता	धोबी तालाब प्रिसेस स्ट्रीट जावेरी बाजार क्राफोर्ड मार्केट एंड मेरीन लेन, बम्बई शहर	--
140.	बी. एस. नरसिंहमन	मार्फत किंग एंड पैट्रीज एडवोकेट 26/1, लवेली रोड, बंगलौर-565551	अटर्नी एट लॉ	कर्नाटक राज्य	--
141.	एस. के. शेट्टी	1, प्रकाश फ्लैट, 8 पहली मंजिल, बसन्त स्ट्रीट सांताक्रूज (पश्चिमी), बंबई-400005	अधिवक्ता	सांताक्रूज एंड फोर्ट एरिया, ग्रेटर बंबई	
142.	मर्कन्द सी. गांधी	मार्फत मर्कन्द गांधी एंड कं. एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स दूसरी मंजिल, भाग्योदय 79, एम मेडोज स्ट्रीट गीन-दास मास्टर रोड, फोर्ट, बंबई-23	अधिवक्ता	ग्रेटर बंबई	--

[सं. 5(3)/85-न्याय]

एस. गुप्ता सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 14th January, 1985

S.O. 1471.—In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaries Act 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby publishes a list of Notaries appointed by them and in practice at beginning of the year 1985.

Sl. No.	Name of Notary	Residential and professional Addresses	Qualifications	Area in which he is authorised to practise	Remarks
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	Chakravarthi Doraswamy	M/s King and Patridge Catholic Centre (2nd floor) 6, Armanian Street Madras-1.	Advocate Madras High Court	Whole of India	—
2.	Rustam Ardeshir Gagret	Gagrat & Co. Alli Chamber Nagindas Master Road Medows St. Fort Bombay.	Advocate Bombay	Whole of India	—
3.	Bhagwati Prasad Khaitan	1-B Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law Calcutta High Court	Whole of India	—
4.	Rabindra Krishna Deb	Temple Chambers 6 Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law Calcutta High Court	Whole of India	—
5.	Himansu Prakash Ganguli	4 Issur Dutt Lane, Howrah (W. Bengal)	Advocate Calcutta High Court	Whole of India	—
6.	Sudhir Kumar Dey Mullick	C/o Mertin Burn Ltd. 12, Mission Row Extension Calcutta-1.	Attorney at Law, Calcutta High Court	Whole of India	—
7.	Rash Mohan Chatterjee	C/o M/s Orr. Dignam and Co. Solicitors, 29, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solicitor Calcutta High Court	West Bengal, Assam, Bihar, UP & Punjab	—
8.	Prabhudayal Himatsingka	6, Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law, Calcutta High Court	Whole of India	—
9.	Punyabarata Bose	60, Old Post Office St. Calcutta-1.	Attorney at Law, Calcutta High Court	Whole of India	—
10.	Victor Elias Moses	6, Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law Calcutta High Court	Whole of India	—
11.	Mulkli Raj Wadhawan	Advocate Jullundar City Punjab	Advocate Punjab High Court	Punjab & UP	—
12.	Manoharlal Kapur	3/9 Patel Nagar (East) N. Delhi	Advocate	Union Territory of Delhi	—
13.	Harpershad Mehra	No. 3060 Charkhewalan Delhi.	Advocate Punjab High Court.	Union Territory of Delhi	—
14.	Chamanlal Arora	10-New Court Road, Amritsar, Punjab	Advocate	Amritsar District Punjab	—
15.	Damodar Devji Damodar	C/o M/s Kangs & Co. Solicitors Ready-Money Mensions 43 Veer Nariman Road, Bombay	Solicitor	Maharashtra	—
16.	Deba Prasad Ghosh	C/o Fowler & Co. Solicitors & Advocates & Notaries Regent House 12 Govt. Place East Calcutta-69.	Attorney	Whole of India	—
17.	Nathamal Himatsingka	6 Old Post Office St., Calcutta	Attorney	Whole of India	—
18.	Ramkishan Garg	56 Old Vijay Nagar Colony Agra (UP)	Vakil Agra	Agra Distt.	—
19.	C.H. Pardiwala	C/o M/s Crawford Bay by & Co. State Bank Bldgs. Bank St., Bombay-1.	Solictor	Whole of India	—
20.	Sachindra C. Sen	Attorney at Law, Temple Chambers 1st Floor, 6 Old Post Office St., Calcutta.	Attorney	Calcutta	—
21.	D.A. Mehta	Advocate 43B Hanuman Road Road New Delhi	Bar at Law	Union Territory of Delhi	—

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
22.	Durga Prasad Tulsyan	Advocate Jhunjhunu Rajasthan	Advocate	Jhunjhunu Distt. Rajasthan	—
23.	M.G. Doshit	M/s N.G. Doshit & Co., Solicitor 35-Embassy Market Ahmedabad.	Attorney	Gujarat and Maharashtra	—
24.	Noor Mohammad	Advocate Udaipur Rajasthan	Advocate	Udaipur District (Rajasthan)	—
25.	Sudhir Kumar Seal	C/o M/s. Sander Sons & Morgans, Solicitors Royal Insurance Bldgs 5&7 Netaji Subhash Road, Calcutta-1.	Solicitor	Whole of India	—
26.	Jitendra Nath Sanyal	C/o M/s Sendersons Royal Insurance Bldgs. 5&7 Netaji Subhas Road Calcutta-1.	Solicitor	Whole of India	—
27.	Indersen Israni	Advocate J-54 Nawalc House Jaipur (Raj)	Advocate	Jaipur City & District	—
28.	P.C. Kurian	14 Kondichatty Street, II Floor II Floor Madras-1.	Advocate	Madras & Kerala	—
29.	Gurdayal Singh Sidhoo	No. 1, Dokha Jullundur (Pb)	Advocate	Jullundur District	—
30.	C.I. Venkatasubramanian	140 Cross Cut Road, Coimbatore	Advocate	Coimbatore District.	
31.	Pushkar Lal Juneja	F-1, Sankar Market Connaught Circus, New Delhi	Advocate	Whole of India	—
32.	Chunilal Bhatia	C-4/A/68C Janakpuri New Delhi-58.	Advocate	Union Territory of Delhi	—
33.	Jogan Nath	Civil Line, Moga District Ferozepur (Punjab)	Advocate	Ferozepur Distt. with Headquarter at Moga also authorised to practise in and throughout Faridkot Distt. with Headquarters at Moga	
34.	Ramji Das Singhal	Gurdwara Street Bhatinda (Punjab)	Advocate	Bhatinda District	
35.	Bal Krishan	Advocate Hanumangarh Town Distiict Ganganagar (Rajasthan)	Advocate	District Ganganagar with Headquarters at Hanumangarh (Rajasthan)	—
36.	S.R. Mehta	Advocate Balotra (Rajasthan)	Advocate	District of Barmer and Jalore with Headquarters at Balotra (Rajasthan)	
37.	G.C. Verma	Advocate cum Oath Commissioner E/12, Green Park, New Delhi	Advocate cum Oath Commissioner	Union Territory of Delhi	—
38.	P.L. Gandhi	Advocate Opp. Gandhi Bagh, Surat.	Advocate	Surat District	—
39.	A.R. Malkani	Advocate BBZ-N-6 Gandhi Dham (Kutch)	Advocate	Whole of Gujarat	—
40.	N.C. Shah	No. 1 Burdwan Rd. 1st Floor Alipore Calcutta-27	Advocate Calcutta	Calcutta & New Delhi	
41.	T. Dilip Singh	C/o M/s Kings & Patridge 2nd Floor Catholic Centre Armenian St. Box No. 121 Madras-1.	Advocate Madras	Whole of India	—
42.	J.R. Gagrat	C/o M/s Gagrat & Co Alli Chambers Negindas Master Rd., Fort, Bombay-1	Advocate Bombay	Whole of India	
43.	R. Setlur	Olympus Apartment Flat No. 308 IIIrd Floor Attamount Rd, Bombay-26.	Attorney & Advocate Bombay	Whole of India	—
44.	Brij Mohan Mehta	13A/2 Rajinder Nagar, New Delhi	Advocate, New Delhi	Union Territory of Delhi	—

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
45.	Surjit Singh Sood	23 Netaji Park Jullundur City (Punjab)	Advocate Jullunder	Jullunder Punjab	—
46.	Jagjit Singh Bains	376 L. Model Town Jullundur city (Punjab)	Advocate Jullundur	Jullundur Punjab	—
47.	K.J. Khambata	Rajab Mahal, 144 Queens Rd. Bombay-20	Advocate Bombay	Whole of India	—
48.	Ambalal Bavb ai Patel	Vaidya St. PO. Navasari Distt. Bulsar (Gujarat)	Advocate	Gujarat	—
49.	Punamchan Somchand Shah	Gujarat Samachar Bhavan, II Floor Khanpur Ahmedabad.	Advocate	Gujarat	—
50.	B.T. Merchant	C/o M/s Thakordas & Madgavakar Fort Chambers Deen Lane Fort, Bombay-1.	Attorney & Advocate	Whole of India	—
51.	H.M. Bhagat	C/o Ambhubhai & Diwanji Solicitors & Advocates Industries House, Ashram Rd. Ahmedabad-9.	Advocate & Solicitors	Gujarat	—
52.	H.V. Chatrapati	C/o M/s. Bhai Shankar Kanga Girdhari Lal Manakji Wadia Building Bell Lane, Fort, Bombay-1 and C/o M/s Bhaishankar Kanga & Girdhari Lal, Gujarat Samachar Bhavan Khanpur, Ahmedabad.	Advocate & Soliciters	Whole of Gujarat	—
53.	G.S. Vyas	35, Lavanyanagar Jivaraj Park Rd. Ellis Bridge Ahmedabad.	Advocate	City of Ahmedabad	—
54.	Amar Singh	Jamiat Singh Rd Moga, Distt. Faridkot (Punjab)	Advocate	Moga Distt. Faridkot Punjab	—
55	B.H. Anita	C/o M/s Mulla & Mulla and Griaghe Plunt & Caroes, Solicitors & Notaries, Jehangir Wadie Buildings, 51, Mahatma Gandhi Rd., Bombay-1.	Attorney & Advocate	Whole of India	—
56.	B P. Shukla	Rugnath Building Town Hall Rajkot (Gujarat)	Advocate	Rajkot & Junagadh Distt.	—
57.	B.K. Shah	Mansukh Niwas Nairi Chahipwad Baroda-6.	Advocate	Baroda	—
58.	Ramesh J. Meh	Nadiad District Kaira Gujarat State	Advocate	Kaira Panchamahal District	—
59.	Vasantlal D. Mehta	C/o Malvi Ranchod Das & Co. Solicitors & Advocate Ysuf Buildings Mahatma Gandhi Rd., Fort., Bombay-1.	Solicitor	Maharashtra	—
60.	Molz F. Karamalawala	Church gate Chambers 5 New Marine lanes Room No. 611 6th Floor Bombay-20.	Solicitors	Whole of the State of Maharastra with HQ at Bombay.	—
61.	Darshan Singh	A-321 Defence Colony New Delhi.	Advocate	Union Territory of Delhi	—
62.	Mrs. K.V. Desai	5 Bharat Colony Near Sardar Patel Colony, Ahmedabad-14.	Advocate	Ahmedabad	—
63.	Mohinder Singh	277 Saidan Gate, Jullundur	Pleader	Jullunder	—

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
64.	Rajendra Kumar Bhatt	S-401 Greater Kailash, New Delhi-48	Advocate	Union Territory of Delhi UP & Haryana	—
65.	Narain Prasad Goyal	E-165 Naraina Vihar N. Delhi-20	Advocate	Union Territory of Delhi	—
66.	K.V. Thomas	Virajpet Coorg Distt. Karnataka	Advocate	Coorg Distt.	—
67.	H. Hassan Koya	Chalaypuram Calicut Kerala	Advocate	Calicutt & Malappuram Distt.	—
68.	Salil Kumar Ganguli	50 Ramtanu Bose Lane Calcutta-6	Attorney at Law & Advocate	Calcutta	—
69.	Palav Kumar Banerjee	M/s T. Banerjee & Co. Solicitors & Advocates Temple Chamber' No. 6 Old Post Office St., Calcutta	Solicitor & Advocate	Calcutta	—
70.	M.Y.S. Menon	M/s Majumdar & Co. Ismail Building 381 Dr. D.N. Rd., (Flora Fountain) Bombay.	Solicitor & Advocate	Greater Bombay	—
71.	Brij Bhushan Gupta	Kalal Majri Ambala City	Advocate	Ambala City	—
72.	Raghubir Singh Kulha	Chirwa Tehsil Rajasthan	Advocate	Chirwa Tehsil	—
73.	Salematri Gurbony	202 Kanwat Ngr. Rajamal-ka-Talab, Jaipur	Advocate	Jaipur	
74.	Nand Kishore Parcek	321 Nahargarh Rd., Gopal Halwaiki Gali, Jaipur	Advocate	Jaipur	
75.	Akbileshwar Das Badgal	Sharma Restaurent Johari Bazar Jaipur-302003	Advocate	Jaipur	
76.	D.R. Zailwalla	M/s D.R. Zailwalla & Co. Solicitors Reedymoney Mansion 43 Veer Nariman Road, Fort, Bombay	Solicitor & Advocate	Greater Bombay	—
77.	Anthony Da Costa	M/s Da Costa & Da Costa Advocates & Tax Consultants, 21/12 Mahatma Gandhi Road, 1st Floor Bangalore-1.	Advocate	Whole of India	—
78.	Mrs. Sumati Arawind Patil	236 Jain Temple Road, Gomeshnagar Hindwadi, Belgaum Karnataka	Advocate	Belgaum Distt.	—
79.	T.M. Sen	M/s Khaitan & Co. Solicitors & Advocates Himalaya House 7th floor, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.	Attorney at Law	Whole of India	—
80.	Mrs. N. Anasooya Bai	4624/1 Shivaji Rd. N.R. Mohalla Mysore-7.	Advocate	Mysore City	
81.	Padmanath Gangadhar Gokhale	A-36 Defence Colony, New Delhi	Advocate	Whole of India	—
82.	Ram Naresh Lal Gupta	'Bihari Dham' C-28/70 Teliya Bagh, Varanasi Cantt., UP.	Advocate	Varanasi U.P.	—
83.	Samoon Asgarali Poonawala	12-Ismail Bldg 381—Br. Dadabhoy Naroji Rd., Fort Bombay-1.	Advocate	State of Maharashtra	
84.	Awadesh Kumar Verma	C/o Sh. Raghoram Verma Advocate Civil Court Varanasi UP.	Advocate	Varanasi Distt. of UP	
85.	Gulam Tahir	D-50/29 Qazipura Kalan Varanasi UP.	Advocate	Varanasi Distt. of UP.	
86.	Kishori Lal Kapoor	516 Church Gate Chambers 5th Floor 5-New Marine Lanes Bombay-20	Advocate	State of Maharashtra	

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
87.	T.K. Shanmuganandum	8/8 Huzur Rd. Coimbatore-641018.	Advocate	Coimbatore	—
88.	Rajendra Kumar Ray	37, South Kumar Para Lane Calcutta-42.	Advocate	Calcutta & 24 Parganas	—
89.	Raghubir Sahai Hitkari	Civil Courts, Kanpur	Advocate	Kanpur & Delhi	—
90.	Om Prakash Jain	A-5-B/126-B Janakpuri New Delhi-110058	Advocate	Delhi	—
91.	Bimal Kumar Bancrjee	3 Bankshall St. Calcutta-700001	Advocate	Calcutta 24 Parganas	—
92.	Padamsi Danji Khona	45, Tamarind St. Fort, Bombay-23.	Advocate	Greater Bombay	
93.	G.A. Banatwala	C/o Payne & Co. Esplanade House Woudeby Rd. Fort Bombay-400001.	Advocate	Whole of India	—
94.	Leo Benedict Velho	Costa Pereira Building II Floor Margoa Salecte, Goa	Advocate	Whole of Gca	—
95.	Miss Jeswant Kaur	H-21, Kailash Colony, New Delhi.	Advocate	Union Territory of Delhi	—
96.	Eruch Jalagur Balsara	M/s Payane & Co Esplanade House Woudey Rd. Fort, Bombay-1.	Advocate	Whole of India	—
97.	Bertram D Silva Shenoi	92, "Satman" Cuffe Parade Bombay-400005.	Advocate	Whole of State Maharashtra	—
98.	Rameshwar Dayal Gupta	88, C. Shastri Nagar Jodhpur	Advocate	Jodhur District	—
99.	Dhul Chand	Muktsar District Faridkot Punjab	Advocate	Union Territory of Chandigarh	—
100.	Ram Rattan Lekh	ES-553, Mohila Awedoura Jullundur City	Advocate	Jullundur City	
101.	M.I. Sethna	Fazalbhoy Bldg. 2nd Floor 45/57, N.G. Road, Fort Bombay-1	Advocate	Walkeshwar and Fort areas of Bombay	—
102.	Durga Shankar Dave	Oswalwara Rajasthan Banswara-327001.	Advocate	Banswara District Rajasthan	—
103.	Murlidhar Rao Naik	Maktanpura Gulbarga Karnataka	Advocate	District and City of Gulbarga	—
104.	Bhagwati Prasad Bhatt	11-Gyan Marg Udaipur Rajasthan	Advocate	Udaipur	—
105.	Janklal Agarwal	9 Balenville Road Darjeeling, Darjeeling	Advocate	Darjeeling	—
106.	K.C. Sidhwa	Branch Secretariat, Bombay Aayakar Bhavan Annexe New Marine Lines Bombay-400020.	Central Govt. Advocate Advocate Solicitor	Whole of India	—
107.	Suraj Kr. Bhaskar	Khetri Distt Jhujhunu Rajasthan	Advocate	Khetri Rajasthan	—
108.	Devi Saran Chopra	B-3, Two Roses Pali Road, Bombay	Advocate	City of Bombay	—
109.	Debabrata Basu	7 Devanarain Das lane, Shyam Bazar, Calcutta	Advocate	24 Parganas with Head Quarters at Scaldah	—
110.	Miss Manjula Sen	33, Venus Cuffe Parade Bombay.	Advocate & Solicitor	Whole of India	—
111.	A Syed Ali	53 Armenian St. Madras	Advocte	State of Madras	—
112.	G.C. Verma	Civil Courts Jagadhri Distt. Ambala Haryana.	Advocate	Jagadhri	
113.	Gajendra Nath Chakraborty	9 Old Post Office St. Calcutta. Bombay.	Advocate	Calcutta-1	—
114	Aditikumar Pramarick	10 Old Post Office St R No 110 Calcutta	Advocate	State of West Bengal	
115	Indra Chand Sanecheh	12 Old Post Office St. R No 110 Calcutta	Advocate	Calcutta	

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
116.	L. Mahalingappa	938/II Indira Nagar Mysore Karnataka	Advocate	Mysore City	—
117.	K. Garudachar	'Sudershana' Someshwarapuram Tumkur Karnataka	Advocate	Distt. & City of Tumkur Karnataka	—
118.	Trilokchand Singhal	Dal Bazar Gwalior	Advocate	Gwalior (M.P.)	
119.	Tribhuwan Agarwal	PO Hanumangarh Town Distt. Sriganganagar Rajasthan	Advocate	Throughout the Town of Hanuman garh Rajasthan	—
120.	Jagram Singh	Pili Kothi Station Rd. Jhunjhunu Rajasthan	Advocate	Distt Jhunjhunu	—
121.	B.S. Chandra Sekhar	2694 Agrahara St. Hassan Post Office Karnataka 573201	Pleader	Hassan City of Karnataka	—
122.	SNSC Javeria	Javaria Niwas Mochiwara Udaipur Rajasthan	Advocate	Udaipur Rajasthan	—
123.	M.C. Jain	Sh. Parshwanath Jain Colony Subhas Bhagh Ajmer (Rajasthan)	Advocate	Ajmer Rajasthan	—
124.	Ram Babu Srivastava	Advocate Jail Road Sitapur UP	Advocate	Sitapur District	—
125.	K. Balakrishna	No. 4 3rd Cross Road 4th Block KPW Extn. Bangalore-20	Advocate	Bangalore	—
126.	Brij Mohan Misra	15 Sadar Bazar Jhansi (UP)	Advocate	Jhansi (UP)	—
127.	Smt. Prem Lata Nigam	294 Bhargava Bldg. Lobar Bagh Sitapur.	Advocate	Sitapur (UP)	—
128.	Surjit Singh Mehta	181 Vishwakarma Nagar Yamunanagar Distt. Ambala (Haryana)	Advocate	Jagadhari	
129.	Chander Kumar Mehta	212-D Model Town Yamunanagar (Haryana)	Advocate	Yamunanagar	—
130.	Jagdish Chandra Ghosh	19 Sarat Bose Rd. (Hakimpara) Siliguri-734401 Distt. Darjeeling West Bengal.	Advocate	Distt. Darjeeling with his Headquarters at Siliguri	—
131.	Amarendra Nath Dawn	Temple Chamber (First Floor) 6 Old Post Office St. Calcutta-1.	Advocate	Calcutta	—
132.	Raja Ram Basu Ray	9 Old Post Office St. Calcutta-1.	Advocate & Solicitor	State of West Bengal	—
133.	Vinod Kant Verma	H. No. 13-A/I Mayur Vihar Delhi-110091.	Advocate	Delhi	
134.	Nandlal Choudhury	J-4/15 Rajouri Garden N. Delhi.	Advocate	UT of Delhi	—
135.	Devendra Nath Mishra	328 Guru Ramdas Nagar (Laxmi Nagar) Delhi-92	Advocate	New Delhi	—
136.	Man Mohan Singh Sethi	D-83 Ashok Vihar I New Delhi-110052	Advocate	UT of Delhi	—
137.	Jagdish Lal Batra	572 Jheel Kuranja Delhi-110031	Advocate	Delhi	
138.	Rajvir Singh	D-55/3 Main Road North Ghonda Delhi-53.	Advocate	Delhi with HQ at Shahdara	—
139.	Dhirendra H. Shah	Flat No. 16 4th Floor Marina House Opp. Liberty Cinema 5 Sir Vithaldas Thakersey Marg Bombay-20 Off : 33R.S. Sapre Marg (Picket Rd) Near Small Cause Court Kalbadevi Bombay-400002	Advocate	Dhobi Talao Princes St. Zaveer Bazar Crawford Market and Marine Lines of Bombay City	—

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
140	B.S. Narasimhan	C/o King & Patridge Advocate 26/1 Lavelle Rd. Bangalore-560001	Attorney at Law	State of Karnataka	—
141.	S.K. Shetty	1 Prakash Flat; 8 First Floor Besant St. Santacruz (West) Bombay-400054.	Advocate	Santacruz & Fort areas of Greater Bombay	—
142.	Markand C. Gandhi	C/o Markand Gandhi & Co. Advocates & Solicitors 2nd Flr. Bhaggadayu 79 Medows St. Nagindas Master Rd. Fort Bombay-23.	Advocate	Greater Bombay	

[No. 5(3)/85-Judl.]

S. GOOPTU , Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

का. आ. 1472 :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. सी. वर्मा सहायक निदेशक, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, श्री जी. डी. केवलानी के स्थान पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उक्त अधिकारी 1-2-1985 को और से निदेशक, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी वास सुविधा के संबंध में, उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

[सं. 1/सी-II/83-(बी)-1(3)/एफ. पी.-5]

बी. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th March, 1985

S.O. 1472.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri M. C. Verma, Assistant Director, Intelligence Bureau, New Delhi, a Gazetted Office of the Government to be the Estate Officer vice Shri G. D. Kewlani for the purposes of the said Act and directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, in respect of all Government accommodation under the control of the Director, Intelligence Bureau at New Delhi on and from 1st February, 1985.

[No. 1/CII/83(B)-1(3)(FP V.]

V. K. JAIN, Jt. Secy.

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 1473.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 380 और 457 के अधीन अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा 24/25 सितम्बर, 1984 की रात में उड़ीसा के सम्बलपुर जिला में एक मंदिर से भगवान नरसिंह नाथ की प्रस्तर मूर्ति की चोरी की बाबत पुलिस थाना पैकमाल, जिला सम्बलपुर में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 37, तारीख 25 सितम्बर, 1984 के संबंध में वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रमण में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य पर करती है।

[संख्या 228/1/85-ए. वी. डी. (II)]

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMN. REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd March, 1985

ORDER

S.O. 1473.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) the Central Government with the consent of the Government of Orissa, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole

of the State of Orissa for, the investigation of offences under sections 380 and 457 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of same transaction in regard to case FIR No. 37 dated the 25th September, 1984 registered at Police Station Paikmal, Dist. Sambalpur in regard to theft of stone idol of Lord Narasingh Nath from a temple in Sambalpur Dist. of Orissa in the night of 24/25th September, 1984.

[No. 228/1/85-AVD II]

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

का. आ. 1474.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 292 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/8/85-ए. वी. डी. (II)]

एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 1985

S.O. 1474.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra, for the investigation of offence punishable under section 292 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offence and any other offence committed in the course of same transaction arising out of same facts.

[No. 228/8/85-AVD. II]

M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

आयकर

का. आ. 1475.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (III) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सर्वश्री ओम प्रकाश और बलबीर कुमार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना सर्वश्री ओम प्रकाश और बलबीर कुमार द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 11-2-1985 से लागू होगी ।

[सं. 6156/फा. सं. 398/44/84-आ. क. ब.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th February, 1985

INCOME-TAX

S.O. 1475.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri Om Prakash and Balbir Kumar being gazetted officers of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 11-2-1985 when S/Shri Om Prakash and Balbir Kumar took over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6156/F. No. 398/44/84-IT(B)]

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1985

का. आ. 1476.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 14-12-1982 की अधिसूचना सं. 5013/फा. सं. 398/32/82-आ. क. (ब.) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सी. एम. अग्रवाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना, श्री सी. एम. अग्रवाल द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 6163/फा. सं. 398/3/85-आ. क. (ब)

New Delhi, the 27th February, 1985

S.O. 1476.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of Government of India in the Department of Revenue No. 5013 [F. No. 398/32/82-IT(B)] dated the 14-12-82, the Central Government hereby authorises Shri C. M. Agrawal, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri C. M. Agarwal takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6163/F. No. 398/3/85-IT(B)]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

का. आ. 1477.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31-12-1982 की अधिसूचना सं. 5043 तथा 5047 [फा. सं. 398/38/82-आ. क. (ब.)] का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा क्रमशः श्री के. एल. भाटिया-II और श्री एम. के. किरपाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना, श्री के. एल. भाटिया II और श्री एस. के. किरपाल द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 6168 (फा. सं. 398/4/85-आ. क. (ब.)]

बी. ई. अलैक्जैंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 1985

S.O. 1477.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notifications of the Government of India in the Department of Revenue No. 5043 and 5047 [F. No. 398/38/12-IT(B)] dated the 31-12-1982, the Central Government hereby authorises S/Shri K. L. Bhatia-II and S. K. Kirpal, respectively, being a Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the dates S/Shri K. L. Bhatia-II and S. K. Kirpal take over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6168/F. No. 398/4/85-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1985

(आय-कर)

का. आ. 1478.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उप-धारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री अरूलमिगु कुमारकुट्टम सुब्रह्मण्यस्वामी कोइल राजागोपुरम निर्माण, कांचीपुरम" को संपूर्ण दक्षिण भारत में विख्यात् सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[संख्या 6162/फा. सं. 176/10/85-आ. क. (नि.-1)]

पी. सक्सेना, उप सचिव

New Delhi, the 26th February, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1478.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Arulmigu Kumarakottam Subramaniaswamy Koil Rajagopuram Nirmana, Kancheepuram" to be a place of public worship of renown throughout South India".

[No. 6162/F. N. 176/10/85-IT(AI)]

P. SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का. आ. 1479.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी श्री एम. वी. एन. राव को, जो पिछले दिनों राजस्व विभाग में अपर सचिव (तस्करी रोधी) के रूप में तैनात थे, 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।

[फा. सं. ए. 11015/5/84-प्रशा. I]

New Delhi, the 8th March, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1479.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoint Shri M. V. N. Rao, on officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), and formerly posted as Additional Secretary (Anti-Smuggling) in the Department of Revenue, as Member of the Central Board of Excise & Customs with effect from the forenoon of the 6th December, 1984 and until further orders.

[F. No. A-11015/5/84-Ad. I]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का. आ. 1480.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एस. द्विवेदी को, जो पिछले दिनों मुख्य आयुक्त (प्रशा.) तथा आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 के रूप में तैनात थे, 11 मार्च 1985 की पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।

[फा. सं. ए-19011/1/85-प्रशा.I]

जे. एम. ट्रेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1480.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S. Dwivedi, an officer of the Indian Revenue, Service (Income-tax) & formerly posted as Chief Commissioner (Admn.) & Commissioner of Income-tax, Delhi-I, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 11th March, 1985.

[F. No. 19011/1/85-Ad. I]

J. M. TREHAN, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 1481.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोड़ो लि० को केवल एक लाख चौवन हजार पांच सो सड़सठ रुपये पचास पैसे के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी

करने की अनुमति देती है जो मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोड़ो लि. द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ छः लाख नौ हजार रुपये के अंकित मूल्य के क्र सं. 000001 से 206090 तक के ऋणपत्रों के रूप में बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 13/85-स्टाम्प/फा. सं० 33/69/84-वि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th March, 1985

ORDER

STAMPS

S.O.1481.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Hindustan Ferodo Ltd., to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh fifty-four thousand five hunderd sixty-seven and paise fifty only chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures bearing Serial Nos. 000001 to 206090 to be issued by M/s. Hindustan Ferodo Ltd. of the face value of rupees two crores six lakhs nine thousands only.

[No. 13/85-Stamps/F. No. 33/69/84-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

का. आ 1482.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण) उपबंध स्कीम, 1970 के खण्ड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निदेश देती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 2 अप्रैल, 1982 के का० आ. संख्या 1522 (संख्या एफ. 9/36/81-बी. ओ. 1) के तहत जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार इंडियन बैंक में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए निम्नलिखित व्यक्ति 3 अप्रैल, 1985 से निदेशक नहीं रहेंगे, अर्थात् :—

1. श्री टी. एम. कलियाणन,
चामुंडी हाउस,
सी.एच.बी. कालोनी,
वेलूर रोड़, तिरुचेंगोडू,
जिला सेलम (तमिलनाडु)

2. श्री ए. पोन्नूदुरै,
भूतपूर्व अध्यक्ष,
कलरायण लेम्प सोसाइटी,
मणियारन कुणरम डाक घर,
करुमनदुराई (वाया) चिन्नाकलरायण हिल्स,
अत्तूर तालूक, जिला सेलम (तमिलनाडु)

3. श्री सत्यानरैण नाथा
नाथा मूर्ति म्यूजियम,
मूर्ति मोहल्ला,
खजाने वालों का रास्ता,
जयपुर (राजस्थान)

4. श्री आर. के० गोयल,
चार्टर्ड एकाउंटेंट,
राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कम्पनी,
ई-2/16, अंसारी रोड़,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

5. श्री नरिन्द्र नाथ नंदा,
प्रोपराईटर, वी.के. इंडस्ट्रीज,
25-ए, औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियार (मध्य प्रदेश)

6. श्रीमती लीला दामोदर मेनन,
नौका, आजाद रोड,
कालूर, कोचीन-682017 (केरल)

7. श्री पी वी. रंगा राव,
हाउस न. 6-4-110,
ब्राह्मण वाड़ी,
हनामकोंडा, जिला वारंगल
(आन्ध्र प्रदेश)

8. श्री वी सी मारक्कर,
सामाजिक कार्यकर्ता,
वेल्लाक्कल हाऊस, इडापल्ली,
कोचीन-682024 (केरल)

[सं. एफ० 9/2/82-85-बी०ओ०-I]

एस० एस० हसूरकर, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 30th March, 1985

S.O. 1482.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government is pleased to direct that the following persons appointed as Directors of the Indian Bank under notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) S.O. No. 1522 (No. F. 9/36/81-B.O. I) dated 2nd April, 1982 shall cease to hold the office of Director with effect from 3rd April, 1985 namely :—

1. Shri T. M. Kaliyannan,
Chamundi House,
C.H.B. Colony,
Velur Road,
Tiruchengodu-637211,
Salem District
(Tamil Nadu).

2. Shri A. Poonudurai,
Ex-President,
Kalrayan Lamp Society,
Maniyaran Kunram P.O.
Karumandurai (Via)
Chinnakarlrayan Hills,
Attur Taluk,
Salem District,
(Tamil Nadu).

3. Shri Satya Narain Natha,
Natha Moorti Museum,
Moorti Mohalla,
Khazanewalon-Ka-Rasta,
Jaipur (Rajasthan).

4. Shri R. K. Goel,
Chartered Accountant,
Rajendra K. Goel & Co.,
E-2/16 Ansari Road,
Darya Ganj,
New Delhi-110002.

5. Shri Narinder Nath Nanda,
Proprietor,
V. K. Industries,
25-A, Industrial Area
Gwalior (Madhya Pradesh),

6. Smt. Leela Damodara Menon,
'Nauka' Azad Road,
Kaloor, Cochin-682017.
(Kerala).

7. Shri P. V. Ranga Rao,
House No. 6-4-110,
Brahman Wadi,
Hanamkonda,
District Warangal,
(Andhra Pradesh).

8. Shri V. P. Marakkar,
Social Worker,
Vellakkal House,
Edappally,
Cochin-682024,
(Kerala).

[No. F. 9/2/85-BO. I]
S. S. HASURKAR, Director.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

का.आ. 1483.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है, कि उक्त अधिनियम, की धारा 10-ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध गणेश बैंक आफ कुरुंदवाड़ लि०, कुरुंदवाड़ पर 19 मार्च, 1985 से 18 जून, 1985 तक की तीन महीने की अवधि के वास्ते या जब तक उस बैंक के लिए नियमित रूप से पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, इन दो में से जो भी पहले हो लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/25/84-बी. ओ. III]
एम० के० एम० कुट्टि, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1985

S.O. 1483.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 10-B of the said Act, shall not apply to the Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad, for a further period of three months from 19th March, 1985 to 18 June, 1985 or till the appointment of a regular wholetime Chairman and Chief Executive Officer for that bank, whichever is earlier.

[No. 15/25/84-B.O.III]
M. K. M. KUTTY, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

शुद्धि-पत्र

का. आ 1484—बोर्ड के दिनांक 24/1/85 की अधिसूचना संख्या 316/74/83 धन कर, जो दिनांक 25/1/85 के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुआ, की क्रम संख्या 11-क के सामने स्तम्भ 3 की मद संख्या (ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"तमिलनाडु के चिंगलपुट, दक्षिण अर्काट, तंजावर, नीलगिरि, कायम्बतूर और पेरीयार के राजस्व जिले।"

[सं. 316/74/83-धनकर]
ए. के. फोतेदार, अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th March, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1484.—For the existing entries in item No. (ii) of column No. 3 against S. No. 11A of the Board's Notification F. No. 316/74/83-W.T. dated 24-1-85, which was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extra ordinary Gazette dated 25th January, 1985, the following may be substituted :—

"and the revenue districts of Chinglepet, South Arcot, Thanjavur, Nilgiris, Coimbatore, and Periyar of Tamil Nadu."

[F. No. 316/74/83-W.T.]
A. K. FOTEDAR, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1985

का. आ 1485.—मैसर्स कृष्णा एंड कं., गोयंका हाउस 44, कम्यूनिटी सेंटर, जमरुदपुर, कैलाश कालोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048 को 1982-83 की अवधि के लिए मशीनरी/उपस्करों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए केवल 66,69,832 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. पी/एफ/2030153/सीएक्स एक्स/85/एच/82, दिनांक 13-11-82 दिया गया था।

2. अब फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल मुद्रा-विनिमय प्रयोजन प्रति, नई दिल्ली के सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् और आंशिक रूप से उपयोग में लाने

के बाद खो गई है और बैंक द्वारा केवल दस्तावेजीय प्रयोजन के लिए 22,90,000/- रुपए के शेष मूल्य को पूरा करने के लिए अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है। फर्म इससे सहमत है और वचन देती है कि यदि लाइसेंस की मूल मुद्रा-विनिमय प्रयोजन प्रति बाद में मिल गई तो उसे रिकार्ड के लिए लौटा देंगे ।

3. अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने 1984-85 की आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के अध्याय 15 के पैरा 353 के अन्तर्गत अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं. 2030153, दिनांक 13-11-82 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी कर दी जाए। इस लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फा. स. 6के/पेस्पर्स/एएम/83/जीएलएस]

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 5th February, 1985

ORDER

S.O. 1485.—M/s. Krishna & Co., Goenka House, 44-Community Centre Zamrudpur, Kailash Colony Extension, New Delhi-110048, were granted an import licence No. P/F/2030153/C/XX/85/H/82 dated 13-11-82 for Rs. 66,69,832 only for the import of spares of Machinery/Instruments for the period 1982-83.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Exchange Purposes copy of the above licence on the ground that the original Exchange Purposes copy has been lost having been registered with New Delhi Customs Authority and utilised partly & duplicate is requested to cover the balance of Rs. 22,90,000 for documentation propose only by the bank. The firm agree, and undertakes to return the original Exchange Purposes Copy of the licence if traced later, to this office for record.

3. In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand-Book of Import Export Procedure 1984-85. The undersigned is satisfied that the original Exchange Purposes Copy of Import Licence No. 2030153 dated 13-11-82 has been lost and directs that duplicate copy of Exchange Purposes copy of the licence may be issued to the applicant. The original Exchange Purposes copy of Licence is hereby treated as cancelled.

4. The duplicate copy of Exchange Purposes copy of the Import Licence is being issued separately.

[F. No. 6-K/Spares/AM-83/GLS]

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 1486.—मैसर्स रेयमंड इन्टरनेशनल ऑफ डेलावेयर इन्स., मार्फत इन्टरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग सिस्टम्स प्रा. लि., आई टी टी एस हाउस, 28, के. दुबाश मार्ग, बम्बई-400023 को 1983-84 अवधि के दौरान माल के आयात और पुनः निर्यात के लिए 77,02,800/- रुपए (यू.एस. डालर 568,347 और पौंड 122,236) के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3057291/एन/एम एन/87/एच/83/सी जी 1, दिनांक 11-11-1983 दिया गया था ।

अब फर्म ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट, बम्बई के सीमाशुल्क, (सीमाशुल्क सदन), एयरकार्गो काम्पलेक्स के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् और आंशिक रूप से उपयोग में लाने के पश्चात् खो गया है और कुल धनराशि जिसके लिए अब सीमाशुल्क निकासी की अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह शेष मूल्य 2,85,738/- रुपये को पूरा करने के लिए है । फर्म इससे सहमत है और वचन देती है कि यदि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट बाद में मिल गया तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगे ।

अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने 1984-85 की आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के अध्याय 15 के पैरा 353 में यथा-अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3057291 दिनांक 11-11-1983 खो गया है और निदेश देता है कि आवेदक को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द कर दिया गया है ।

सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[फा. सं. 1074/38/83-84/सी. जी०.-I]

पॉल बैंक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 26th March, 1985

ORDER

S.O. 1486.—M/s. Raymond International of Delaware Inc., C/o. Intermodal Transport & Trading Systems Pvt. Ltd., ITTS House, 28, K. Dubash Marg, Bombay-400023, were granted a CCP No. P/J/3057291/N/MN/87/H/83/CG. I dated 11-11-1983 for 77,02,800 (US $ 568,347 & £ 122,236 for import and re-export of goods during the period 1983-84.

The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Customs Clearance Permit of the above CCP on the ground that the original CCP have been lost after having been registered with the Bombay Custom (Customs House), Aircargo Complex, and utilised partly and the total amount for which the duplicate copy of the CCP now required is to

cover the balance value of Rs. 2,85,738. The firm agrees and undertakes to return the original CCP if traced later, to this office for record.

In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand-Book of Import-Export Procedures 1984-85. The undersigned is satisfied that the original CCP No. P/J/3057291 dated 11-11-1983 has been lost and directs that duplicate copy of CCP may be issued to the applicant. The original CCP has been cancelled.

The duplicate copy of the CCP is being issued separately.

[F. No. 1074/38/83-84/CG. I]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports, for Chief Controller of Imports & Exports.

(बी. एल. अनुभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 1487.—श्रीमती नीता मेठी, 5 रेजीडेन्सी रोड़, बंगलौर को एक मर्सीडीज बेंज डीजल कार के आयात के लिए केवल 1,15,200 रुपए का सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3073285, दिनांक 17-9-84 दिया गया था । आवेदक ने उपर्युक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है/खो गया है । आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नही कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने यथोचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3073285, दिनांक 17-9-84 आवेदक से खो गया है । समय-समय पर यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक, 7-12-1955 के उप खंड 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रीमती नीता सेठी को जारी किया गया उक्त मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3073285, दिनांक 17-9-84 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. पार्टी को सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं. ए/एस-160/84-85/बी. एल. एस./4433]

(B.L. Section)

New Delhi, the 26th March, 1985

ORDER

S.O. 1487.—Mrs. Nita Sethi, 5 Residency Road, Bangalore was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3073285 dt. 17-9-84 for Rs. 1,15,200 only for import of one Mercedes Benz Diesel car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of her contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3073285 dt. 17-9-84 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1985 dt. 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3073285 dt. 17-9-84 issued to Mrs. Nita Sethi is hereby cancelled.

3 A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A/S-160/84-85/BLS/4433]

आदेश

का. आ. 1488.—श्री किस्टी एंथनी जोसफ, 4617 न्यू बोईगुड़ा, सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश), को मर्सीडीज डीजल 200 कार के आयात के लिए 79,900/- रु. मात्र का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3073271 दिनांक 15-7-84 दिया गया था । आवेदक ने उपर्युक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है । आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और जिसके कारण सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया था ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3073271, दिनांक 15-7-84 आवेदक से खो गया है । समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 के उप-खंड 9(सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सी. ए. जोसफ के नाम पर जारी किए गए उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी./जे/3073271, दिनांक 15-7-84 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. पार्टी को सीमाशुल्क निकासी परमिट की एक अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या ए/जे-39/84-85/बी. एल. एस./4401]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

S.O. 1488.—Mr. Christie Anthony Joseph, 4617 New Boiguda, Secundrabad, (A. P.) was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3073271 dt. 15-9-84 for Rs. 79,900 only for import of Mercedes Diesel 200 car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3073271 dated 15-9-84 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Orders, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3073271 dt. 15-9-84 issued to Mr. C. A. Joseph is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A/J/309/84-85/BLS/440]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

For Chief Controller of Imports & Exports

विदेश मंत्रालय

(हज सैल)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1985

का. आ. 1489.—हज समिति नियमावली, 1963 के नियम 6 (आई ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार हज समिति, बम्बई के सदस्यों श्री मोहम्मद अमीन खंडवानी और श्री युसुफ हाफिज, जो महाराष्ट्र विधान सभा के उनके सदस्य न रहने पर, दो स्थानों को तत्काल रिक्त घोषित करती है।

[सं. एम(हज) 118-1/15/80]

आरिफ कमरैन, संयुक्त सचिव (अफ्रीका/हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Haj Cell)

New Delhi, the 22nd March, 1985

S.O. 1489.—In exercise of powers conferred by Rule 6(1A) of the Haj Committee Rules, 1963, the Government of India declare vacant with immediate effect the seats held by Shri Mohd. Amin Khandwani and Shri Yusuf Hafiz, members of the Haj Committee, Bombay consequent upon their ceasing to be members of the Maharashtra Legislative Assembly.

[No. M(Haj) 118-1/15/80]

ARIF QAMARAIN, Jt. Secy.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1985

का. आ. 1490.—सतय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाईसेंस संख्या सीएम ए-9431027 तथा 1180740 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये है, वे दिनांक 1984-09-01 और 1984-08-01 से लाइसेंसधारियों की प्रार्थना पर रद्द कर दिये गये है।

क्र.सं.	लाइसेंस का संख्या	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	संबद्ध भारतीय मानक
1.	सीएम/एल-0431027 1975-04-14	मेसर्स गंगेज टीन वर्क्स 365, हरीश गंज, कानपुर	टीन के 18 लि. के वर्गाकार डिब्बे	IS. 916-1978 टीन के 18 लि. के वर्गाकार डिब्बों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)
2.	सीएम/एल-1180740 1983-04-15	मेसर्स एक्सपेस टीन कंटेनर्स (प्रा. लि.) 493, जी. टी. रोड शिवपुर, हावड़ा कार्यालय : 38, बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता-700007	-यथोपरि-	-यथोपरि-

[संख्या सी एम डी 55 : 0431027]

ए. एस. चीमा, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 14th March, 1985

S.O. 1490.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification, Marks) Regulations 1955 as amended from time to time the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-0431027 & 1180740 particulars of which are given in the Schedule below have been cancelled with effect from 1984-09-01 & 1984-08-01 at the request of the licensees :

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standard
1	2	3	4	5
1.	CM/L-0431027 1975-04-14	M/s Ganga Tin Works 365 Harrisganj Kanpur	18-Litre square tin containers	IS : 916—1975 Specification of 18-Litre square tins (Second Revision)
2.	CM/L-1180740 1983-04-15	M/s Express Tin Containers (P) Ltd. 493, G.T. Road, Shibpur, Howrah having their office at 38, Burtolla Street, Calcutta-700007.	18-Litre square tin containers	IS : 916—1975 Specification for 18-Litre square tins (Second Revision)

[No. CMD/55:043 1027]

A S. CHEEMA, Addl. Director General

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1985

का. आ. 1491.—पशु आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (ख) तथा धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि "पशु" शब्द के अन्तर्गत कुक्कुट तथा सेये जाने वाले अंडे भी शामिल होंगे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पक्षी इन्फ्लुएंजा के हाल के प्रकोप को देखते हुये, संयुक्त राज्य अमेरिका से शुद्ध नस्ल तथा ग्रेंड मूल नस्ल के पशु, सेये जाने वाले अंडों आदि सहित कुक्कुट का भारत में आयात करने पर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिये एतद्द्वारा प्रतिबंध लगाती है।

[सं. 50-4/84-एल.डी.टी. (ए. क्यू.)]

टी. आर. त्रेहन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Co-operation)

New Delhi, the 18th February, 1985

S.O. 1491.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 2 and sub-section (1) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby notifies that the word 'Livestock' shall cover poultry and hatching eggs also and does hereby prohibit for a period of three months from the date of issue of this notification the import into India of poultry including pureline and grandparent stock, hatching eggs, etc. from the United States of America in view of recent outbreaks of avian influenza in that country.

[No. 50-4/84-LDT (AQ)]

T. R TREHAN, Under Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च 1985

का. आ. 1492.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4107 तारीख 15-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पाइप लाईन

राज्य —गुजरात जिला—पंचमहल तालुका —हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आरे	सन्टीआर
नूरपुरा	7	1	61	40

[सं. O—14016/272/84—जी. पी.]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 29th March, 1985

S.O. 1492.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4107 dated 15-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur.

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Heactare	Area	Centiare.
Nurpura.	7	1	61	40

[No. O-14016/272/84-GP]

का.आ. 1493.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य मे हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम डामरोन खुर्द तहसील करेरा जिला—शिवपुरी राज्य

(मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	408/3	0.060
2	411	0.490
3.	414/2	0.090
4	415	0.120
5.	416	0.080
6.	419	0.360
7.	420	0.290
8	421	0.240
9.	426	0.360
10	435	0.060
11	152/1	0.300
12.	447	0.280
13.	116	0.300
14	412/1	0.080
15.	413/2	0.040
16.	501	0.050
17.	502	0.180
18.	503	0.090
19	504	0.130
20.	505	0.010
21.	506	0.240
22	507	0.110
23	509	0.180
24	776	0.600
25.	779	0.660
26	770/1	0.240
27	412	0.190
28	413	0.010
29.	417	0.080
30	425	0.100
31.	450	0.180
32.	418	0.030
33.	503	0.100
34	76	0.010
35.	769	0.200
36	770/2	0.150
37	500/306	0.020
योग : कुल क्षेत्रफल		6.810

[सं. O-14016/183/85-जीपी]

S.O. 1493.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline, Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Damorone Khurd Tehsil Karera Distt : Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	408/3	0.060
2.	411	0.480
3.	414/2	0.090
4.	415	0.120
5.	416	0.080
6.	419	0.360
7.	420	0.290
8.	421	0.240
9.	426	0.360
10.	435	0.060
11.	452/1	0.300
12.	447	0.280
13.	446	0.300
14.	443/1	0.080
15.	443/2	0.040
16.	501	0.050
17.	502	0.180
18.	503	0.090
19.	504	0 180
20.	505	0.440
21.	506	0 240
22.	507	0 140
23.	509	0 180
24.	776	0.600
25.	779	0.660
26.	770/1	0.240
27.	412	0.190
28.	413	0 010
29.	417	0.080
30.	425	0.100
31.	450	0 180
32.	448	0 030
33.	508	0.100
34.	768	0 010
35.	769	0.200
36.	770/2	0.150
37.	500/806	0.020
	Total Area	6.810

[No. O-14016/183/85-GP]

का.आ. 1494 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पायद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

वर्णनें कि भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम छीनिपुर तहसील करेरा जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	379	0.200
2.	377/2	0.062
3.	378	0.357
4.	376	0.052
5.	375	0.105
6	373	0.418
7.	372/2	0.130
8	367	0.157
9.	369/2	—
10.	370/2	0.214
11.	365/1	0.157
12.	350/1	0.110
13.	350/2	0.080
14	350/5	0.210
15	350/6	0.190
16.	351	0.100
17.	352	0.150
18.	338	0.100
19.	318	0.418
20	321/1	0.468
21.	277/2	0.468
22.	139/1	0.323
23.	140	0.105
24.	141	0.052
25	147/1	0.055
26.	147/2	0.110
27.	147/3	0.105
28.	147/4	0.052
29	145	0.021
30.	144/1	0.055
31.	144/2	0.052
32.	144/3	0.021
33.	105/935/6	0.468
34.	105/965/7	—
35.	105/965/9	0.084
36	64	0.100
37.	88	0.050
38.	89/1	0.105
39.	89/2	0.105
40.	90	0.073
41.	91	0.063

1	2	3
42.	99/1	0.052
43.	99/3	0.082
4.	92/1/2	0.157
5.	60/4	—
46.	93	0.021
47.	94	0.042
48.	57/1	0.060
49.	57/2	0.120
50.	57/3	—
51.	056	0.031
52.	53/1	0.063
53.	53/2	0.042
54.	53/3	0.052
55.	53/4	0.052
56.	49/1	0.152
57.	49/2	0.152
योग—कुल क्षेत्रफल		7.253

[सं. O-14016/181/85-जी पी]

S.O. 1494.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwar Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Chitipur Tehsil Karera Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	379	0.200
2.	377/2	0.062
3.	378	0.357
4.	376	0.052
5.	375	0.105
6.	373	0.418
7.	372/2	0.130
8.	367	0.157
9.	369/2	
10.	370/2	0.214
11.	365/1	0.157
12.	350/1	0.110
13.	350/2	0.080
14.	350/5	0.210
15.	350/6	0.190
16.	351	0.100
17.	352	0.150
18.	338	0.100
19.	318	0.418
20.	321/1	0.468
21.	277/2	0.468
22.	139/1	0.323
23.	140	0.105
24.	141	0.052
25.	147/1	0.055
26.	147/2	0.110
27.	147/2	0.105
28.	147/4	0.052
29.	145	0.021
30.	144/1	0.055
31.	144/2	0.052
32.	144/3	0.021
33.	105/935/6	0.468
34.	105/965/7	..
35.	105/965/9	0.084
36.	64	0.100
37.	88	0.050
38.	89/1	0.105
39.	89/2	0.105
40.	90	0.073
41.	91	0.063
42.	99/1	0.052
43.	99/3	0.082
44.	92/1/2	0.157
45.	60/4	..
46.	93	0.021
47.	94	0.042
48.	57/1	0.060
49.	57/2	0.120
50.	57/3	..
51.	056	0.031
52.	53/1	0.063
53.	53/2	0.042
54.	53/3	0.052
55.	53/4	0.052
56.	49/1	0.152
57.	49/2	0.152
Total Area		7.253

[No. O-14016/181/85-GP]

का.आ. 1495 :—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड़, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम कुचलोन तहसील करेरा जिला शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्र.सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	638	0.031
2.	639	0.857
3.	642	0.042
4.	614	0.125
5.	612	0.110
6.	602	0.147
7.	597	0.105
8.	596	0.105
9	593	0.167
10	595	—
11	591	0.073
12	592	0.031
13	588	0.021
14.	562	0.272
15.	564/1	0.052
16	564/2	0.136
17.	564/3	0 146
18.	565	—
19.	561/1	0.073
20.	21/3,4,5,6	0.470
21.	35	0.282
22.	36	0.231
23.	64/1	0.015
24.	63	0.131
25.	62	0.188
26.	61/1	0.178
27.	60	0.146
28.	46/3	0.063
29.	109	0.324
30.	110	0.084
31.	106/2	0.110
32.	108	—
33.	116	0.324
34.	117	—
35.	118	0.384
36.	122	0.188
37.	121	0.272
38.	133	0.063
39.	130/1	0.073
40.	131	0.261
41	140	0.314
42.	141	0.010
43.	159/2	0.252
44.	161/1	0.146
45.	171	0.194
46.	59	0.150
47.	563	0.010
48	589	0.030
49	603	0.175
50.	609	0.400
51.	610	0.020
52.	615	0.150
53.	643	0.110
54	644	0.070
55.	704	0.030
56.	705	0.150
57.	640	0.300
58.	627	0.100
योग—कुल क्षेत्रफल		8.891

[म. O-14016/182/85-जी. पं.]

S.O. 1495.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kuchlone Tehsil Karera Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	638	0.031
2.	639	0.857
3.	642	0.042
4.	614	0.125
5.	612	0.110
6.	602	0.147
7.	597	0.105
8.	596	0.105
9.	593	0.167
10.	595	..

1	2	3
11.	594	0 073
12.	592	0.031
13.	588	0.021
14.	562	0.272
15.	564/1	0.052
16.	564/2	0.136
17.	564/3 }	0.146
18.	565 }	—
19.	561/1	0.073
20.	21/3,4,5,6	0.470
21.	35	0.282
22.	36	0.231
23.	64/1	0.015
24.	63	0.131
25.	62	0.188
26.	61/1	0.178
27.	60	0.146
28.	46/3	0.063
29.	109	0.324
30.	110	0.084
31.	106/2 }	0.110
32.	108 }	—
33.	116 }	0.324
34.	117 }	—
35.	118	0.384
36.	122	0.188
37.	121	0.272
38.	133	0.063
39.	130/1	0.073
40.	131	0.261
41.	149	0.314
42.	141	0.010
43.	159/2	0.252
44.	161/1	0 146
45.	171	0.194
46.	59	0.150
47.	563	0.110
48.	589	0.030
49.	603	0.175
50.	609	0.400
51.	610	0.020
52.	615	0.150
53.	643	0.110
54.	644	0.070
55.	704	0 030
56.	705	0.150
57.	640	0.300
58.	627	0.100
Total Area		8 891

[No. O-14016/182/85-GP]

का ग्रा. 1496 :—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भुमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का ग्रा. सं 3698 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
प्रतापगढ़	कुण्डा	कुण्डा	धिरना खेड़ा	18	0—0—5	
				19	0—11—0	
				36	0-6—0	
				37	0—10—16	
				39	0 13- 16	
				41 एम	0—1- 10	
				63	0- 16- 0	
				64	0—0—5	
				89	0—15- 0	
				90	0—3—0	
				91	0—0—5	
				92	0- 3- 0	
				28	0—0—10	
				29	0—0—15	
				88	0—0—5	
				110	0—1—0	
				111	0—2—10	

[सं. O—14016/155/84-जी पी]

S.O. 1496.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3698 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barreilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana.	Village.	Plot No.	Area Acquired	Remaraks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Purwa	Dhirji Kheda	18	0–0–5	
				19	0–11–0	
				36	0–6–0	
				37	0–10–16	
				39	0–13–16	
				41M	0–1–10	
				63	0–16–0	
				64	0–0–5	
				89	0–15–0	
				90	0–3–0	
				91	0–0–5	
				92	0–3–0	
				28	0–0–10	
				29	0–0–15	
				88	0–0–5	
				110	0–1–0	
				111	0–2–10	

[No. O-14016/155/84-G.P.]

का. आ. 1497.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ. 3781 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम् की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा स.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	भवानीपुर	1470	0-7-0	
				1471	0-4-0	
				1472	0-6-0	
				1473	0-4-0	
				1478	0-1-10	
				1479	0-3-10	
				1480/2	0-11-0	
				1480/4	0-12-0	
				1480/6	1-0-0	
				1503	0-8-0	
				1504	0-1-0	
				1506/2	0-1-10	
				1506/3	0-9-0	
				1474	0-1-0	

[स. O-14016/171/84—ज. प.]

S.O. 1497.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Peroleum S.O. 3781 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Cenral Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited.

SCHEDULE

Hajira Barielly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt	Pargana	Tahsil	Village	Plot No.	Area acquirerd	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purwa	Purwa	Bhawany pur	1470	0–7–0	
				1471	0–4–0	
				1472	0–6–0	
				1473	0–4–0	
				1478	0–1–10	
				1479	0–3–10	

1	2	3	4	5	6	7
				1480/2	0-11-0	
				1480/4	0-12-10	
				1480/6	1-0-0	
				1503	0-8-0	
				1504	0-1-0	
				1506/2	0-1-10	
				1506/3	0-9-0	
				1474	0-1-0	
				942	0-2-14	
				943	0-3-4	
				944	0-1-15	
				947	0-1-15	
				948	0-1-4	
				914	0-0-6	
				921	0-0-12	
				1396	0-5-12	
				1397	0-12-6	
				1398	0-3-0	
				1399	0-7-13	

[No. O-14016/171/84-GP]

का.आ. 498.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम, विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 3695 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है करती कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	उन्नाव	हरहा	मरोई	857	0-15-00	
				870	1-0-14	
				871	1-4-12	
				877	1-1-12	
				878	2-15-0	
				923	1-10-2	
				922	0-2-0	
				919	0-1-4	
				915	0-1-16	
				924	0-1-08	
				925	0-2-19	
				935	0-4-14	
				934	0-0-18	
				936	0-3-6	
				937	0-1-2	

[सं. O-14016/152/84—जी पी]

S.O. 1498.—Whereas by notification of the Govt. of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3695 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareily Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Harha	Maroi	857	0-15-00	
				870	1-0-14	
				871	1-4-12	
				877	1-1-12	
				878	2-15-0	
				923	1-10-2	
				922	0-2-0	
				919	0-1-4	
				915	0-1-16	
				924	0-1-08	
				925	0-2-19	
				935	0-4-14	
				934	0-0-18	
				936	0-3-6	
				937	0-1-2	

1	2	3	4	5	6	7
				942	0-2-14	
				943	0-3-4	
				944	0-1-15	
				947	0-1-15	
				948	0-1-4	
				914	0-0-6	
				921	0-0-12	
				1396	0-5-12	
				1397	0-12-6	
				1398	0-3-0	
				1399	0-7-13	

[No. O-14016/152/84-GP]

का.आ. यत. 1499—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपभोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. स. 3744 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	रकबा विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	टीकाखुर्द	37	1-4-10	
				38	0-8-0	
				39	0-3-0	
				41	0-1-10	
				42/2	0-11-0	
				43	1-11-00	
				44	0-4-0	
				45	0-2-0	
				140	0-12-0	
				144	0-5-0	
				149	0-1-0	
				150	0-10-0	
				151	0-2-0	
				152	0-6-0	
				153	0-3-0	
				161	0-2-0	
				162	0-9-0	
				165/1	0-6-0	
				163	0-2-0	
				165/4	0-7-0	
				167/6	0-0-10	
				167/7	0-13-0	
				169	0-19-0	
				170	0-1-0	
				160	0-0-5	
				174	0-1-0	

[म. O-14016/60/84-जी पी]

S.O. 1499.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3744 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User) in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering he said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Centra Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Pargana	Tehshil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unano	Purwa	Purwa	Tiberkhur	37	1-4-10	
				38	0-8-0	
				39	0-3-0	
				41	0-1-10	
				42/2	0-11-0	
				43	1-11-00	
				44	0-4-0	
				45	0-2-0	
				140	0-12-0	
				144	0-5-0	
				149	0-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				150	0–10–0	
				151	0–2–0	
				152	0–6–0	
				153	0–3–0	
				161	0–2–0	
				162	0–9–0	
				165/1	0–6–0	
				163	0–2–0	
				165/4	0–7–0	
				167/6	0–0–10	
				167/7	0–13–0	
				169	0–19–0	
				170	0–1–0	
				160	0–0–5	
				174	0–1–0	

[No. O-14016/60/84-GP]

का. आ. 1500—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3745 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गा सं.	लिया गया खाता	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	उन्नाव	हवेहा	सेमरी-मश्रा	55	0–0–2	
				56	0–16–0	
				57	0–2–10	
				58	0–3–10	
				64	0–0–2	
				66	0–0–15	
				67	0–11–0	
				70	0–0–5	
				71	0–0–2	
				72	0–0–5	
				73	1–4–0	
				74	0–5–10	
				75	0–0–5	
				174	0–6–0	
				175	0–0–5	
				176	0–10–0	
				177	0–2–0	
				180	0–9–0	
				221	0–13–0	
				227	0–7–0	
				253	1–0–0	
				258	0–5–10	
				262	0–14–0	
				272	0–0–15	
				273	0–1–0	
				274	0–3–0	
				275	0–4–0	
				276	0–7–0	
				279	0–4–0	
				315	0–11–10	
				318	0–16–0	
				320	0–10–0	
				321	0–2–0	
				324	0–2–0	
				325	0–7–0	
				326	0–5–0	
				327	0–5–0	
				330	0–1–0	
				332	0–12–0	
				355	0–6–0	
				356	0–2–0	
				357	1–12–0	
				518	0–11–0	
				519	0–3–0	
				520	0–2–0	
				521	0–1–0	
				522	0–11–0	
				523	0–3–0	
				525	1–3–0	
				527	0–9–0	
				528	0–7–0	
				529	0–1–10	
				65	0–0–15	
				171	0–0–5	
				172	0–0–5	
				309	0–0–15	
				322	0–0–12	

[सं. O-14016/62/84—जी. पी.]

S.O. 1500.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3745 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1952), the Central

Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barrily Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehshil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquried	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Herha	Semri-mau	55	0-0-2	
				56	0-16-0	
				57	0-2-10	
				58	0-3-10	
				64	0-0-2	
				66	0-0-15	
				67	0-11-0	
				70	0-0;5	
				71	0-0-2	
				72	0-0-5	
				73	1-4-0	
				74	0-5-10	
				75	0-0-5	
				174	0-6-0	
				175	0-0-5	
				176	0-10-0	
				177	0-0-2	
				180	0-9-0	
				221	0-13-0	
				227	0-7-0	
				253	1-0-0	
				258	0-5-10	
				262	0-14-0	
				272	0-0-15	
				273	0-1-0	
				274	0-3-0	
				275	0-4-0	
				276	0-7-0	
				279	0-4-0	
				315	0-11-10	
				318	0-16-0	
				320	0-10-0	
				321	0-2-0	
				324	0-2-0	
				325	0-7-0	
				326	0-5-0	
				327	0-5-0	
				330	0-1-0	
				332	0-12-0	
				355	0-6-0	
				356	0-2-0	
				357	2-12-0	
				518	0-11-0	
				519	0-3-0	
				520	0-2-0	
				521	0-1-0	
				522	0-11-0	
				523	0-3-0	
				525	1-3-0	
				527	0-9-0	
				528	0-7-0	
				529	0-1-10	
				65	0-0-15	
				171	0-0-5	
				172	0-0-5	
				309	0-0-15	
				322	0-0-12	

[No. O-14016/62/84-GP]

का. आ. 1501—अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3743 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लाट सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	सलागर	50	0-1-00	
				46/4	0-10-11	
				45	0-1-16	
				44	1-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				76	0–19–0	
				75	0–0–9	
				77	0–10–0	
				89	1–8–0	
				90	0–6–0	
				88	0–1–8	
				99	0–0–12	
				91	1–1–16	
				92	0–1–16	
				97	0–1–7	
				93	1–8–6	
				94	0–10–16	
				125	0–1–8	
				126	0–10–16	
				179	1–2–4	
				176	1–2–4	
				175	1–16–0	
				173	0–0–18	
				236	0–0–10	
				238	1–0–0	
				248	1–12–0	
				249	0–16–0	
				259	2–12–0	
				261	0–7–0	

[सं. O-14016/56/84-जी. पी.]

S.O. 1501.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3743 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barrily Jagdeshpur Pipeline Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Herha	Sarwa-ger	50	0-1-00	
				46/4	0-10-11	

1796 GI/84—5.

1	2	3	4	5	6
				45	0–1–16
				44	1–1–0
				76	0–19–0
				75	0–0–9
				77	0–10–0
				89	1–8–0
				90	0–6–0
				88	0–1–8
				99	0–0–12
				91	1–1–16
				92	0–1–16
				97	1–1–7
				93	1–8–6
				94	0–10–16
				125	0–1–8
				126	0–10–16
				179	1–2–4
				176	1–2–4
				175	1–16–0
				173	0–0–18
				236	0–0–10
				238	1–0–0
				248	1–12–0
				249	0–16–0
				259	2–12–0
				261	0–7–0

[No. O-14016/56/84-GP]

का.आ. 1502.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 3741 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं०	खाता	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	हरहा	उन्नाव	चपरी-शाहपुर	764	0-5-15	
				765	0-7-6	
				766	0-5-10	
				767	0-8-0	
				768	0-3-5	
				812	0-6-7	
				813	1-12-0	
				844	0-15-0	
				843	0-14-0	
				828	0-2-3	
				841	0-0-10	
				842	0-8-0	
				912	0-7-2	
				911	0-5-11	
				913	0-15-0	
				910	0-0-15	
				908	0-1-0	
				914	0-4-3	
				916	0-2-0	
				917	0-8-0	
				846	0-0-10	
				845	0-4-0	
					0-3-12	
				918	0-4-0	

[सं० O-14016/57/84-जीपी]

S.O. 1502.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3741 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barrily Jagdesh pur Pipe line Project

Distt.	Pargana	Tehseel	Village	Plot No.	Area acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Herha	Unnao	Chapri-Shahpur	764	0-5-15	
				765	0-7-6	
				766	0-5-10	
				767	0-8-0	
				768	0-3-5	
				812	0-6-7	
				813	1-12-0	
				844	0-15-0	
				843	0-14-10	
				828	0-2-3	
				841	0-0-10	
				842	0-8-0	
				912	0-7-2	
				911	0-5-11	
				913	0-15-0	
				910	0-0-15	
				908	0-1-0	
				914	0-4-3	
				916	0-2-0	
				917	0-8-0	
				846	0-0-10	
				845	0-4-0	
					0-3-12	
				918	0-4-0	

[No. O-14016/57/84-GP]

का.आ. 1503 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3482 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं०	खाता विवरण
1	2	3	4	5	6 7
उन्नाव	हरहा	उन्नाव	अचल-	189	0–14–0
			गंज	188	0–13–15
			सकोरा	182	0–16–0
				181	0–0–10
				183	0–015
				186	0–18–10
				173	0–15–0
				172	0–14–0
				171	0–16–15
				166	0–5–0
				50	0–8–5
				11	0–2–0
				12	0–3–0
				10	0–2–5
				9	0–2–0
				8	0–0–10
				7	0–0–10
				13	0–17–10
				15	0–2–10
				16	0–3–0
				36	0–12–10
				34	0–14–0
				26	1–8–0
				167	0–0–10
				6	0–0–5

[सं० O-14016/94/84-जी पी]

S.O. 1503.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3482 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances

SCHEDULE

Hajira Barielly Jagdishpur Pipe line project.

Distt.	Pargana	Tehseel	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Herha	Unnao	Anchal-	189	0–14–0	
			ganj	188	0–13–15	
			Sakora	182	0–16–0	
				181	0–0–10	
				183	0–0–15	
				186	0–18–10	
				173	0–15–0	
				172	0–14–0	
				171	0–16–15	
				166	0–5–0	
				50	0–8–5	
				11	0–2–0	
				12	0–3–0	
				10	0–2–5	
				9	0–2–0	
				8	0–0–10	
				7	0–0–10	
				13	0–17–10	
				15	0–2–10	
				16	0–3–0	
				36	0–12–10	
				34	0–14–0	
				26	1–8–0	
				167	0–0–10	
				6	0–0–5	

[No. O-14016/94/84-GP]

का आ 1504.—अतः पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3665 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिर नरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं०	कियागया व्यय	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	गदरवा	93	0-16-10	
				94	0-12-10	
				96	0-2-10	
				99	0-3-0	
				104	1-0-0	
				105	0-4-0	
				110	0-3-10	
				112	0-1-10	
				113	0-8-0	
				114	0-0-7	
				117	0-5-8	
				119	0-12-0	
				121	0-3-0	
				124	0-8-5	
				125	0-5-10	
				126	0-0-5	
				264	0-12-5	
				267	0-0-8	
				268	0-10-5	
				269	0-0-12	
				270	0-6-5	
				92	0-0-5	
				271	0-7-0	

[सं O-14016/54/84-जी पी]

SCHEDULE

Hajira Barriely Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purwa	Purwa	Gadarwa	93	0-16-10	
				94	0-12-10	
				96	0-2-10	
				99	0-3-0	
				104	1-0-0	
				105	0-4-0	
				110	0-3-10	
				112	0-1-10	
				113	0-8-0	
				114	0-0-7	
				117	0-5-8	
				119	0-12-0	
				121	0-3-0	
				124	0-8-5	
				125	0-5-10	
				126	0-0-5	
				264	0-12-5	
				267	0-0-8	
				268	0-10-5	
				269	0-0-11	
				270	0-6-5	
				92	0-0-5	
				271	0-7-0	

[No. O-14016/54/84-GP]

S.O. 1504.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3665 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schendule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

का०आ० 1505.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3760 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य-गुजरात जिला-एवं-तालुका- भरुच

गांव	ब्लाक नं०	हक्टेयर	आर	सेंटियर
करमाली	49	0	04	00
	50	0	37	60
	51	0	28	00
	53	0	81	60

[सं० O-14016/120/84-जी पी]

S.O. 1505.—Whereas by notification of the Government of India in the Department of Petroleum S.O. 3760 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that noification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification henreby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Karmali	49	0	04	00
	50	0	37	60
	51	0	28	00
	53	0	81	60

[No. O-14016/120/84-GP]

का.आ. 1506:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ सं. 3465 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	बिभुन खेड़ा	5	0—6—0	
				6	0—9—0	
				7	0—2—0	
				9	0—8—0	
				10	0—11—0	
				11	0—1—0	
				17	0—2—0	
				18	0—12—0	
				20	0—16—0	
				21	0—8—0	
				22	0—0—5	

[सं० O-14016/11/84-जीपी]

S.O. 1506.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3465 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purwa	Purwa	Bishun Kheda	5	0-6-0	
				6	0-9-0	
				7	0-2-0	
				9	0-8-0	
				10	0-11-0	
				11	0-1-0	
				17	0-2-0	
				18	0-12-0	
				20	0-16-0	
				21	0-8-0	
				22	0-0-5	

[No. O-14016/11/84-GP]

का.आ. 1507.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का (अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4552 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देशन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहल तालुका-हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
ईटवाडी	208/1	0	27	00
	208/2	0	00	25
	62/3	0	11	25
	62/4	0	22	75
	62/2	0	16	00
	61/1	0	14	35
	64	0	31	00
	65	0	00	25
	72/3	0	15	30
	72/2	0	03	50
	71/2/1	9	24	00
	71/1	0	31	50
	70/2/2	0	26	75
	69/2	0	46	50
	70/1	0	00	60
	69/1	0	54	00
	50/2	0	01	26
	50/1	0	25	65
	49	0	22	00
	51/1	0	02	88
	48/2	9	01	00
	53/3	0	20	78
	53/4	0	00	08
	53/2/2	0	13	60
	53/2/1	0	08	60
	53/1	0	00	30
	54	0	05	80
	27/1/6	0	04	00
	27/1/5	0	03	00
	27/1/4	0	03	00
	27/1/3	0	03	00
	27/1/2	0	04	00
	27/1/4	0	04	00
	27/2	0	02	60
	13/2	0	07	87
	13/1	0	12	13
	12/2	0	18	08
	12/1	0	03	06
	12/3	0	15	26
	9/1	0	02	70
	12/4	0	12	00
	11	0	01	00
	9/2	0	04	30
	10/1	0	26	13
	10/2	0	00	33
	6/2	0	27	80
	6/1	0	05	00

[सं० O-14016/455/84-जी पी]

S.O. 1507.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4552 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmanal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Itwadi	208/1	0	27	00
	208/2	0	00	25
	62/3	0	11	25
	62/4	0	22	75
	62/2	0	16	00
	61/1	0	14	35
	64	0	31	00
	65	0	00	25
	72/3	0	15	30
	72/2	0	03	50
	71/2/1	0	24	00
	71/1	0	31	50
	70/2/2	0	26	75
	69/2	0	46	50
	70/1	0	00	60
	69/1	0	54	00
	50/2	0	01	26
	50/1	0	25	65
	49	0	22	00
	51/1	0	02	88
	48/2	0	01	00
	53/3	0	20	78
	53/4	0	00	08
	53/2/2	0	13	60
	53/2/1	0	08	60
	53/1	0	00	30
	54	0	05	80
	27/1/6	0	04	00
	27/1/5	0	03	00
	27/1/4	0	03	00
	27/1/3	0	03	00
	27/1/2	0	04	00
	27/1/1	0	04	00
	27/2	0	02	60
	13/2	0	07	87
	13/1	0	12	13
	12/2	0	18	08
	12/1	0	03	06
	12/3	0	15	26
	9/1	0	02	70
	12/4	0	12	00
	11	0	01	00
	9/2	0	04	30
	10/1	0	26	13
	10/2	0	00	33
	6/2	0	27	80
	6/1	0	05	00

[No. O-14016/45 5/84-GP]

का.आ. 1508:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3931 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पाइपलाइन

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहल तहे-हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
वासेती	92	0	37	00
	93	0	34	00

[स. O-14016/270/84-जी पी]

S.O. 1508.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3931 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Vaseti	92	0	37	00
	93	0	34	00

[No. O-14016/270/84-GP]

का.आ. 1509—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4551 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे,, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी और भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहाल तालुका-हालोल

गांव		हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
अभेटवा	128	0	39	00
	129	1	00	00
	139	0	30	00
	135	0	03	00
	138	0	36	00
	142	0	02	00
	110	0	50	00
	111	0	14	00
	109	0	22	00
	108	0	00	50
	107	0	59	00
	106/बी	0	19	00

[सं. O-14016/454/84-जी पी]

S.O. 1509.— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4551 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Abhetwa	128	0	39	00
	129	1	00	00
	139	0	30	00
	135	0	03	00
	138	0	36	00
	142	0	02	00
	110	0	50	00
	111	0	14	00
	109	0	22	00
	108	0	00	50
	107	0	59	00
	106/B	0	19	00

[No. O-14016/454/84-GP]

का.आ० 1510:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4558 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहल तालुका-कालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटयर
मलाव	221/1/ए/30	0	19	00
	221/1/ए/41	0	02	00
	221/1/ए/51	0	32	00
	221/1/ए/61	0	12	00
	221/1/ए/60	0	21	00
	221/1/ए/71	0	34	00
	221/1/ए/70	0	10	00
	221/1/ए/81	0	15	00
	221/1/ए/80	0	16	00
	221/1/ए/83	0	08	00
	221/1/ए/91	0	05	00
	221/1/ए/79	0	01	00
	221/1/ए/90	0	19	00
	221/1/ए/99	0	17	00
	221/1/ए/98	0	03	00
	221/1/ए/106	0	01	00
	221/1/ए/105	0	21	00
	221/1/ए/112	0	22	60
	221/1/ए/111	0	00	00
	221/1/ए/120	0	05	00
	221/1/ए/119	0	16	00
	221/1/ए/127	0	07	00
	221/1/ए/126	0	26	00
	221/1/ए/133	0	07	00
	221/1/ए/138	0	29	00
	221/1/ए/142/पी	0	33	00
	221/1/ए/142/पी	0	24	00

[सं. O-14016/461/84-जी पी]

S.O. 1510.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4558 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rght of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Barellly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Malav	221/1/A/30	0	19	00
	221/1/A/41	0	02	00
	221/1/A/51	0	32	00
	221/1/A/61	0	12	00
	221/1/A/60	0	21	00
	221/1/A/71	0	34	00
	221/1/A/70	0	10	00
	221/1/A/81	0	15	00
	221/1/A/80	0	16	00
	221/1/A/83	0	08	00
	221/1/A/91	0	05	00
	221/1/A/79	0	01	00
	221/1/A/90	0	19	00
	221/1/A/99	0	17	00
	221/1/A/98	0	03	00
	221/1/A/106	0	01	00
	221/1/A/105	0	21	00
	221/1/A/112	0	22	00
	221/1/A/111	0	00	60
	221/1/A/120	0	05	00
	221/1/A/119	0	16	00
	221/1/A/127	0	07	00
	221/1/A/126	0	26	00
	221/1/A/133	0	07	00
	221/1/A/138	0	29	00
	221/1/A/142/P	0	33	00
	221/1/A/142/P	0	24	00

[No. O-14016/461/84-GP

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का. आ. 1511:—यत :, पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2391 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यत :, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है ।

अब, अत, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला—बडोदरा तालुका—करजण

गांव नं०	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कोठाव	95	0	10	56
	96	0	09	12
	97	0	20	64
	98	0	18	88
	99	0	07	04
	100	0	17	76
	91	0	22	56
	103	0	04	64
	90/1	0	00	16
	89	0	24	64
	88/2	0	09	44
	87	0	33	76
	86	0	01	44
	116	0	00	16
	119	0	21	12
	67	0	15	84
	66/1/P	0	07	68
	66/1/P 66/2/P 66/2/P	0	39	68
	123/9	0	03	04
	123/10	0	13	12
	123/11	0	10	40
	123/12	0	13	12
	123/13/A	0	16	00
	123/13/B	0	08	00
	125	0	08	96
	126	0	11	04
	127	0	09	60
	128	0	04	80
	129	0	14	56
	130	0	14	72
	131	0	11	36
	132	0	03	04
	138	0	19	20
	137/1/2	0	04	00
	35 36/1/2	0	36	24
	26	0	04	00
	27/1	0	10	72
	27/2	0	11	04
	27/3	0	11	20
	27/4	0	12	00
	27/5	0	11	36
	28/1	0	20	80
	28/2	0	45	76
	28/3	0	00	08
	16	0	60	80
	10	0	04	80
	11	0	21	60
	12	0	16	48
	13	0	00	32
	8	0	00	80
	9/1	0	19	68
	9/2/P	0	14	72
	375	0	05	12

[सं. O-14016/58/84-जी. पी.]

New Delhi, 2nd April, 1985

S.O. 1511.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2391 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appened to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authoriy of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kothav	95	0	10	56
	96	0	09	12
	97	0	20	64
	98	0	18	88
	99	0	07	04
	100	0	17	76
	91	0	22	56
	103	0	04	64
	90/1	0	00	16
	89	0	24	64
	88/2	0	09	44
	87	0	33	76
	86	0	01	44
	116	0	00	16
	119	0	21	12
	67	0	15	84
	66/1/P	0	07	
	66/1/P 66/2/P 66/2/P	0	39	68 68
	123/9	0	03	04
	123/10	0	13	12
	123/11	0	10	40
	123/12	0	13	12
	123/13/A	0	16	00
	123/13/B	0	08	00
	125	0	08	96
	126	0	11	04
	127	0	09	60
	128	0	04	80
	129	0	14	56
	130	0	14	72
	131	0	11	36
	132	0	03	04
	138	0	19	20
	137/1/2	0	04	00
	35 36/1/2	0	36	24
	26	0	04	00
	27/1	0	10	72
	27/2	0	11	04
	27/3	0	11	20
	27/4	0	12	00
	27/5	0	11	36
	28/1	0	20	80
	28/2	0	45	76
	28/3	0	00	08
	16	0	60	80
	10	0	04	80
	11	0	21	60
	12	0	16	48
	13	0	00	32
	8	0	00	80
	9/1	0	19	68
	9/2/P	0	14	72
	375	0	05	12

[No. O-14016/58/84-GP]

का०आ० 1512:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 875 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
नियामतपुर	8	0	03	56
	9	0	35	35
	22	0	39	20
	67	0	19	60
	66	0	02	38

1	2	3	4	5
	63	0	03	67
	62	0	29	95
	64	0	09	99
	59	0	40	39
	58	0	34	16
	52	0	37	72
	49	0	16	93
	48	0	10	39
	76	0	20	77
	77	0	15	24
	61	0	02	42
	78	0	06	90
	75	0	03	12
	21	0	01	19

[सं. O-14016/91/85-जी. पी.]

S.O. 1512.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 875 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Niyamatpur	8	0	03	56
	9	0	35	35
	22	0	39	20
	67	0	19	60
	66	0	02	38
	63	0	03	67
	62	0	29	95
	64	0	09	99
	59	0	40	39
	58	0	34	16
	52	0	37	72
	49	0	16	93
	48	0	10	39
	76	0	20	77
	77	0	15	24
	61	0	02	42
	78	0	06	90
	75	0	03	12
	21	0	01	19

[No. O-14016/91/85-GP]

का०आ० 1513—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 877 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः अक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा न.	हेक्टयर	आर	सेन्टीआर
खोपर	39	0	02	38
	40	0	05	35
	41	0	17	23

1	2	3	4	5
	43/475	0	01	06
	43/476	0	80	01
	45	0	50	38
	46	0	04	75
	112	0	36	18
	434	0	04	75
	419	0	17	23
	418	0	00	78
	420	1	16	53
	423	0	45	44
	416	0	19	01
	424	0	21	09
	449	0	23	11
	450	0	52	27
	451	0	25	84
	452	0	00	08
	448	0	16	34
	111	0	00	35
	47	0	07	13
	48	0	00	71
	453	0	06	45
	425	0	05	10

[सं. O-14016/94/85-जी. पी.]

S.O. 1513.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 877 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Govrnment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District Kota Tehsil Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Khopar	39	0	02	38
	40	0	05	35
	41	0	17	23
	43/475	0	01	06
	43/476	0	80	01
	45	0	50	38
	46	0	04	75
	112	0	36	18
	434	0	04	75
	419	0	17	23
	418	0	00	78
	420	1	16	53
	423	0	45	44
	416	0	19	01
	424	0	21	09
	449	0	23	11
	450	0	52	27
	451	0	25	84
	452	0	00	08
	448	0	16	34
	111	0	00	35
	47	0	07'	13
	48	0	06	71
	453	0	00	45
	425	0	05	10

[No. O-14016/94/85-GP]

का.आ. 1514:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ. सं. 878 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा न.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
हनुवंत खेड़ा	134	0	55	64
	135	0	45	14
	136	0	45	14
	141	0	03	71
	142	0	42	95
	143	0	31	60
	132	0	49	01
	133	0	24	65
	134/450	0	00	20
	138	0	07	72

[सं. O-14016/95/85-जी. पी.]

S.O. 1514.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 878 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ·

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;·

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Hanwant Kheda	134	0	55	64
	135	0	45	14
	136	0	45	14
	141	0	03	71
	142	0	42	95
	143	0	31	60
	132	0	49	01
	133	0	24	65
	134/450	0	00	20
	138	0	07	72

[No. O-14016/95/85-GP]

का. आ. 1515.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 879 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित किर दिया था ।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाये भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजय पुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : राजस्थान, जिला : कोटा, तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
पीपल्या	222	0	11	11
	223	0	64	45
	224	0	17	82
	225	0	07	13
	226	0	05	64
	230	0	03	27
	240	0	23	64
	241	0	33	30
	238	0	60	70
	237	0	00	08
	235	0	23	30
	234	0	39	32
	320	0	14	60
	322	0	06	88
	321	0	45	61

[सं. O-14016/96/85-जी. पी.]

S.O. 1515.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 879 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in he said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Piplva	222	0	11	11
	223	0	64	45
	224	0	17	82
1	2	3	4	5
	225	0	07	13
	226	0	05	64
	230	0	03	27
	240	0	23	64
	241	0	33	30
	238	0	60	70
	237	0	00	08
	235	0	23	30
	234	0	39	32
	320	0	14	60
	322	0	06	88
	321	0	45	61

[No. O—14016/96/85-G.P.]

का. आ. 1516.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3680 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—एवं—तालुका—भरूच

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
करजण	37	0	24	80
	कार्ट ट्रेक	0	05	20
	38	0	08	64

1	2	3	4	5
	40	0	42	40
	41	0	02	72
	62	0	02	72
	61	0	16	00
	63	0	16	80
	64	0	14	40
	65	0	13	76
	58	0	43	68
	57	0	20	00
	कार्ट ट्रेक	0	05	95
	114	0	52	80
	117	0	32	00
	122	0	28	80
	123	0	18	40

[सं. O-14016/117/84-जी. पी.]

S.O. 1516.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3680 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government heerby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3		4
Karjan	37	0	24	80
	Cart Track	0	05	20
	38	0	08	64
	40	0	42	40
	41	0	02	72
	62	0	02	72
	61	0	16	00
	63	0	16	80
	64	0	14	40
	65	0	13	76
	58	0	43	68
	57	0	20	00
	Cart Track	0	05	95
	114	0	52	80
	117	0	32	00
	122	0	28	80
	123	0	18	40

[No. O—14016/117/84—GP]

का. आ. 1517.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा न.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
1	2	3	4	4
श्रीपुरा	130	0	18	15
	137	0	08	56
	241/133	0	03	00
	131	0	04	95
	134	0	13	50
	135	0	26	40

1	2	3	5	4
	152	0	17	34
	151	0	25	80
	154	0	13	80
	155	0	59	10
	156	0	17	10
	161	0	39	45
	162	0	05	25
	171	0	45	90
	174	0	34	20
	172	0	50	25
	159	0	14	70
	150	0	00	06
	129	0	02	40
	133	0	03	90

[स. O-14016/184/85-जी. पी.]

S.O. 1517.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M. P.) to Sawai Madhlopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Shree Pura	130	0	18	15
	135	0	08	55
	241/133	0	03	00
	131	0	04	95
	134	0	13	50
	135	0	26	40
	152	0	17	34
	151	0	25	80
	154	0	13	80
	155	0	59	10
	156	0	17	10
	161	0	39	45
	162	0	05	25
	171	0	45	90
	174	0	34	20
	172	0	50	25
	159	0	14	70
	150	0	00	06
	129	0	02	40
	133	0	03	90

[No. O—14016/184/85-G.P.]

का. आ. 1518.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49 इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतय यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
1	2	3	4	5
प्रेमपुरा	8	0	08	40
	10	0	40	24
	9	0	33	60
	107	0	13	95
	133	0	64	31
	131	0	37	50

1	2	3	4	5
	121	0	00	16
	132	0	33	11
	130	0	02	89
	128	1	04	39
	126	0	06	24
	127	0	29	46
	179	0	04	86
	223	0	06	24
	224	0	33	06
	593/179	0	00	24
	225	0	35	12
	227	0	23	18
	228	1	77	17
	214	0	30	90
	210	0	03	45
	422	0	05	18
	229	0	09	60
	411	1	53	45
	416	0	50	70
	415	0	24	00
	417	0	40	50
	420	0	60	15
	421	0	27	37
	433	0	53	40
	572	0	15	60
	423	0	17	70
	424	0	12	12
	425	0	00	10
	226	0	04	10
	212	0	00	28
	545	0	29	40
	544	0	22	80

[सं. O-14016/185/85-जी. पी.]

S.O. 1518.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Prempura . . .	8	0	08	40
	10	0	40	24
	9	0	33	60
	107	0	13	95
	133	0	64	31
	131	0	37	50
	121	0	00	16
	132	0	33	11
	130	0	02	89
	128	1	04	39
	126	0	06	24
	127	0	29	46
	179	0	04	86
	223	0	06	24
	224	0	33	06
	593/179	0	00	24
	225	0	35	12
	227	0	23	18
	228	1	77	17
	214	0	30	90
	210	0	03	45
	422	0	05	18
	229	0	09	60
	411	1	53	45
	416	0	50	70
	415	0	24	00
	417	0	40	50
	420	0	60	15
	421	0	27	37
	433	0	53	40
	572	0	15	60
	423	0	17	70
	424	0	12	12
	425	0	00	10
	226	0	04	10
	212	0	00	28
	545	0	29	40
	544	0	22	80

[No. O—14016/185/85-G.P.]

का.आ. 1519.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान, जिला : कोटा, तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीयर
अयानी	529	0	18	18
	530	0	03	90
	534	0	32	66
	533	0	40	20
	528	0	00	20
	531	0	39	30

[सं. O-14016/186/85-जीपी]

S.O. 1519.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M. P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Ayani	529	0	18	18
	530	0	03	90
	534	0	32	66
	533	0	40	20
	528	0	00	20
	531	0	39	30

[No O-14016/186/85-GP[

का. आ. 1520.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
ग्योपुरा	102	0	41	40
	104	0	12	62
	108/203	0	31	86
	108	0	71	76
	108/221	0	00	16
	137	0	60	56
	136	0	53	92
	158	0	29	07
	159	0	77	85
	161	0	62	46
	160	0	15	60
	169	0	03	45
	170	0	73	63
	173	0	04	20
	172	0	83	75
	180	0	02	16
	166	0	06	75

[सं. O-14016/187/85-जीपी]

S.O. 1520.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline, Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil: Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Shyo Pura . .	102	0	41	40
	104	0	12	62
	108/203	0	31	86
	108	0	71	76
	108/221	0	00	16
	137	0	60	56
	136	0	53	92
	158	0	29	07
	159	0	77	85
	161	0	62	46
	160	0	15	60
	169	0	03	45
	170	0	73	63
	173	0	04	20
	172	0	83	75
	180	0	02	16
	166	0	36	75

[No. O—14016/187/85—GP]

का. आ. 1521.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
अयाना	121	0	13	68
	128/1563	0	18	90
	128	0	08	40
	130	0	35	35
	129	0	01	60
	131	0	41	35
	132	0	16	20
	126	0	10	80
	147	0	07	40
	148	0	10	50
	125	0	02	40
	149	0	08	61
	146	0	04	50
	145	0	52	39
	151	0	00	20
	152	0	31	90

[सं. O-14016/188/85-जीपी]

S.O. 1521.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Ayana	121	0	13	68
	128/1563	0	18	90
	128	0	08	40
	130	0	35	35
	129	0	01	60
	131	0	41	35
	132	0	16	20
	126	0	10	80
	147	0	07	40
	148	0	10	50
	125	0	02	40
	149	0	08	61
	146	0	04	50
	145	0	52	39
	151	0	00	20
	152	0	31	90

[No. O -14016/188/85—GP]

का. आ. 1522.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
रघुनाथपुरा	36	0	78	30
	39	0	06	00
	38	0	09	30
	37	0	02	22

[सं. O-14016/189/85-जीपी]

S.O. 1522.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur;

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Raghunathpura	36	0	78	30
	39	0	06	00
	38	0	09	30
	37	0	02	22

[No. O-14016/189/85-GP]

का. आ. 1523.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962

का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
कांकरा	120	0	02	40
	128	0	46	20

[सं. O–14016/190/85–जीपी]

S.O. 1523.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection, shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipura (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Kankara	120	0	02	40
	128	0	46	20

[No. O-14016/190/85-GP]

का. आ. 1524.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
उम्मेदपुरा	107	0	30	00
	108	0	30	90
	109/134	0	07	80
	109	0	48	00
	110	0	17	70
	164	0	04	20
	169	0	13	20
	170	0	04	20
	171	0	07	20

[सं. O–14016/191/85–जीपी]

S.O. 1524.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Ummed Pura	107	0	30	00
	108	0	30	90
	109/134	0	07	80
	109	0	48	00
	110	0	17	70
	164	0	04	20
	169	0	13	20
	170	0	04	20
	171	0	07	20

[No. O—14016/191/85—GP]

का. आ. 1525:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी. एण्ड एम. प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
कुश्या	10	0	01	34
	8	0	14	41
	9	0	01	08
	7	0	01	77
	5	0	06	00
	4	0	00	30

[सं. O-14016/192/85—जीपी]

S.O. 1525.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of the user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Thehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Kushya	10	0	01	34
	8	0	14	41
	9	0	01	08
	7	0	01	77
	5	0	06	00
	4	0	00	30

[No. O—14016/192/85—GP]

का. आ. 1526:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील . मांगरौल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
श्यामपुरा	342	0	05	25
	340	0	10	80
	333	0	15	75
	332	0	48	15
	330	0	06	21
	327	0	32	22
	322	0	43	68
	150/2	0	16	08
	229	0	07	92
	150/1	0	35	70
	154	0	42	00
	158	0	33	06
	156	0	00	72
	157	0	28	32
	181	0	11	40
	182	0	13	80
	185	0	00	64
	184	0	16	61
	183	0	03	45
	186	0	13	50
	187	0	17	70
	188	0	14	10
	205	0	08	10
	191	0	02	25
	204	0	29	55
	192	0	53	55
	203	0	11	40
	172	0	07	10
	100	0	18	20
	104	0	02	60
	321	0	12	60
	339	0	02	70
	98	0	02	10
	99	0	00	30

[स. O-14016/193/83-जीपी]

S.O. 1526.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Shyam Pura . .	342	0	05	25
	340	0	10	80
	333	0	15	75
	332	0	48	15
	330	0	06	21
	327	0	32	22
	322	0	43	68
	150/2	0	16	08
	229	0	07	92
	150/1	0	35	70
	154	0	42	00
	158	0	33	06
	156	0	00	72
	157	0	28	32
	181	0	11	40
	182	0	13	80
	185	0	00	64
	184	0	16	61
	183	9	03	45

1	2	3	4	5
	186	0	13	50
	187	0	17	70
	188	0	14	10
	205	0	08	10
	191	0	02	25
	204	0	29	55
	192	0	53	55
	203	0	11	40
	172	0	07	10
	100	0	18	20
	104	0	02	60
	321	0	12	60
	339	0	02	70
	98	0	02	10
	99	0	00	30

[No. O—14016/193/85—GP]

का. आ. 1527 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्तेकि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान : जिला : कोटा तहसील : मांगरौल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
पाड़लिया	19	0	06	60
	20	0	94	48
	51	0	14	70
	23	0	14	16
	22	1	05	28
	14	0	00	56
	11	0	34	50
	10	0	53	96
	7	0	12	00
	8	0	45	60
	5	0	33	00
	4	0	07	02
	1	0	05	58
	12	0	00	04

[सं. O—14016/194/85—जीपी]

S.O. 1527.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Padliya . . .	19	0	06	30
	20	0	94	48
	51	0	14	70
	23	0	14	16
	22	1	05	28
	14	0	00	56
	11	0	34	50
	10	0	53	96
	7	0	12	00
	8	0	45	60
	5	0	33	00
	4	0	07	02
	1	0	05	58
	12	0	00	04

[No. O—14016/194/85—GP]

का. आ 1528:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्तेकि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मांगरौल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
1	2	3	4	5
चन्द्रा हेड़ी	139	0	05	94
	138	0	18	84
	137	1	22	28
	103	0	10	84
	104	0	33	60
	72	0	10	50
	74	0	42	35
	73	0	01	45
	47	0	00	12
	48	0	48	90
	39	0	87	00
	40	0	59	40
	17	0	57	84
	18	0	00	96
	16	0	41	34
	21	0	09	60
	14	0	02	30
	10	0	09	14
	11	0	01	76
	7	0	05	42
	6	0	04	40
	12	0	18	28
	15	0	00	36
	105	0	00	80
	8	0	03	00

[सं. O—14016/195/85—जीपी]

S.O. 1528.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Chandra Hedi . .	139	0	05	94
	138	0	18	84
	137	1	22	28
	103	0	10	84
	104	0	33	60
	72	0	10	50
	74	0	42	35
	73	0	01	45
	47	0	00	12
	48	0	48	90
	39	0	87	00
	40	0	59	40
	17	0	57	84
	18	0	00	96
	16	0	41	34
	21	0	09	60
	14	0	02	30
	10	0	09	14
	11	0	01	76
	7	0	05	42
	6	0	04	40
	12	0	18	28
	15	0	00	36
	105	0	00	80
	8	0	03	00

[No. O—14016/195/85—GP]

का. आ. 1529.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्बाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंद्राद्रा कालोनी, सवाई माधापुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
1	2	3	4	5
श्री नाल चक बी	83	0	84	19
	83/94	0	01	00
	65	0	05	00
	68	0	09	00
	81/93	0	17	31
	82	0	04	00
	69	0	13	20
	67	0	00	40
	70/92	0	22	20
	70	0	36	30
	47	0	72	00
	48	0	13	50
	27/87	0	49	06
	25	0	01	04
	24	0	41	10
	21	0	26	40
	20	0	26	28
	6	0	30	60
	7	0	19	80
	8	0	30	30
	9	0	04	00
	10	0	02	00
	12	0	07	50
	19	0	00	42

[सं. O-14016/196/85-जी पी]

S.O. 1529.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Sri Nal Chak B . .	83	0	84	19
	83/94	0	01	00
	65	0	05	00
	68	0	09	00
	81/93	0	17	31
	82	0	04	00
	69	0	13	20
	67	0	00	40
	70/92	0	22	20
	70	0	36	30
	47	0	72	00
	48	0	13	50
	27/87	0	49	06
	25	0	01	04
	24	0	41	10
	21	0	26	40
	20	0	26	28
	6	0	30	60
	7	0	19	80
	8	0	30	30
	9	0	04	00
	10	0	02	00
	12	0	07	50
	19	0	00	42

[No. O-14016/196/85-GP]

का. आ. 1530.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाइपलाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मांगरौल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
श्री नील चकए	90	0	06	90
	89	0	12	30
	87	0	06	76
	88	0	08	32
	83	0	47	08
	84	0	47	64

[सं. O-14016/197/85-जी पी]

S.O. 1530.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Sri Nal Chaka . .	90	0	06	90
	89	0	12	30
	87	0	06	76
	88	0	08	32
	83	0	47	08
	84	0	47	64

[No. O-14016/197/85-GP]

का. आ. 1531.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मागरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
महुआ	201	0	39	30
	194	0	75	06
	192	0	19	20
	191	0	33	50
	197/2	0	03	30
	193	0	00	04

[म. O-14016/198/85-जी पी)]

S.O. 1531.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project 49, India Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Mahuwa . . .	201	0	39	30
	194	0	75	06
	192	0	19	20
	191	0	33	50
	197/2	0	03	30
	193	0	00	04

[No. O-14016/198/85-GP]

का. आ. 1532.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन परियोजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईपलाईन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: मागरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
बोहत	42	0	33	08
	49	0	65	62
	57	0	44	19
	50	0	04	76
	44	0	46	77
	45	0	00	06
	43	0	33	87
	41	0	05	56

[सं. O-14016/199/-85 जी.पी.]

S.O. 1532.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Bohat	42	0	33	08
	49	0	65	62
	57	0	44	19
	50	0	04	76
	44	0	46	77
	45	0	00	06
	43	0	33	87
	41	0	05	56

[No. O-14016/199/85-GP]

का. आ. 1533.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962, का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मागरोल

गाव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
हिंगोनिया	221	0	32	10
	215	0	32	40
	217	1	00	79
	218	0	25	50
	190	0	00	28
	188	0	30	48
	46	0	00	10
	45	0	06	80
	44	0	09	60
	43	0	10	20

[सं. O-14016/200/85-जी. पी.]

S.O. 1533.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therin.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether be wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Hingonia . . .	221	0	32	10
	215	0	32	40
	217	1	00	79
	218	0	25	50
	190	0	00	28
	188	0	30	48
	46	0	00	10
	45	0	06	80
	44	0	09	60
	43	0	10	20

[No. O-14016/200/85-GP]

का. आ. 1534.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
चैनपुरिया	144	0	09	00
	228	0	09	60
	145/2	0	39	60
	145/1	0	24	00
	145/3	0	23	40
	146	0	38	40
	147	0	26	40
	176	0	27	15
	178	0	26	52
	174	0	21	16
	173	0	10	07
	172	0	03	30
	167	0	29	70
	168	0	10	80
	166	0	29	10
	165	0	26	40
	163	0	34	50
	194	0	57	00
	195	0	02	10
	207	0	06	22
	196	0	11	10
	205	0	45	08
	204	0	45	60
	198	0	41	90
	199	0	01	00
	75	0	02	00
	76	0	02	09
	74	0	07	26
	73	0	05	20

[स. O-14016/201/85-जी. पी.]

S.O. 1534.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H B J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur

And every person making such an objection, shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cneti-are
Chainpuria . . .	144	0	09	00
	228	0	09	60
	145/2	0	39	60
	145/1	0	24	00
	145/3	0	23	40
	146	0	38	40
	147	0	26	40
	176	0	27	15
	178	0	26	52
	174	0	21	16
	173	0	10	07
	172	0	03	30
	167	0	29	70
	168	0	10	80
	166	0	29	10
	165	0	26	40
	163	0	34	50
	194	0	57	00
	195	0	02	10
	207	0	06	22
	196	0	11	10
	205	0	45	08
	204	0	45	60
	198	0	41	90
	199	0	01	00
	75	0	02	00
	76	0	02	09
	74	0	07	26
	73	0	05	20

[No. O—14016/201/85—GP]

का. आ. 1535 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की अपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम खिरिरा साहब तहसील भांडेर जिला ग्वालियर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	634/2	0.275
2.	635	0.260
	योग : कुल क्षेत्रफल	0.535

[सं. O-14016/202/85-जी पी]

S.O. 1535.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village Khiriya Sahab Tehsil : Bhander Distt. Gwalio

SCHEDULE

Sl. No	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	634/2	0.275
2.	635	0.260
	Total Area	0.535

[No. O—14016/202/85—GP]

का. आ. 1536 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उस की सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम पिपरौवा खुर्द तहसील भांडेर जिला—ग्वालियर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं. 1	अपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स)
1.	6	0.493
2.	4	0.585
3.	12	0.035
4.	19	1.044
5.	21	0.178
6.	22	0.408
7.	5	0.002
	योग : कुल क्षेत्रफल	2.745

[सं. O-14016/203/85-जी पी]

S.O. 1536.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village : Piprauva Khurd Tehsil : Bhander Distt. Gwalior

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	6	0.493
2.	4	0.585
3.	12	0.035
4.	19	1.044
5.	21	0.178
6.	22	0.408
7.	5	0.002
	Total Area	2.745

[No. O—14016/203/85—GP]

1796 GI/84—9

का. आ. 1537.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच०बी०जे०गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम निवरोली तहसील भांडेर जिला-ग्वालियर राज्य (म.प्र.)

अनुसूची

नु.	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	2	0.157
2.	3 मीन	1.009
3.	9 मीन	0.497
4.	10	0.569
5.	12	0.280
6.	18	0.342
7.	19	0.705
	योग : कुल क्षेत्रफल	3.559

[सं. 0-14016/304/85-जी पी]

S.O. 1537.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village : Nicharoli Tehsil : Bhander Distt. : Gwailior

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	2	0.157
2.	3 Meen	1 009
3.	9 Min	0.497
4.	10	0.569
5.	12	0.280
6.	18	0.342
7.	19	0.705
	Total Area	3.559

[No. O—14016/204/85—GP]

का. आ. 1538.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें अपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, अज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम डोंगर तहसील राघोंगढ़ जिला—गुना राज्य (मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनु. क्रमांक नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र हैक्टर्स में)
1. 1	0.941
2. 134	0.031
3. 135	0.188
4. 136/1	0.147
5. 136/2	0.021
6. 140/1/1	0.167
7. 139	0.575
8. 141	0.021
9. 145	0.491
10. 147/2	0.010
11. 2	0.105
12. 147/1	0.010
13. 147/3	0.084
14. 148	0.439
15. 215/1	2.132
16. 245	0.031
17. 223/1	1.296
18. 223/2	1.118
19. 245	0.031
20. 225/1	2.278
21. 243/2	0.147
22. 241/1	0.136
23. 240	0.157
24. 238/2	0.261
25. 239	0.105
26. 237	0.272
27. 234/3	0.157
28. 225/2	0.084
29. 225/3	0.157
योग : कुल क्षेत्रफल	9.592

[सं. O-14016/205/85-जीपी]

S.O. 1538.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dongar Tehsil : Raghogarh Distt. : Guna

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	1	0.941
2.	134	0.031
3.	135	0.188
4.	136/1	0.147
5.	136/2	0.021
6.	140/1/1	0.167
7.	139	0.575
8.	141	0.021
9.	145	0.491
10.	147/2	0.100
11.	2	0.015
12.	147/1	0.010
13.	147/3	0.084
14.	148	0.439
15.	215/1	2.132
16.	245	0.031
17.	223/1	1.297
18.	223/2	1.118
19.	246	0.031
20.	225/1	2.278
21.	243/2	0.147
22.	241/1	0.136
23.	240	0.157
24.	238/2	0.261
25.	239	0.105
26.	237	0.272
27.	234/3	0.157
28.	225/2	0.084
29.	225/3	0.157
	Total Area	9.592

[No. 14016/205/85—GP]

का. आ. 1539.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उनमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड़, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम उदयपूरी तहसील राघोगढ़ जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	30	0.219
2.	41/4	0.094
3.	40	0.230
4.	41/5	0.167
5.	42	0.052
6.	43	0.261
7.	44	0.136
8.	46	0.010
9.	51	0.564
10.	56	0.021
11.	80	0.031
12.	90/1	0 199
13.	97	0.010
14	91	0.261
15.	92	0.397
16.	95	0.042
17.	96	0.209
18.	99	0.115
19.	100	0.063
20.	242	0.324
21.	243	0.010
22.	244	0.188
23.	348	0.084
24.	249	0.324
25.	250	0.115
26.	251	0.084

1	2	3
27.	252	0.397
28.	39	0.010
29.	58	0.105
30.	88/1	0.042
	योग : कुल क्षेत्रफल	4.764

[सं. O-14016/206/85—जी पी]

S.O. 1539.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Udaypuri Tehsil : Rajghogarh Distt. : Guna

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	30	0.219
2.	41/4	0.094
3.	40	0.230
4.	41/5	0.167
5.	42	0.052
6.	43	0.261
7.	44	0.136
8.	46	0.010
9.	51	0.564
10.	56	0.021
11.	80	0.031
12.	90/1	0.199
13.	97	0.010
14.	91	0.261
15.	92	0.397
16.	98	0.042
17.	96	0.209
18.	99	0.115
19.	100	0.063
20.	242	0.324
21.	243	0.010
22.	244	0 188
23.	248	0.084
24.	249	0.324
25.	250	0.115
26.	251	0 084
27.	252	0.397
28.	39	0.010
29.	58	0.105
30.	88/1	0.042
	Total Area	4.764

[No. O—14016/206/85—GP]

का. आ. 1540.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड़, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : विजयपुर तहसील : राघोगढ़ जिला : गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	406	0.240
2.	407	0.320
3.	410/1	0.105
4.	410/2	0.314
5.	411	0.105
6	417	0.083
7.	420/1 मी.	0.042
8.	420/1 मी.	0.167
9.	420/1 मी.	0.240

1	2	3
10.	420/1 मी.	0.126
11.	420/2	0.031
12.	421	0.083
13.	422	0.021
14.	425	0.356
15.	426	0.220
16.	431	0.178
17.	432	0.397
18.	412	0.187
19.	416	0.198
20.	423	0.042
21.	430	0.011
22.	471	0.010
23.	418	0.378
24.	443	0.042
25.	464/1	0.167
26.	465	0.480
27.	467	0.021
28.	472/1 मी.	0.397
29.	473	0.356
30.	474	0.178
31.	476	0.083
32.	477	0.188
33.	478	0.439
34.	855 मी.	1.150
	कुल क्षेत्रफल	7.355

[सं. O-14016/207/85-जी पी]

S.O. 1540.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Vijaypur Tehsil : Raghogarh Distt. : Guna

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	406	0.240
2.	407	0.320
3.	410/1	0.105
4.	410/2	0.314
5.	411	0.105
6.	417	0.083
7.	420/1 M.	0.042
8.	420/1 M.	0.167
9.	420/1 M.	0.240
10.	420/1 M.	0.126
11.	420/2	0.031
12.	421	0.083
13.	422	0.021
14.	425	0.356
15.	426	0.220
16.	431	0.178
17.	432	0.397
18.	412	0.187
19.	416	0.198
20.	423	0.042
21.	430	0.011
22.	471	0.010
23.	418	0.378
24.	443	0.042
25.	464/1	0.167
26.	465	0.480
27.	467	0.021
28.	472/1 M.	0.397
29.	473	0.356
30.	474	0.178
31.	476	0.083
32.	477	0.188
33.	478	0.439
34.	855 M.	1.150
	Total Area	7.255

[No. O—14016/207/85—GP]

का. आ. 1541.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा–बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का

अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पा। लाईन 45, सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम कबूलपूरा तहसील राघोगढ़ जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	109	0.072
2.	24	0.042
3.	25	0.084
4.	26	0.126
5.	27	0.067
6.	28	0.094
7.	29	0.031
8.	36	0.136
9.	35	0.490
10.	34	0.031
11.	41	0.105
12.	48	0.240
13.	47	0.366
14.	51	0.742
15.	52	0.031
16.	88	0.370
17.	86	0.345
18.	107/8	0.094
19.	107 में से	0.540
20.	107/1	0.031
21.	37	0.010
22.	38	0.031
23.	45	0.010
24.	46	0.021
25.	53	0.021
26.	87	0.010
योग :	कुल क्षेत्रफल	4.140

[सं. O—14016/208/85—जी पी]

S.O. 1541.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Pertoleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein :

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kabulpura Tehsil : Raghogarh Distt. : Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	109	0.072
2.	24	0.042
3.	25	0.084
4.	26	0.126
5.	27	0.067
6.	28	0.094
7.	29	0.031
8.	36	0.136
9.	35	0.490
10.	34	0.031
11.	41	0.105
12.	48	0.240
13.	47	0.366
14.	51	0.742
15.	52	0.031
16.	88	0.370
17.	86	0.345
18.	107/8	0.094
19.	107 M.S.	0.540
20.	107/1	0.031
21.	37	0.010
22.	38	0.031
23.	45	0.010
24.	46	0.021
25.	53	0.021
26.	87	0.010
TOTAL AREA		4.140

[No. O-14016/208/85-GP]

का. आ. 1542.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइपलाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड़, उज्जैन (म. प्र.)-456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ,

एच०बी०जे० पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : भूमरा खेड़ी तहसील : राघोगढ़ : जिला: गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	सर्वेक्षण नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	29	0.261
2.	27	0.010
3.	30/3	0.307
4.	13	0.010
5.	170/1	0.052
6.	171/1	1.766
7.	172	0.157
8.	170/2	0.490
9.	170/3	0.533
10.	174/2	0.031
11.	173/2	0.021
	योग—कुल क्षेत्रफल	3.638

[सं. O—14016/209/85-जी पी]

S.O. 1542.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road Ujjain (M.P.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bhumarakhedi Tehsil : Raghogarh Distt : Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	29	0.261
2.	27	0.010
3.	30/3	0.307
4.	13	0 010
5.	170/1	0.052
6.	171/1	1.766
7.	172	0.157
8.	170/2	0.490
9.	170/3	0.533
10.	174/2	0.031
11.	173/2	0.021
	TOTAL AREA	3.638

[No. O-14016/209/85-GP]

का. आ. 1543.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य-प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी

सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : भैसाना तहसील: राघोगढ़ जिला-गुना राज्य: (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	564	0.042
2.	296/1	1.118
3.	552/1	0.147
4.	55/2	0.271
5.	554	0.219
6.	553	0.440
7.	561	0.021
8.	560	0.126
9.	545 मी.	0.178
10.	545 मी.	0.021
11.	565	0.052
	योग कुल क्षेत्रफल	2.635

[सं. O--14016/210/85-जी पी]

S.O. 1543.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bhesana Tehsil : Raghogarh Distt : Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	564	0.042
2.	296/1	1.118
3.	552/1	0.147
4.	55/2	0.271
5.	554	0.219
6.	553	0.440
7.	561	0.021
8.	560	0.126
9.	545 M.	0.178
10.	545 M.	0.021
11.	565	0.052
	TOTAL AREA	2.635

[No. O-14016/210/85-GP]

का. आ. 1544.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य-प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 45 सुभाष नगर सांवेर रोड़ उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : भैसाना तहसील : राघोगढ़ जिला: गुना राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	18	0.355
2.	19	0.052
3.	20	0.292
4.	21	0.052
5.	26	0.270
6.	27	0.147

1	2	3
7.	28	0.366
8.	30	0.250
9.	67/1	0.062
10.	72	0.220
11.	74	0.021
12.	75	0.147
13.	76	0.292
14.	78	0.126
15.	84	0.031
16.	93	0.721
17.	99/2	0.184
18.	99/3	0.126
19.	10	0.302
20.	102	0.157
21.	111	0.043
22.	112	0.126
23.	123	0.031
24.	124	0.031
25.	125	0.031
26.	155	0.084
27.	156	0.043
28.	164	0.418
29.	15/2	0.021
30.	17	0.031
31.	80	0.083
32.	103	0.010
33.	99/1	0.010
34.	71	0.010
35.	165	0.073
36.	166	0.043
37.	167	0.021
38.	171/1	0.303
39.	173	0.536
40.	192	0.272
41.	193	0.324
	योग कुल क्षेत्रफल	7.167

[सं. O—14016/211/85-जी पी.]

S.O. 1544.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the righ of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And, every person making such an obejection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dorana Tehsil : Raghogarh Distt : Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	18	0 355
2.	19	0 052
3.	20	0.292
4.	21	0 052
5.	26	0.270
6.	27	0.147
7.	28	0.366
8.	30	0.250
9.	67/1	0.062
10.	72	0.220
11.	74	0.021
12.	75	0.147
13.	76	0.292
14.	78	0.126
15.	84	0.031
16.	93	0.721
17.	99/2	0.194
18.	99/3	0.126
19.	10	0.302
20.	102	0.157
21.	111	0.043
22.	112	0.126
23.	123	0.031
24.	124	0.031
25.	125	0.031
26.	155	0.084
27.	156	0.043
28.	164	0.418
29.	15/2	0.021
30.	17	0.031
31.	80	0 083
32.	103	0 010
33.	99/1	0 010
34.	71	0 010
35.	165	0 073
36.	166	0.043
37.	167	0 021
38.	171/1	0.303
39.	173	0.536
40.	192	0.272
41.	193	0.324
	TOTAL AREA	7.167

[No. O-14016/211/85-GP]

का.आ. 1545.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : ढाड तहसील : करेरा जिला—शिवपुरी राज्य (म.प्र.)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1.	164	0.860
2.	162	0.640
3.	163	—
4.	157	0.420
5.	160	—
6.	159	0.020
7.	151	0.010
8.	152	0.120
9.	153	—
10.	144	0.060
11.	57/2	0.484
12.	59	—
13.	55	0.240
14.	53	0.180
15.	65	0.960
16	64	0.150
17.	127	0.040
18.	124	0.720
19.	75/3मी.	0.220
20.	101	0.120
21.	94/2	0.500
22.	92	0.540
23.	97/1	0.940
24.	97/2मी.	—
25.	97/2मी.	0.500
26.	97/1145	0.060
27.	39	0.200
28.	40	0.030
29.	56	0.015
30.	74	0.080
31.	75/1	0.200
32.	75/2	0.250
33	75/3मी.	0.003
34.	75/4	0.200
35.	75/5	0.015
36	75/6	0.100
37.	75/7	0.050
38.	78/6	0.010
39.	158	0.136
40.	58	0.032
41	95	0.080
42	104	0.080
योग—कुल क्षेत्रफल		9.562

[सं. O-14016/212/85-जी. पी.]

S.O. 1545.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission HBJ Gas Pipe Line. 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person on by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dhand Tehsil : Karera Distt : Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. Hector
1.	164	0.860
2	162	0 640
3.	163	—

1	2	3
4.	157	0.420
5.	160	—
6.	159	0.020
7.	151	0.010
8.	152	0.120
9.	153	0.060
10.	144	—
11.	57/2	0.484
12.	59	—
13.	55	0.240
14.	53	0.180
15.	65	0.960
16.	64	0.150
17.	127	0.040
18.	124	0.720
19.	75/3 M.	0.220
20.	101	0.120
21.	94/2	0 500
22.	92	0.540
23.	97/1	0.940
24.	97/2 M.	—
25.	97/2 M.	0.500
26.	97/1145	0.060
27.	39	0.200
28.	40	0.030
29.	56	0.015
30.	74	0.080
31.	75/1	0.200
32.	75/2	0.250
33.	75/3 M.	0.003
34.	75/4	0.200
35.	75/5	0.015
36.	75/6	0.100
37.	75/7	0.050
38.	78/6	0.010
39.	158	0.136
40.	58	0.032
41.	95	0.080
42.	104	0.080
TOTAL AREA		9.562

[No. O-14016/212/85-GP]

का.आ. 1546.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4667 तारीख 14-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
बेडकिया	189	0	01	95
	107	0	02	92
	136	0	02	44
	134	0	02	44
	181	0	13	89
	182	0	09	50
	335	0	00	05
	135	0	26	80
	190	0	02	92
	123	1	17	42
	124	0	48	93
	180	0	13	15
	192	0	13	64
	52	0	01	71
	53	0	23	14
	137	0	10	96
	138	0	19	73
	184	0	55	30
	186	0	09	62
	187	0	41	53
	177	0	08	04
	150	0	05	85
	164	0	04	26
	188	0	42	39
	191	0	15	10
	176	0	07	80
	165	0	02	44
	332	0	00	10
	133	0	01	95

1	2	3	4	5
	139	0	01	98
	166	0	04	26
	303	0	01	66
	301	0	00	37
	334	0	40	26

[सं. O-14016/483/84—जी. पी.]

S.O. 1546.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4667 dated 14-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from : Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1		3	4	5
Bedkiya . . .	189	0	01	95
	107	0	02	92
	136	0	02	44
	134	0	02	44
	181	0	13	89
	182	0	09	50
	335	0	00	05
	135	0	26	80
	190	0	02	92
	123	0	17	42
	124	0	48	93
	180	0	13	15
	192	0	13	64
	52	0	01	71
	53	0	23	14
	137	0	10	96
	138	0	19	73
	184	0	55	30
	186	0	09	62
	187	0	41	53
	177	0	08	04
	150	0	05	85
	164	0	04	26
	188	0	42	39
	191	0	15	10
	176	0	07	80
	165	0	02	44
	332	0	00	10
	133	0	01	95
	139	0	01	98
	166	0	04	26
	303	0	01	66
	301	0	00	37
	334	0	40	26

[No. O-14016/483/84-G.P.]

का.आ 1547.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 431 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील: अटरू

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
1	2	3	4	5
कवाई	7	0	15	05
	6	0	47	57

1	2	3	4	5
	8	0	50	33
	13	0	60	45
	9	0	30	51
	10	0	00	07
	379	0	11	62
	956	0	02	35
	955	0	16	23
	957	0	04	70
	987	0	03	29
	1316	0	13	03
	1364	0	30	81
	1448	0	02	82
	1471	0	76	91
	1326	0	07	29
	1470	0	07	29
	72	0	35	04
	1316/1553	0	06	35
	62	0	01	88
	12	0	64	17
	979	0	06	67
	1336	0	40	34
	972	0	02	32
	971	0	03	03
	1330	0	00	05
	970	0	00	28
	989	0	25	40
	23	0	05	03
	32	0	02	34
	40	0	56	38
	1325	0	31	05
	53	0	29	40
	1317	0	03	91
	1351/1563	0	00	74
	378	0	04	61
	1329	0	60	60
	1352	0	52	63
	44	0	07	29
	56	0	39	75
	387	0	24	93
	29	0	01	63
	31	0	52	71
	11	0	06	86
	978	0	00	18
	58	0	01	12
	1453	0	47	28
	75	0	08	94
	985	0	25	17
	990	0	13	64
	981	0	04	16
	1327	0	00	94
	988	0	03	29
	982	0	20	77
	969	0	00	48
	980	0	19	57
	43	0	00	05
	54	0	02	43
	55	0	27	98
	30	0	56	37
	22	0	36	35
	52	5	04	23
	386	0	18	85
	385	0	00	43
	31/1554	0	03	96
	376	0	17	17
	377	0	53	01
	381	0	00	15
	42	0	32	87
	59	0	48	27
	388	0	33	15
	389	0	09	17
	391	0	39	84
	392	0	03	53
	393	0	12	94
	1454	0	31	54
	1455	0	12	09
	1466	0	12	94
	1365	0	00	05
	973	0	00	89
	241	0	09	64
	21	0	01	30

[सं. O—14016/546/84-जी. पी.]

S.O. 1547.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 431 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from : Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kavai	7	0	15	05
	6	0	46	57
	8	0	50	33
	13	0	60	45
	9	0	30	51
	10	0	00	07
	379	0	11	62
	956	0	02	35
	955	0	16	23
	957	0	04	70
	987	0	03	29
	1316	0	13	03
	1364	0	30	81
	1448	0	02	82
	1471	0	76	91
	1326	0	07	29
	1470	0	07	29
	72	0	35	04
	1316,1553	0	06	35
	62	0	01	88
	72	0	64	17
	979	0	06	67
	1336	0	40	34
	972	0	02	32
	971	0	03	03
	1330	0	80	05
	970	0	00	28
	989	0	25	40
	23	0	05	03
	32	0	02	34
	40	0	56	38
	1325	0	31	05
	53	0	29	40
	1317	0	03	91
	1351/1563	0	00	74
	378	0	04	61
	1329	0	60	60
	1352	0	52	63
	44	0	07	29
	56	0	39	75
	387	0	24	93
	29	0	01	63
	31	0	52	71
	11	0	06	86
	978	0	00	18
	58	0	01	12
	1453	0	47	28
	75	0	05	94
	985	0	25	17
	990	0	13	64
	781	0	04	16
	1327	0	00	94
	988	0	03	29
	982	0	20	77
	969	0	00	48
	980	0	19	87
	43	0	00	05
	54	0	03	43
	55	0	27	98
	30	0	56	37
	22	0	36	35
	52	0	04	23
	386	0	18	85
	385	0	00	43
	31/1554	0	03	96
	276	0	17	17
	377	0	53	01
	381	0	00	15
	42	0	32	87
	59	0	48	27
	388	0	33	15
	389	0	09	17
	391	0	39	84
	392	0	03	53
	393	0	12	94
	1454	0	31	54
	1450	0	12	09
	1466	0	12	94
	1365	0	00	05
	973	0	00	89
	241	0	09	64
	21	0	01	30

[No. O-14016/546/84-G.P.]

का.आ. 1548—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 422 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: अटरू

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
हानी हेड़ा	69	0	00	08
	470	0	04	55
	477	0	21	40
	115	0	01	65
	97	0	14	65
	107	0	16	44
	111	0	16	70
	96	0	15	76
	99	0	11	17
	112	0	01	27
	72	1	30	70
	119	0	19	19
	100	0	16	66
	124	0	02	00
	116	0	48	33
	108	0	36	70
	118	0	39	91
	98	0	08	73
	480	0	51	74
	110	0	17	76
	1	0	09	16
	476	0	25	26
	481	0	10	82

[सं. O-14016/548/84-जी पी]

S.O. 1548.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 422 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Hanlheda	69	0	00	08
	470	0	04	55
	477	0	21	40
	115	0	01	65
	97	0	14	65
	107	0	16	44
	111	0	16	70
	96	0	15	76
	99	0	11	17
	112	0	01	27
	72	1	30	70
	119	0	19	19
	100	0	16	66
	124	0	02	00
	116	0	48	33
	108	0	36	70
	118	0	39	91
	98	0	08	73
	480	0	51	74
	110	0	17	76
	1	0	09	16
	476	0	25	26
	481	0	10	82

[No O-14016/548/84-G.P]

का.आ. 1549.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 424 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला. कोटा तहसील: अटरू

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
बरला .	415	0	51	27
	420	0	65	30
	396	0	00	13
	419	0	14	58
	398	0	27	86
	421	0	02	12
	423	0	00	05

[सं. O–14016/549/84–जी पी]

S.O. 1549.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 424 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from : Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Barla	415	0	51	27
	420	0	65	30
	396	0	00	13
	419	0	14	58
	398	0	27	86
	421	0	02	12
	423	0	00	05

[No. O-14016/549/84-GP]

का.आ. 1550—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 425 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
कमलपुरा	57	0	02	97
	58	0	25	99
	59	0	12	86
	60	0	24	37
	63	0	33	04
	76	0	64	15
	61	0	00	7

[सं. O-14016/550/84-जी पी]

S.O. 1550.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 425 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kamalpura	57	0	02	97
	58	0	25	99
	59	0	12	86
	60	0	24	37
	63	0	31	04
	76	0	64	15
	61	0	00	78

[No. O-14016/550/84-GP]

का. आ. 1551:— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 426 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
घट्टा	367	2	38	49

[सं. O 14016/551/84-जी पी]

S.O. 1551.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 426 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Swai Madhopur
State : Rajasthan; District : Kota; Tehsil : Chabra

Village	Survey No	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
GHATTA	367	2	38	49

[No. O—14016/551/84-GP]

का.आ. 1552—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 432 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
भौरा	1	0	00	30
	2	0	30	29
	3	0	08	02
	4	0	48	41
	11	0	23	17
	14	0	38	31
	15	0	04	75
	35	0	34	76
	43	0	30	29
	44	0	30	96
	47/295	0	02	29
	46	0	27	92
	45	0	04	46
	38	0	25	56
	50	0	01	47
	51	0	02	97
	52	0	39	79
	54	0	26	73
	55	0	34	16
	53	0	21	98
	1/295	0	01	49

[सं. O-14016/552/84-जी पी]

S.O. 1552.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 432 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

SCHEDULE

Pipline from Bijiapur (M.P.) to Sawai Madhopr (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota ; Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-ar
BHONRA	1	0	00	30
	2	0	30	29
	3	0	08	02
	4	0	48	41
	11	0	23	17
	14	0	38	31
	15	0	04	75
	35	0	34	76
	43	0	30	29
	44	0	30	96
	47/295	0	02	29
	46	0	27	92
	45	0	04	46
	38	0	25	56
	50	0	01	47
	51	0	02	97
	52	0	39	79
	54	0	26	73
	55	0	34	16
	53	0	21	98
	1/295	0	01	49

[No. O-14016/552/84-GP]

का.आ. 1553—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 433 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
यमीनपुरा नयागांव	82	0	86	62
	81	0	08	83
	79	0	84	54
	85	0	18	41

[सं. O-14016/553/84-जी पी]

S.O. 1553.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 433 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No	Hec-tare	Are	Centi-are
YAMINPUR	82	0	86	62
NAYAGAON	81	0	08	83
	79	0	84	54
	85	0	18	41

[No. O-14016/553/84-G P]

का०आ० 1554—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना

का. आ. सं. 434 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रयोजन के अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न, अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया हैं ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
घट्टी	102	1	25	33
	98	0	29	94
	94	0	06	98
	99	0	01	25
	96	0	23	02
	97	0	24	65
	92	0	38	50
	162	0	55	23
	147	0	00	04
	119	0	00	71
	91/204	0	10	31
	91/205	0	10	58
	91/220	0	11	18
	160	0	04	54
	164	0	50	34
	165	0	52	42
	167	0	26	73
	202	0	13	07
	95	0	01	78
	146	0	00	27
	148	0	00	06
	149	0	01	19
	161	0	01	18
	159	0	00	16

[सं. O-14016/555/84-जी. पी.]

S.O. 1554.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 434 dated 14-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
GHATTI	102	1	25	33
	98	0	29	94
	94	0	06	98
	99	0	01	25
	96	0	23	02
	97	0	24	65
	92	0	38	50
	162	0	55	23
	147	0	00	04
	119	0	00	71
	91/204	0	10	31
	91/205	0	10	58
	91/220	0	11	18
	160	0	04	54
	164	0	50	34
	165	0	52	42
	167	0	26	73
	202	0	13	07
	95	0	01	78
	146	0	00	27

1	2	3	4	5
	148	0	00	06
	149	0	01	19
	161	0	01	18
	159	0	00	16

[No. O-14016/555/84-GP]

का०आ० 1555.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 437 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
रींछड़ा	6	0	01	04
	159	0	04	46
	192	0	03	86
	287	0	00	89
	9	0	01	78
	7	0	02	98
	14	0	56	42
	8	0	64	00
	13	0	43	96
	161	0	34	30
	162	0	86	87
	164	0	23	51
	188	0	20	79
	190/333	0	07	43
	278	0	33	73
	190	0	27	03
	191	0	24	65
	241	0	43	31
	240	1	57	69
	290	0	44	72
	288	0	77	22
	277	0	08	04
	279	0	00	55
	246/331	0	00	04
	160/371	0	02	33

[सं. O-14016/556/84-जी. पी.]

S.O. 1555.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 437 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bajaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota. Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
REENCHDA	6	0	01	04
	159	0	04	46
	192	0	03	86
	287	0	00	89
	9	0	01	78
	7	0	02	98
	14	0	56	24

1	2	3	4	5
	8	0	64	00
	13	0	43	96
	161	0	34	30
	162	0	86	87
	164	0	23	51
	188	0	20	79
	190/333	0	07	43
	278	0	33	73
	190	0	27	03
	191	0	24	65
	241	0	43	31
	240	1	57	69
	290	0	44	72
	288	0	77	22
	277	0	08	04
	279	0	00	55
	246/331	0	00	04
	160/371	0	02	33

[No. O-14016/556/84-GP]

का.आ 1556.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमिमें उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं 427 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

बिजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हक्टर	आर	सेन्टीआर
कालाखेड़ी	108	0	10	99
	102	0	24	76
	107	0	09	69
	107/133	0	28	62
	110	0	20	37
	109	0	14	47
	111	0	02	59
	112	0	23	46
	101	0	00	78

[सं. O-14016/557/84-जी. पी.]

S.O. 1556.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 428 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota. Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KALAKHEDI	108	0	10	99
	102	0	24	76
	107	0	09	69
	107/133	0	28	62
	110	0	20	37
	109	0	14	47
	111	0	02	59
	112	0	23	46
	101	0	00	78

[No. O-14016/557/84-GP

का.आ. 1557.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 428 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
सींघनी जागीर	34	0	02	08
	41	1	33	35
	35	0	51	39
	224	2	13	84
	53	0	17	82
	29	0	16	93
	56	0	03	56
	28	0	34	75
	51	0	11	88
	52	0	21	09
	54	0	08	70
	30	0	19	60
	49	0	01	25
	50	0	33	32
	42	0	03	56
	48	0	75	23
	223	0	02	08

[सं. O-14016/558/84-जी. पी.]

S.O. 1557.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 428 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota. Teshsil : Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SINDANI JAGIR	34	0	02	08
	41	1	33	35
	35	0	51	39
	224	2	13	84
	53	0	17	82
	29	0	16	93
	56	0	03	56
	28	0	34	75
	51	0	11	88
	52	0	21	09
	54	0	08	70
	30	0	19	60
	49	0	01	25
	50	0	33	32
	42	0	03	56
	48	0	75	23
	223	0	02	08

[No. O-14016/558/84-GP]

का.आ. 1558.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 429 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस

अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
लोला हेड़ी	232	1	52	88

[सं. O-14016/559/84-जी. पी.]

S.O. 1558.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 429 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lolahedi	232	1	52	88

[No. O-14016/559/84-GP]

का.आ. 1559.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 876 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्री सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्रधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
रीझड़ी	79	0	22	57
	77	0	18	37
	76	0	29	25
	74	0	21	38
	101	0	06	55
	100	0	08	38

102	0	08	61
103	0	47	04
109	0	04	97
110	0	56	06
111	0	00	34
70	0	00	12
75	0	13	36

[सं. O-14016/93/85-जी. पी.]

एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 1559.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 876 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rijhari				
	79	0	22	57
	77	0	18	37
	76	0	29	25
	74	0	31	38
	101	0	06	55
	100	0	08	38
	102	0	08	61
	103	0	47	04
	109	0	04	97
	110	0	56	06
	111	0	00	34
	70	0	00	12
	75	0	13	36

[No. O-14016/93/85-G.P.]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

का. आ. 1560.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पुन्नयूरकुलम/पालयाडनडा/पूवरणी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-4-85 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/85-पी. एच. बी.]

ब्रजराम सिंह, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 29th March, 1985

S.O. 1560.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-4-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Poovarani/Punnayurkulam/Palayadnada Telephone Exchanges Kerala Circle.

[No. 5-9/85-PHB]

B. R. SINGH, Asstt. Director General (PHB)

(भारतीय डाक-तार विभाग)

कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. परिमण्डल, लखनऊ

लखनऊ, 22 नवम्बर, 1984

का. आ. 1561.—जबकि भारत सरकार के संचार मंत्रालय (भारतीय डाक-तार विभाग) की अधिसूचना सं. एस. औ.-3901 दिनांक 18 मई, 1979, जो कि भारत के राजपत्र भाग II, धारा 3 उपधारा (II), दिनांक 1 अक्तूबर 1979 के पृष्ठ 3426 पर प्रकाशित हो चुकी है, द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अन्यों के बीच निम्न हस्ताक्षरकर्ता को विभागीय जांच (साक्ष्य उपस्थिति प्रवर्तन एवम् दस्तावेज प्रस्तुतीकरण) अधिनियम 1972 (1972 का 18) के अन्तर्गत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु विनिर्दिष्ट किया है।

और जबकि निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार से यह आवश्यक है कि श्री राम धीरज पांडे, डाक सहायक डाकघर नवाबगंज जिला गोंडा के विरुद्ध विभागीय जांच के उद्देश्य हेतु श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय और श्रीमती धनराजी, जो कि बेलसर (गोंडा) डाकघर बचत बैंक खाता सं. 866858 एवम् 870040 के क्रमश: जमाकर्ता हैं, को गवाहों के रूप में अथवा कोई दस्तावेज मांगे जाने हेतु तलब किया जाए।

अत: कथित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अधो हस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा श्री चेतराम सक्सेना, सहायक डाक अधीक्षक (जांच)

II कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल, उ. प्र. परिमण्डल, लखनऊ, जांच अधिकारी को बेलसर डाकघर गोंडा डाक मंडल गोंडा के डाकघर बचत बैंक खाता सं. 866858 के जमाकर्ता श्री जमुना प्रशाद पाण्डे एवम् खाता सं. 870040 की जमाकर्ता श्रीमती धनराजी के सम्बन्ध मे कथित अधिनियम की धारा 5 मे विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं ।

[पत्रांक--उनर्कता/एम-6-108/79/7]
ह./-
पोस्ट मास्टर जनरल

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Office of the Postmaster General, U.P. Circle, Lucknow

Lucknow, the 22nd November, 1984

S.O. 1561.—Whereas by the notification of the Govt. of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs Board) No. SD-3901 dated the 18th May 1979 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st October, 1979 at Page 3426, the Central Govt. has specified, among others, the undersigned, to exercise the powers of the Govt. under sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Enquiries (Enforcement of Attendance of witnesses and Production of Documents), Act, 1972 (18 of 1972).

And whereas the undersigned is of the opinion that for the purpose of departmental enquiry against Shri Ram Dhiraj Pandey, Postal Assistant, P.O. Nawabganj, Distt. Gonda, it is necessary to summon as witnesses or call for any documents from Shri Jamuna Prasad Pandey and Smt. Dhanraji depositors of Belsar (Gonda) Post Office Savings Bank A/Cs No. 866858 and 870040 respectively.

Now, therefore, in exercise of power conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the said Act the undersigned hereby authorises Shri Chet Ram Saxena, A.S.P. Enquiry II O/O P.M.G. U.P. Circle, Lucknow, the Enquiry Authority, to exercise the powers specified in section 5 of the said Act in relation to Shri Jamuna Prasad Pandey the depositor of Post Office Savings Bank A/C No. 866858 and Smt. Dhanraji the depositor of SB A/C No. 870040 of Belsar P.O. of Gonda Postal Division, Gonda.

[No. VIG/M-6-108/79/7]
(Sd/-)
Postmaster General

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1985

का. आ. 1562.—मैसर्स बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग, बेस्ट हाउस, पी. बी. नं. 192, बम्बई-39 (महाराष्ट्र/1568) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियो या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/58/85-एस. एस.-4]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th March, 1985

S.O. 1562.—Whereas Messrs Bombay Electric Supply and Transport Undertaking, Best House, P.B. No. 192, Bombay-39 (MH/1568), (herinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refrered to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Schedule for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the admiinstration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the emplyoees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior aporoval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nomines or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/58/85-SS-IV]

का. आ. 1563.—मैसर्स जोहन फोवलर (इंडिया) लिमिटेड, सरजापुर रोड, बंगलौर (कर्नाटक/3174) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अंतर्गत लेखाओ का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नयोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संसथान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, जो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा मे सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती(यों)/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/59/85-एसएस-4]

S.O. 1563.—Whereas Messrs John Fowler (India) Limited, Sanjapur Road, Bangalore (KN/3174), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inpection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had emnloye been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the empolyees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/59/85-SS-IV]

का. आ. 1564.—मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड 10, कैमिक स्ट्रीट, कलकत्ता-700017 (डब्ल्यू बी / 15008) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17, की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष के अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014 /60 / 85/ एस. एस.-4]

S.O. 1564.—Whereas Messrs Hindustan Copper Limited, 10, Camac Street, Calcutta-700017 (WB/15008), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, trasfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the empolyees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/60/85-SS. IV]

का. आ. 1565.—मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, गन्नौर जिला सोनीपत (पी. एन. 2508) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति यथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता

तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा विभाग से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/61/85-एस एस-4]

S.O. 1565.—Whereas Messrs Bharat Steel Tubes Limited, Ganaur District, Sonepat (PN/2508), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits aavilable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shal before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the siad Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/61/85-SS-IV]

का.आ. 1566. मैसर्स दि कनारा डिस्ट्रिक्ट सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड सिरसी (उत्तर कन्नाड़ा) (कर्नाटक/2989) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/66/85-एस एस-4]

S.O. 1566.—Whereas Messrs. The Kanara District Central Cooperative Bank Limited, Sirsi (Uttara Kannada) (KN/2989), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/66/85-SS-IV]

का.आ. 1567.—मैसर्स अम्को बैटरीज लिमिटेड, मैसूर रोड, बंगलौर-26 (कर्नाटक/60) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 17 किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में मुख्य मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फ़ायदा के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर निश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/67/85-एस एस-4]

S.O. 1567.—Whereas Messrs Amco Batteries Limited, Mysore Road, Bangalore-26 (KN/60), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect to him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/67/85-SS-IV]

का. आ. 1568:—मैसर्स कर्नाटक स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, राजाजी नगर, बंगलौर-44 (कर्नाटक-2256) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1953 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनके संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन,

नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/68/85-एस एस-4]

S.O. 1568.—Whereas Messrs Karnataka State Small Industries Development Corporation Limited, Rajaji Nagar, Bangalore-44 (KN/2256) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges, as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/68/85-SS-IV]

का.आ. 1569.—मैसर्स एस. वी. रंगास्वामी एंड कम्पनी लिमिटेड, 75 कालासिपाल्यम न्यू एक्सटेंशन, पी० बी० नं. 6539, बंगलौर-2 (कर्नाटक/1994) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/69/85-एस एस-4]

S.O. 1569.—Whereas Messrs S. V. Rangaswamy and Company Limited, 75, Kalasipalyam New Extension, P.B. No. 6539, Bangalore-2, (KN/1994), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the

Central Government hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S-35014/69/85-SS-IV]

का.आ. 1570.—मैसर्स कमानी मेटल्स एंड आलोयस लिमिटेड, व्हाइटफील्ड रोड, महादेवपुरा पोस्ट, बंगलौर-48 (कर्नाटक/4539) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षक के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने का व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय, जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख, के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[स. एस-35014/70/85-एस-एस-4]

S.O. 1570.—Whereas Messrs Kamani Metals and Alloys Limited, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bangalore-48 (KN/4539) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/70/85-SS-IV]

का. आ. 1571 :—मैसर्स किनेटिक्स टैक्नालाजी इंडिया लिमिटेड, 73-74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 (दिल्ली/3268) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस–35014/71/85–एसएस-4]

S.O. 1571.—Whereas Messrs Kinetics Technology India Limited, 73-74, Nehru Place, New Delhi-19, (DL/3268), (hereinafer referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the lagal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/71/85-SS-IV]

का. आ. 1572 :—मैसर्स नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 31 मिडलटन स्ट्रीट कलकत्ता, इसके डिवीजन और ब्रांच आफिसों सहित, (पश्चिम बंगाल/13087) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब तक उस सशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, सस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहित, बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो का उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप स वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों मे कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी सशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने मे पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यो के नाम निर्देशितियो या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सख्या एस-35014/72/85-एसएस-4]

S O. 1572.—Whereas Messrs National Insurance Company Limited, 3, Middleton Street, Calcutta, including its Divisional and Branch Offices (WB/13087), (hereinafter referred to as the said estalishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heerinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/72/85-SS-IV]

का. आ. 1573 :—मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, 33, जेस्सोर, रोड, इमडम, कलकत्ता-28 (पश्चिम बंगाल/296) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों के प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्य की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/73/85-एस. एस.-4]

S.O.1575.—Whereas Messrs Gramophone Company of India Limited, 33, Jessore Road, Dum Dum, Calcutta-28 (WB/290), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the payment of premium and responsibility for payment of assurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/73/85-SS-IV]

का. आ. 1574:—मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूरवाणीनगर, बंगलौर- 16 (कर्नाटक/32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अंभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनके संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/74/85-एस.एस.-4]

S.O. 1574.—Whereas Messrs Indian Telephone Industries, Limited, Dooravan nagar, Bangalore-16 (KN/32) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No S-35014/74/85-SS-IV]

का. आ. 1575:—मैसर्स कोटस आफ इंडिया लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट डिपोट रोड, तारातला, कलकत्ता-88 (पश्चिम बंगाल/1188) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है उक्त कि स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन

रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/75/85-एस. एस.-4]

S.O. 1575.—Whereas Messrs Coates of India Limited, Transport Depot Road, Taratala, Calcutta-88 (WB/1188), (thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/75/85-SS-IV]

का. आ. 1575.—मैसर्स यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक लिमिटेड, डी. एच. रोड, डाकघर जोका, जिला 24-परगना (पश्चिम बंगाल/11576) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/76/85-एस. एस.-4]

S.O. 1576.—Whereas Messrs, Universal Electrics Limited, D. H. Road, P.O. Joka, District, 24 Parganas, (West Bengal), (WB/11576), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/76/85-SS-IV]

का. आ. 1577.—मैसर्स जी. डी. फार्म्सयूटिकल्स लिमिटेड, 25-एन, ब्लाक "बी", नई अलीपुर, कलकत्ता-88 (पश्चिम बंगाल/1919) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो

उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/77/85-एस .एम.-4]

S.O. 1577.—Whereas Messrs. G. D. Pharmaceuticals Limited, 25 N, Block 'B', New Alipore, Calcutta-88, (WB/1919), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/77/85-SS-IV]

का.आ. 1578.—मैसर्स क्लारिओन अडवरटाइजिंग सर्विसेस लिमिटेड 55-बी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-76 (पश्चिम बंगाल/5413) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसके पश्चात् (उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार के खंड उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम के संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/78/85-एसएस-4]

S.O. 1578.—Whereas Messrs. Clarion Advertising Services Limited, 55B, Mirza Ghalib Street, Calcutta-76 (WB/5413), (hereinafter referred to as the establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/78/85-SS-IV]

का आ. 1579.—मैसर्स ईशर गुडअर्थ लिमिटेड, 212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2, (डी. ल./6729), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/8/85-एस एस-4]

S.O. 1579.—Whereas Messrs. Eicher Goodearth Limited, 212, Deendyal Upadhya Marg, New Delhi-2, (DL/67229), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case

within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No S-35014/81/85-SS IV]

का आ 1580—मैसर्स मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेनिंग कम्पनी (प्रा) लिमिटेड, 48/1, कामर्शियल सैंटर, मालचा मार्ग, नई दिल्ली-110021 (डील/7111), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओ का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओ का अतरण, निरीक्षण प्रभारो सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातो का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप मे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उनके फायदो से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा मे सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबधो मे कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यो के नाम निर्देशितियो या विधिक वारिसो का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते, बीमा फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीम

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/82/85-एस एस-4]

S.O. 1580.—Whereas Messrs. Magnum International Trading Company Private Limited, 48/1 Commercial Centre, Malcha Marg, New Delhi-110021 (DL/7111), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/82/85-SS-IV]

का. आ. 1581.—मैसर्स दिदवानीया ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड 33, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020 (डी. एल./325) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप मे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों मे कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/83/85-एस एस-4]

S.O. 1581.—Whereas Messrs. Didwania Brothers Private Limited, 33, Okhla Industrial Estate, New Delhi-1100020, (DL/325), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/83/85-SS IV]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

शुद्धिपत्र

का. आ. 1582.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप खंड (ii) में तारीख 19 फरवरी, 1983 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1246, तारीख 4 फरवरी, 1983 में, पंक्ति 3 में, "(हैदराबाद)" के लिए "जिला विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश" पढ़ें।

[एस-35019/340/82-पी. एफ.-II]

New Delhi, the 28th March, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1582.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O 1246, dated the 4th February, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th February 1983, in line 4 for "(Hyderabad)" read "Vizianagaram District, Andhra Pradesh".

[No. S-35019(340)82-PF.II]

का. आ. 1583.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वैस्टर्न इंडस्ट्रियल मेरिन एंड आयल फिल्ड सर्विसेज प्रा. लि., बम्बई म्यूचवल चैम्बर्स 19-21 अम्बाला डोसी मार्ग, बम्बई-400023 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35018/2/85-एस. एस-2]

S.O. 1583.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Western Industrial Marine and Oil Field Services Private Limited, Bombay Mutual Chambers, 19-21, Ambala Doshi Marg, Bombay-400023, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018/2/85-SS-II]

का. आ. 1584.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सदाफ सी फूड्स 2, गणेश चन्द्रा एवेन्यू, चौथी मंजिल कलकत्ता-13 और प्लांट 3, गैस स्ट्रीट, कलकत्ता-9 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35017/36/85-एस. एस-2]

S.O. 1584.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sadaf Sea Foods, 2, Ganesh Chandra Avenue, 4th Floor, Calcutta-700013 including Plant at 3, Gas Street, Calcutta-700009, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/36/85-SS-II]

का. आ. 1585.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री राधा माधव आयल मिल, 111, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-700004 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/37/85-एस. एस० 2]

S.O. 1585.—Wheeras it appears to he Cenral Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Radhamadhab Oil Mill, 111, Raja Dinendra Street, Calcutta-700004, have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/37/85-SS-II]

का. आ. 1586.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनि सिस्टम प्रा. लि. 220-ए, नाशकरपारा रोड, घुसुरी हावडा-7 (वैस्ट बंगाल) और कार्यालय 33/1, नेताजी सुभाष रोड, सयूट नं. 529, कलकत्ता-1 और रजि. आफिस 64, बिडन स्ट्रीट, कलकत्ता-6 में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/38/85/एस. एस-2]

S.O. 1586.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Uni Systems Private Limited, 220 A, Naskarpara Road, Ghusuri, Howrah-7 (WB) and office at 33/1, Netaji Shubhas Road, Suite No. 529, Calcutta-1 including Registered office at 64, Beadon Street, Calcutta-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/38/85-SS-II]

का. आ. 1587.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजय इंटरनेशनल, 14 एंड 15, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/39/85 एस. एस-2]

S.O. 1587.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vijay International, 14 and 15, Old Court Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/39/85-SS-II]

का. आ. 1588.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टूंके इंटरनेशनल लि., 50, चौरंजी रोड, 11 वी मंजिल, कलकत्ता-700071 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35017/40/85/एस.एस०-2]

S.O. 1588.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Turnkey International Limited, 50, Chowringhee Road, 11th Floor, Calcutta-700071, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/40/85-SS-II]

का. आ. 1589.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि है कि मैसर्स मुरलीधर रतनलाल 14 एंड 15, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और

कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/41/85-एस. एस-2]

S.O. 1589.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Murlidhar Ratan Lal, 14 and 15, Old Court House Street, Calcutta-1 (Post Box 790) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/41/85-SS-II]

का. आ. 1590.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुमार ट्रेडिंग कम्पनी, प्रा. लि. 18, लाउडन स्ट्रीट कलकत्ता-17 और रजि. आफिस 42/1 स्ट्रांग रोड, कलकत्ता-7 और ब्रांच आफिस 8, कमरीम. मोय रोड, कामर्स हाउस, बेलार्ड इस्टेट, बम्बई-38 में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/33/85/एस. एस-2]

S.O. 1590.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar Trading Company Private Limited, 18, Loudon Street, Calcutta-17 including Registered Office at 42/1, Strand Road, Calcutta-7 and branch office at 3, Currimbhoy Road, Commerce, House, Ballard Estate, Bombay-400038, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/33/85-SS-II]

का.आ 1591 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चूडी श्रीनिवास एंड कं., फरीद ग्राम मैन्युफैक्चरर्स, पटेल रोड, रायचूर, कर्नाटिका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस-35019/131/85-एस. एस-2]

S.O. 1591.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chudi Srinivas and Company, Friedgram Manufacturers, Patel Road, Raichur, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(131)/85-SS-II]

का. आ. 1592.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेक इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 117, रेसकोर्स रोड, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/132/85-एस०एस० 2]

S.O. 1592.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mak Engineering Corporation, 117, Race Course Road, Coimbatore-641018, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(132)/85-SS-II]

का.आ 1893—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री चानाबासावेश्वर राईस मिल्स, मिधानूर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटिका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/133/85/एस. एस-2]

S.O. 1593.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Channabasaveshwar Rice Mills, Sindhanur, Raichur District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(133)/85 SS-II]

का.आ. 1594—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तारातरीनी आटो इंजीनियरिंग वर्क्स एट/पोस्ट आफिस, बेरहामपुर, डिस्ट्रिक्ट गजम, उडीसा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध स्थापन उक्त को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती हैं।

[सं. एस-35019/134/85-एसएस-2]

S.O. 1594.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Taratarini Auto Engineering Works, At/P.O. Berhampur District Ganjam, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(134)/85-SS-II]

का.आ. 1595 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. दी इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, नं. 56, कोरल मर्चेंट्स स्ट्रीट, मद्रास-600001 तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/136/85/एस.एस.-2]

S.O. 1595.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Investment and Commercial Corporation Private Limited, No. 56, Coral Merchant Street, Madras-600001, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions, Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(136)/85-SS-II]

का. आ 1596:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. भगीरथा इलैक्ट्रीकल्स एंड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कालामासेरी, अलवाए-683104, कन्यानूर तालुक, एरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35019/137/85-एस एस-2]

S.O. 1596.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhageeratha Electricals and Structurals Private Limited, Kalamassery, Alwaye-683104, Kanayannur Taluk, Ernakulam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(137)/85-SS-II]

का.आ. 1597 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै ऐक्सल ट्रांसमिशन प्रोडेक्ट कम्पनी, सेड न. 50, ए/1, फेज-3 जी. आई. डी. सी. वत्वा, अहमदाबाद (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/138/85/एस. एस. 2]

S.O. 1597.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Excel Transmission Product Company, Shed No. 501, A/1, Phase-III, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad 45, Gujarat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(138)/85-SS-II]

का. आ. 8951:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. देवा सीता ट्रेडर्स, 98/1, साउथ अवानीमुला स्ट्रीट, मदुराई-625001, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/139/85/एस. एस.-2]

S.O. 1598.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Deva Sita Traders, 98/1, South Avanimoola Street, Madurai-625001, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(139)/85-SS-II]

का. आ. 1599:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अनुज इंटर प्राइजिज ए/2, 114/2, जी. आई. डी. सी. इस्टेट फेज-2 वतवा-1 रोड, अहमदाबाद, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/140/85/एस. एस.-2]

S.O. 1599.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anuj Enterprises, A/2, 114/2, G.I.D.C. Estate, Phase-II, Vatva I Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(140)/85-SS-II]

का. आ. 1600:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सोनामुथु रोडवेज, 10-ई/3, त्रिवेन्द्रम रोड, तिरुनेलवेली-627002, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/141/85/एस०एस०-2]

S.O. 1600.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sonamuthu Roadways, 10-E/3, Trivandrum Road, Tirunelveli-627002, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(141)/85-SS-II]

का. आ. 1601:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि एमको एलकान (इंडिया) लि. आनन्द सोजीत्रा रोड, वल्लभ विद्यानगर-20 गुजरात, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/142/85/एस. एस.-2]

S.O. 1601.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eimco Elecon (India) Limited, Anand, Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-20, Gujarat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(142)/85-SS-II]

का. आ. 1602:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि चूजे कम्बाइंस, 127, दसवां क्रोस, माल्लेश्वरम, बंगलौर-560003, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/143/85/एस. एस.-2]

S.O. 1602.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yuje Combines, 127, 10th Cross, Malleswaran, Bangalore-560003, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(143)/85-SS-II]

का. आ 1603 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. वेगई ऐग्रो कैमिकल्स, के-3 यूनिट, इंडस्ट्रियल, एस्टेट, थेनी, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/144/85-एस एस-2]

S.O. 1603.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vaigai Agro Chemicals, K3, Unit, Industrial Estate, Theni, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/144/85-SS-II]

का. आ 1604.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. दी सिंधानूर तालुक लैंड डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी लि., सिंधानूर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंधों अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/145/85-एस एस-2]

S.O. 1604.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Sindhanur Taluk Land Development Co-operative Society Limited, Sindhanur, Raichur District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/145/85-SS-II]

का. आ 1605 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि वीर फाईन आर्ट प्रैस-ए-8, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-64 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/146/85-एस एस-2]

S.O. 1605.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vir Fine Art Press, A-8, Maya Puri Industrial Area, New Delhi-64, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/146/85-SS-II]

का. आ 1606:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. पायो, 24, मुराय मोहल्ला, राज टाकीज कम्पाउंड, इन्दौर, म. प्र.; नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/147/85-एस एस-2]

S.O. 1606.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pio Tech 24, Murai Mohalla, Raj Talkies Compund, Indore, Madhya Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019/147/85-SS-II]

का. आ. 1607:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के पैरा 28-क के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि 31 मार्च, 1985 को कुटुम्ब पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों और उसके बाद के कुटुम्ब पेंशन भोगियों को अनुपूरक वृद्धियां नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर अप्रैल, 1985 के पहले दिन से दी जाएंगी।

(1) ऐसे पेंशन भोगी जो 100 रुपये प्रति मास तक पेंशन ले रहे थे।	60 रुपये प्रति माह की वृद्धि।
(2) ऐसे पेंशन भोगी जो 100 रुपये से अधिक और 200 रुपये प्रति माह तक पेंशन ले रहे थे।	75 रुपये प्रति माह की वृद्धि।
(3) ऐसे पेंशन भोगी जो 200 रुपये प्रति माह से अधिक पेंशन ले रहे थे।	90 रुपये प्रति माह की वृद्धि।

2. अनुपूरक वृद्धि की दरें ऐसी कुटुम्ब पेंशन से संबंधित होगा जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के पैरा 28 (1) के निबन्धनों के अनुसार संदेय होगी बशर्ते कि पेंशन की कुल राशि (जिसमें अनुपूरक वृद्धियां भी शामिल है) अन्तिम प्राप्त वेतन की राशि से किसी भी हालत में अधिक नहीं होगी।

3. उपरोक्त अनुपूरक वृद्धि पहले की अधिसूचना संख्या का. आ. 1351, ता. 16 फरवरी, 1983 का. आ. 1611, तारीख 5-3-1983 और का. आ. 2609, ता. 21-7-1984 द्वारा मंजूर की गई अनुपूरक वृद्धियों के अतिरिक्त होंगी।

4. जहां तक 31-3-1982 को पेंशन पाने वाले कुटुम्ब पेंशन भोगियों का संबंध है, उपरोक्त अनुपूरक वृद्धि भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1351, ता. 16-2-1983 द्वारा 1-4-1982 से बढ़ाई गई पेंशन के साथ संबंधित होगी।

[संख्या आर-11025/7/84-एस. एस-4]

S.O. 1607.—In pursuance of the paragraph 28A of the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the Central Government hereby directs that the Family Pensioners as on 31st March, 1985 and thereafter shall be granted supplementary additions at the rates specified below with effect from the 1st day of April, 1985:—

(i) Pensioners who were drawing pension upto Rs. 100/- per month.	An increase of Rs. 60/- per month.
(ii) Pensioners who were drawing pension above Rs. 100/- per month upto Rs. 200/- per month.	An increase of Rs. 75/- per month.
(iii) Pensioners who were drawing pension above Rs. 200/- per month.	An increase of Rs. 90/- per month.

2. The rate of supplementary additions will be related to the Family Pension as would be payable in terms of para 28(1) of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 subject to the condition that the total amount of pension (including supplementary additions) shall in no case, exceed the last pay drawn.

3. The above supplementary additions will be in addition to the supplementary additions sanctioned earlier vide S.O. 1351, dated 16-2-1983, S.O. 1611, dated 5-3-1983 and S.O. 2609 dated 21-7-1984.

4. In relation to the Family Pensioners as on 31-3-1982, the above supplementary increase will be related to the pension as increased w.e.f. 1-4-1982 vide notification of the Government in the Ministry of Labour and Rehabilitation, S.O. No. 1351, dated the 16th February, 1983.

[F.No. R-11025/7/84-SS-IV]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का. आ. 1608.—मैसर्स कलकत्ता मैडिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, 7/2, डायमंड हारबोर रोड, कलकत्ता-27 (पश्चिम बंगाल/150009) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)। धारा 17 की की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रामियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण

प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना-पटट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उस की बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रेतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदेय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों मे कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका हैं, अधीन नहीं रह जाने है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/80/85-एस एस-4]

New Delhi, the 2nd April, 1985

S.O. 1608.—Whereas Messrs Calcutta Medical Research Institute, 7/2, Diamond Harbour Road, Calcutta-27 (WB/15009), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estabilshment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employe, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the emp-

loyees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/80/85-SS-IV]

का. आ. 1609.—मैसर्स वेबेल टेलिकम्यूनिकेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 4 और 5 कैनाल वैस्ट रोड, कलकत्ता—700015 (डब्ल्यूबी/ 15705) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1782, तारीख 8 मई, 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 8 मई, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 7 मई, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय–समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, के लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व

अनुमोदन के बिना नही किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या उस स्कीम के, अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय मे किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा मे, उन मृत सदस्यो के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/44/80- भ.नि.II(एसएस-4)]

S O. 1609—Whereas Messrs Webel Telecommunication Industries Limited, 4 and 5, Canal West Road, Calcutta-700015 (WB/15705) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-sect on (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without mak ng any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notificat on of the Government of India in the late Ministry of Labour S O No 1722 dated the 8th May, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provision of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8th May, 1985 upto and inclusive of the 7th May, 1988.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to t me.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available unler the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects"

का. आ 1610—मैसर्स संधी ब्रीव्रेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, आगरा रोड, इंदौर-452001 (एम. पी./1550), मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा

गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2948 तारीख 21 अगस्त, 1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 21 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 20 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन, नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए; तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकम रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/57/82-भ. नि. (ii)एसएस-4]

S.O. 1610.—Whereas Messrs Sanghi Beverages Private Limited, Bombay-Agra Road, Indore-452001 (Madhya Pradesh), (MP/1550), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 2948 dated the 21-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21st August, 1985 upto and inclusive of the 20th August, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premiums etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No.S. 35014/57/82-PF.II(SS.IV)]

का०आ० 1611.—मैसर्स एच०एम०एम० लिमिटेड, दोवलई-स्वरम पूर्वी गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश (ए०पी०/4322) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2725 तारीख 4 अगस्त, 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 4 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जिसमें 3 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में, नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/61/82-भ०नि०-II-एसएस 4]

S.O. 1611.—Whereas Messrs H.M.M. Limited, Dowlaiswaram, East Godawari District, Andhra Pradesh, (AP/4322), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 2725 dated the 4th August, 1982 and subject to the conditions specied in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4th August, 1985 upto and inclusive of the 3rd August, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premiums etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/61/82-PF-II/SS-IV]

का०आ० 1612—मैसर्स संधी ब्रदर्स (इंदौर) लिमिटेड, 6, मनोरमागंज, इंदौर-452001 (मध्य प्रदेश) (एम पी/249) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3232 तारीख 11-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 10-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 9 सितम्बर, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश, को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये; तब उस संशोधन की प्रति यथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/18/82-भ०नि०-II(एस एस-4)]

S.O. 1612.—Whereas Messrs Sanghi Brothers (Indore) Limited, 6, Manoramaganj, Indore (Madhya Pradesh) (MP/249), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 3232 dated the 11th September, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 10th September, 1985 upto and inclusive of the 9th September, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such reutrns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits aavilable to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/18/82-PF.II(SS.IV)]

का. आ. 1613.—मैसर्स राजपुताना मोटर्स 6 मनोरमागंज इंदौर-2152001 मध्य प्रदेश (एमपी/590) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3031 तारीख 28 अगस्त, 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 28 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार पर समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कार्यवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियो या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या 35014/9/82-भ.नि. II(एस.एस.-4)]

S.O. 1613.—Whereas Messrs Rajputana Motors, 6, Manoramaganj, Indore, Madhya Pradesh (MP/590), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 3031 dated the 28th August, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the emplover shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/9/82-PF-II(SS.IV)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th April, 1985

S.O. 1614.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, No. S.O. 3518 dated 16th October, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd November, 1984, in line 6 for "Circular Road" read "Circular Road, Calcutta-19".

[No. S-35017(67)/84-PF.II]

का.आ. 1615 —केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (क) के अनुसरण में श्री एच.एम.एस. भटनागर सचिव, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की श्री बी. जी. देशमुख के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1820—

दिनांक 22 मार्च, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री एच. एम. एस. भटनागर,
सचिव, भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।"

[संख्या यू-16012/7/84-एच.आई.]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 1615.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (a) of Section 8 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri H.M.S. Bhatnagar, Secretary to the Government of India, Ministry of Labour as the Chairman of Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri B. G. Deshmukh;

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Rehabilitation S.O. No. 1820, dated the 22nd March, 1983 namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (a) of Section 8)" for the entry against Serial number 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri H.M.S. Bhatnagar,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
New Delhi."

[No. U-16012/7/84-HI]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

का. आ. 1616.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की बरोरा कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 28th March, 1985

S.O. 1616.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Barora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which received by the Central Government on the 21st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 7 of 1983.

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Barora Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri B. K. Ghose, Member, Executive Committee, Janta Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 18th March, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(242)/82-D.III(A), dated, 28th January, 1983.

SCHEDULE

"Whether demand of Secretary, Janta Mazdoor Sangh, Jharia (Dhanbad) for regularisation of Shri Haradhan Banerjee as Electrical Supervisor grade 'A' by the management of Barora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited is justified ? If so, to what relief is the workman entitled ?".

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Haradhan Banerjee has been working as Electrical Supervisor at Barora Colliery and is getting difference of wages between technical and supervisory grade-C and technical and supervisory grade-A with effect from 18-1-81. The concerned workman has continuously worked against a permanent vacancy for more than one year and as such he is entitled to be regularised in Technical and Supervisory Grade-A and his designation may accordingly be changed with effect from 18-1-81.

The case of the management is that the present dispute has been raised due to certain confusion by the workmen. The post of Electrical Supervisor do not now exist under the Wage Board Recommendation after the changing pattern developed in the Coal Mines. The persons holding Electrical Supervisor's certificates were called Electrical Supervisors. Prior to the implementation of the Wage Board Recommendation the top most post of Electrical department was held by an Electrical Supervisor and as such the posts used to be designated as the post of Electrical Supervisor. The Electrical Supervisors used to be appointed as Engineer of Coal Mines prior to the coming into force of the Coal Mines Regulation 1957. After the introduction of various types of machines in Coal Mines the Coal Mines Regulation stipulated appointment of persons holding degree or diploma in Electrical as Engineers of the Coal Mines. After the nationalisation the management introduced several machines in Coal Mines and appointed Senior Engineers, Colliery Engineers and Junior Engineers as, Asstt. Engineers. Similarly Junior Electrical Supervisors are appointed as Asstt. Foreman (Electrical) in Grade-C Semi senior Electrical Supervisors are promoted to the post of Foreman (Electrical) in Grade-B and Senior Electrical Supervisors are promoted as Foreman Incharge in Grade-A. No person is appointed as Engineer of the Coal Mines after passing Electrical or mechanical engineering degree although there is no statutory bar and no person is appointed as Foreman Incharge (Electrical) after passing Electrical Supervisory certificate without having experience on the post and giving satisfactory performance

and thereafter promotion is accordingly made according to the cadre scheme. The concerned workman is a Junior Electrical Supervisor and does not possess sufficient experience to be appointed as Foreman Electrical. He has been appointed as Assistant Foreman (Electrical), and he has been placed in Grade-C. He had on some occasions worked as Foreman and was paid the extra allowance for acting on higher posts. He has not yet been promoted to Grade-B and as such his claim for promotion to Grade-A is without any justification. The demand of the workmen is unjustified and the concerned workman is not entitled to any relief.

The only point for determination in this case is whether the concerned workman is entitled to be regularised as Electrical Supervisor Grade-A.

The workman has examined himself as WW-1. The management has examined two witnesses, one is a Senior Personnel Officer of Barora Area and the other is Executive Engineer in the Barora Colliery. The workman has exhibited two documents Ext. W-1 and W-2 and the management has exhibited one document viz. Promotion policy for E&M non-executive cadre in BCCL and the same is marked Ext. M-1.

The concerned workman claims regularisation as Electrical Supervisor in Technical and Supervisory Grade-A on the basis of the Office order Ext. W-1 dated 18-1-81. It will appear from this office order that the concerned workman who was working as an Asstt. Foreman of Technical Grade-C was authorised to work as Electrical Supervisor Technical Grade-A and he was to be paid the difference of wages of Technical and Supervisory Grade-A with effect from 18-1-81. This Office order Ext. W-1 is only an authorisation given to the concerned workman to work as Electrical Supervisor Technical Grade-A and is not an appointment or promotion in Electrical Supervisor Technical Grade-A. The workman WW-1 has stated in his cross-examination that in Wage Board Recommendation there are posts of Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge. He does not know if the rules of BCCL provide that a workman from Asstt. Foreman is to be promoted as Foreman and thereafter Foreman is to be promoted as Foreman Incharge. It will also appear from his evidence that Shri R. C. Roy Foreman Incharge is in Grade-A. He has stated that in May, 1979 he was promoted in Grade-C from the post of Electrician Cat. V. In his further cross-examination he has stated that before March or April, 1983 he was getting the difference of wages between Grade A&C. But thereafter he was not getting the difference of wages. He has also stated that an Electrician is promoted to Grade-C as Asstt. Foreman after obtaining Electrical Supervisory Certificate. He has stated that Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge perform the duties under the Electrical Rules and that Foreman Incharge is the head of the Electrical department and controls all the employees of the department. Ext. M-1 is the Promotion policy or E&M non executive cadres in BCCL. It provides that in accordance with the promotion policy the General Manager of the Area concerned is the cadre controlling authority for the post up to cat. VI and technical Supervisory Grade-C and that the Chief Engineer E&M is the cadre controlling authority for the post of Technical and Supervisory Grade B&A. It also provides that the promotion will be made on the basis of the approved staffing pattern for the colliery to be finalised in the manner laid down in Clause VI of the cadre scheme. MW-2 is the Executive Engineer of Barora Colliery. He has stated that the promotion of Electrical personnel is done according to the promotional scheme of the cadre. He has stated that a person holding electrical supervisory certificate is first appointed as Asstt. Foreman Electrical and, thereafter he is promoted as Foreman. It wil also appear from his evidence that Shri R. C. Roy is Electrical Foreman Incharge in respect of workshop of all other surface installation and that Shri K. C. Paul was the Foreman Incharge in respect of all the underground and the concerned workman is working under Shri K. C. Paul. He has further stated that the duties prescribed under the Electricity Rules and Act are performed by the Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge who hold the electrical supervisor certificate but their responsibility varies according to the posts held by them and the persons holding higher posts have higher responsibilities in respect of breakdown. MW-1 Shri M. K. Singh is the Senior Personnel Officer working in Barora Area. According to his evidence it will appear that there are posts of Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge in each colliery and that the Foreman and the Asstt. Foreman work under the Foreman Incharge of the colliery. He has stated that Foreman Incharge is in Grade-A, Foreman in Grade-B and Asstt. Foreman in Grade-C. He has stated that since February, 1978 the promotion of electrical and mechanical persons are governed by the promotion scheme Ext. M-1. He has also stated that, there is no post of Electrical Supervisor in any colliery after the implementation of the Wage Board Recommendation. Thus on perusal of Ext. M-1 and the evidence of MW-1 and MW-2 it will appear that there is a promotion scheme of the management according to which the promotion is made and that the Asstt. Foreman is promoted to the post of Foreman and Foreman is promoted to the post of Foreman Incharge on fulfilling the conditions of promotion laid down under the promotion scheme. From the evidence of WW-1 also it appears that the Asstt. Foreman is in Grade-C, a foreman is in Grade-B and that a Foreman Incharge is in Grade-A. Thus according to the promotion scheme an Asstt. Foreman cannot directly be promoted to the post of Foreman Incharge in Grade-A and that an Asstt. Foreman can be first promoted to the post of Foreman under Grade-B and only thereafter promotion can be made in Grade-A. Admittedly the concerned workman is in Grade-C and according to the promotion scheme and the evidence in the case the concerned workman who is in Grade-C may be promoted as Foreman in Grade-B and he cannot jump promotion as Foreman Incharge in Grade-A. The order of authorisation Ext. W-1 appears to be only an authorisation given to the concerned workman to work in Technical Grade-A when required and it cannot be said that he was promoted to Grade-A as is being claimed by the concerned workman. At page 79 in Chapter-8 of the Wage Board Recommendation Volume I the wage structure of engineering department is stated. It will appear from this that those who are designated as Electrical Supervisor, Electrical Chief Foreman, Electrical Senior Foreman and Electrical Foreman Incharge before the implementation of the Wage Board Recommendation were designated as Foreman Incharge Technical in Grade-A. It will further appear that Asstt Foreman Electrical, Asstt. Electrician were designated as Asstt Foreman Electrical in Grade-C and that head Electrical Foreman, Electrical Foreman and Electrical Chargeman were designated as Electrical Foreman Grade-B The Wage Board Recommendation also shows that Asstt Foreman Electrical, Foreman Electrical and Foreman Incharge Electrical were the 3 posts under the electrical department and that Grade-B was senior to Grade-C and Grade-A was senior to Grade-B.

As the concerned workman was in Asstt Foreman in Grade-C he could not be promoted to Grade-A and as such the demand of the workman does not appear to be justified. Moreover the promotion from Grade-C to Grade-B has to be made in accordance with the promotion scheme and unless the concerned workman fulfills all the conditions of promotion to Grade-B he cannot be promoted by the Tribunal. MW-2 has clearly stated that the concerned workman who is presently working as Asstt. Foreman will be duly considered for promotion according to the promotion scheme when vacancy will arise. WW-1 has stated that he has been promoted in Grade-C from Electrician Cat. V only in May, 1979 and as such it is very optimistic on the part of the concerned workman to get Grade-A in such a short period and such demand was against the promotion scheme.

Taking all the facts evidence and circumstances of the case into consideration, I hold that the demand of the Secretary, Janta Mazdoor Sangh, Jharia (Dhanbad) for regularisation of the concerned workman Shri Haradhan Banerjee as Electrical Supervisor Grade-A by the BCCL is not justified and as such the concerned workman is entitled to no relief.

This is my Award.

T. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-22012(242)/82-D. II (A)]

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1985

का. आ. 1617—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,

केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की तेतुलमारी कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-3-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 1st April, 1985

S.O. 1617.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tetulmari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1985.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 94 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Tetulmari Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 20th March, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(317)/84-D.III(A), dated 20-12-1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Tetulmari Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, P. O. Sijua, Distt. Dhanbad in stopping Shri Kishun Prasad Turi from work as Bonus Clerk/Provident Fund Clerk with effect from 10-6-1983 is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Kishun Prasad Turi was appointed on 25-12-82 under the Land Acquisition Scheme as Miner/loader but actually he was deployed to work as Provident Fund/Bonus Clerk from the very day of his joining as per understanding between the management and the concerned workman. The concerned workman is an educated young boy and the management had given him an understanding to deploy him in clerical job keeping in view his educational qualifications. In perusance of the said understanding given by the management the concerned workman and his father had agreed to give his land to the management of M/s. B.C.C. Ltd. The concerned workman had been working as Bonus P. F. Clerk continuously to the satisfaction of the management since the date of his appointment. As soon as the concerned workman registered his land in the name of M/s. B.C.C. Ltd., the management started planning to remove him from service and the management stopped him from working as Bonus-cum-P.F. Clerk vide letter dated 25/26-5-83. The action of the management in stopping the concerned workman from working as Bonus-cum-P.F. Clerk was a breach of understanding and cheating of the local villagers. No reason was assigned by the management while stopping the concerned workman as Bonus-cum-P.F. Clyerk. The concerned workman represented before the management several times for allowing him to work as Bonus-cum-P.F. Clerk but with no effect. The union raised industrial dispute before the ALC(C) for conciliation but the same ended in failure and thereafter this case has been referred by the Government of India. According to the workmen the action of the management in stopping the concerned workman from working as Bonus-cum-P.F. Clerk was illegal, arbitrary and unjustified and against the principles of natural justice. The management had not given any notice under Section 9A of the I.D. Act. It is submitted that the management be directed to allow the concerned workman to work as Bonus-cum-P.F. Clerk with all consequential benefits after regularising him in the job.

The case of the management is that the concerned workman Shri Kishun Prasad Turi was appointed under the Land Acquisition scheme initiated by M/s. B.C.C. Ltd as temporary Miner/loader at Tetulmary colliery in group VA on an initial pay of Rs 18.50 p. per day as per terms and conditions of service laid down in the appointment letter dated 3/4-11-82 on piece rate basis. The concerned workman joined on 25-11-82. Under the Land Acquisition Scheme the appointments are to be made on piece rate basis and not on time rate basis. The father of the concerned workman registered two Sale deeds in respect of 2.44 acres of land in Mouza Nagtikalam Mouza. Originally the father of the concerned workman had agreed to sell four acres of land and as such the management of M/s B.C.C. Ltd. agreed to employ two of his nominees namely the concerned workman and Shri Kasinath Turi and they were actually allowed to work. On a scrutiny it was found that the father of the concerned workman had only 2.44 acres of land and therefore the management refused to allow the two nominees to work and their work was stopped. Subsequently it was agreed that only the concerned workman will under the Land Acquisition scheme for 2.44 acres of land sold. The concerned workman was allowed to join his service as Miner/loader in Tetulmary colliery with immediate effect vide letter dated 15-12-83.

The concerned workman was a student at the time of his first appointment and therefore keeping in view his future carrier he was allowed to work on his request as Clerk in the Bonus and P.F. Section temporarily till completion of his examination against temporary vacancy caused by leave/sick of permanent employees although as per Land Acquisition scheme any person selling land or his nominee is appointed as piece rated Miner/loader in Group VA. The concerned workman was never appointed as time rated worker or to work as Bonus/P.F. Clerk. He had hardly worked for a period of 6 months as Bonus-cum-P.F. Clerk. As the concerned workman had not been employed on time rated basis, he was stopped from work as Bonus-cum-P.F. Clerk with effect from 10-6-83. Since 15-12-83 the concerned workman has been allowed to work as Miner/loader in Group VA. It is denied by the management that the concerned workman was given an understanding that he would be deployed permanently in clerical job. There was never an agreement between the vendor of the land and the management that the concerned workman would be offered time rated clerical job. The management was fully justified in appointing the concerned workman and allowing him to work as Miner/loader as per terms of his appointment. No notice under Section 9A of the I.D. Act was necessary as the concerned workman had been appointed on piece rated basis as Miner/loader and that he was allowed to work only temporarily as Bonus-cum-P.F. Clerk for the purpose of his studies. On the above facts it has been submitted on behalf of the management that the concerned workman is not entitled to any relief.

The point for consideration in this case is whether the action of the management was justified in stopping the concerned workman from work as Bonus-cum-P.F. Clerk with effect from 10-6-83.

The management examined three witnesses in support of his case and the workmen examined the concerned workman in support of the case. The management has further exhibited documents which have been marked Ext. M-1 to M-13. The workman also have exhibited documents which have been marked Ext. W-1 to W-3.

Some facts are admitted by the parties. It is admitted case of the parties that the concerned workman was appointed under the Land Acquisition scheme as Loader/Miner in Tetulmari Colliery in Cat. VA on initial pay of Rs. 18.50 P. per day on piece rated basis vide letter of appointment Ext. M-3 dated 3-11-82. It is also admitted by the management that the concerned workman was working as P.F.-cum-Bonus Clerk since the date of his appointment till his work was stopped on 10-6-83. It will also appear that the Kuldip Turi father of the concerned workman and others had executed two sales deeds dated 15-10-82 by which 2.44 acres of land were sold to B.C.C. Ltd. It was on the basis of the said sale of 2.44 acres of land to M/s. B.C.C. Ltd. that the concerned workman was given employment under the Land Acquisition scheme. WW-1 is the concerned workman Shri Kishun Prasad Turi He has stated that he was appointed as Miner/loader under the land acquisition scheme vide appointment letter Ext. M-3. Ext. M-3 dated 3-11-82 shows that the concerned workman was appointed as Miner/loader at Tetulmary colliery in Cat. VA on piece rate basis on initial basic pay of Rs. 18.50 P. per day. This according to the appointment letter and evidence of the concerned workman itself it will appear that the concerned workman was appointed as Miner/loader under the Land Acquisition Scheme. The land acquisition scheme is Ext. M-12 in the case. It will appear from this circular that employment was to be offered to those whose lands were acquired by M/s. B.C.C. Ltd. It was provided that one person for sale of every two acres of paddy land and three acres of other lands would get employment and that the appointment shall be on piece rate basis and the persons selected for appointment will be appointed as Miner/Hammer and underground labourers. Thus according to the circular Ext. M-12 a person under the land acquisition scheme was given employment on sale of two acres of paddy land and three acres of non-paddy land as Miner/Hammers on piece rated basis. Of course the conditions given under the circular are only guidelines but as stated by the management's witnesses the appointment in the land acquisition scheme were made in accordance with the conditions as laid down in the circular Ext. M-12. It is therefore apparent that the concerned workman was appointed as Miner/loader on piece rated basis under the Land Acquisition scheme.

It is also admitted that the concerned workman although appointed as Miner/loader under the land acquisitions scheme was working as P.F.-cum-Bonus Clerk since the date of his joining. The case of the management is that the concerned workman was deployed to work temporarily as P.F.-cum-Bonus Clerk on the request of the concerned workman as he was prosecuting his studies. The case of the concerned workman is that he was permanently working as P.F.-cum-Bonus Clerk and it is denied by him that he was temporarily engaged to work as P.F.-cum-Bonus Clerk. The case of the concerned workman is that he was permanently engaged to work as P.F.-cum-Bonus Clerk against the natute of his appointment vide Ext. M-3. Admittedly, the concerned workman has no paper with him to show that he was permanently working as P.F.-cum-Bonus Clerk. Of course the management has also not produced any paper to show that the concerned workman was temporarily deployed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk on his own representation for prosecuting his studies. As the concerned workman is claiming against the terms of his appointment it is for the concerned workman to establish that he was permanently employed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk. MW-2 Shri Ranjit Kumar Sinha, Senior Administrative Officer in Sijua Area has stated that the concerned workman had requested that he is a student and as such he may be given temporarily job of P.F.-cum-Bonus Clerk and accordingly the concerned workman was temporarily given the job of P.F.-cum-Bonus Clerk. He has further stated that the concerned workman told that his examination was finished and he was asked to work as Miner/loader and presently the concerned workman is working as Miner/loader. He has also given reason as to why no notice under Section 9A of the I.D. Act was given to the concerned workman when his work of P.F.-cum-Bonus Clerk was stopped and was asked to work as Miner/loader. He has stated that as the concerned workman was temporarily given the job of P.F.-cum-Bonus Clerk no notice was given to the concerned workman when he was asked to work to his original post of employment. In his cross-examination he had denied that the concerned workman was employed in a permanent vacancy of P.F.-cum-Bonus Clerk. MW-3 is the Dy. Personnel Manager. He has stated that the appointment of the concerned workman was made in accordance with the circular Ext. M-12 and that under the said scheme no one can be employed in clerical grade. He has further stated that the concerned workman had requested that he was a student and was to appear in examination and as such some other job may be given to him and thereafter he was allowed to work temporarily as P.F.-cum-Bonus Clerk. Thus the decision of the fact that the concerned workman was allowed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk depends on the oral evidence. The oral evidence of the concerned workman cannot be accepted in view of the letter of his appointment Ext. M-3 and the evidence adduced on behalf of the management which appears to be more convincing.

One may have some sympathy for the concerned workman in seeing him appointed as P.F.-cum-Bonus Clerk in view of the fact that he had already worked for about 7 months as P.F.-cum-Bonus Clerk since the date of his joining but the whole question is whether the said sympathy can be allowed to over power the admitted terms and conditions of appointment of the concerned workman. Ext. M-9 dated 25/26-5-83 is the letter for stopping the work of the concerned workman. It will appear from this letter that the concerned workman along with Kashinath Turi were employed as Miner/loader against purchase of lands pending approval of the headquarters and it was observed by the Director (GRP) that it was not possible to grant two employments for 2.44 acres of land and as such they should be stopped immediately from their employment until further orders. Thus from this letter it will appear that the concerned workman along with Kashinath Turi were stopped from work as two persons could not be employed under the Land Acquisition for the sale of 2.44 acres of land. It will, therefore appear that reason has been assigned as to why work of the concerned workman along with another was stopped and it cannot be said that there was no reason of the stoppage of the work of the concerned workman. It will further appear from Ext. M-5 dated 15-12-83 which is a letter from the Senior Administrative Officer to the Dy. C.M.E., Telulmari colliery referring to the stoppage of work of the concerned workman vide letter dated 25/26-5-83 and it further states that the party has now drawn the consideration of the money of the land and given consent in writing to accept one employment against the land and as such Shri Kishun Prasad Turi be allowed to join his services as Miner/loader. The workmen have referred to the note of Shri M. K. Singh, Senior Personnel Officer which is Ext. W-1 in the case. The note Ext. W-1 is dated 20-12-83. After the concerned workman was allowed to work as Miner/loader from 15-12-83, the note states that the concerned workman was working as P.F. and Bonus Clerk from 25-12-82 to 11-6-83 and he was stopped for some land dispute and has been allowed to work from 15-12-83. The note further states that the work of the concerned workman was very satisfactory and he should be given chance to work as Clerk. It appears therefore that the concerned workman was satisfactorily working as P.F.-cum-Bonus Clerk but this Tribunal cannot force the management to regularise him in the said post as he was acually appointed as Miner/loader on piece rate basis under the Land Acquisition scheme. It is up to the management to consider if the concerned workman can be usefully employed in any job other than miner/loader. I have already discussed the evidence to show that there is no reliable evidence to indicate that the concerned workman was employed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk permanently against the terms of his employment and as such it is not possible for this Tribunal to direct the management to regularise the concerned workman as P.F.-cum-Bonus Clerk.

Taking the entire facts evidence and circumstances of the case into consideration I hold that the action of the management of Tetulmari Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. for stopping Shri Kishun Prasad Turi from work as Bonus Clerk/P.F. Clerk with effect from 10-6-83 is justified and as such

the concerned workman is entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012(317)|84-D.III(A)]
A. V. S. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

का.आ.1618.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप-नियम 2 के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उड़ीसा राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्रम और रोजगार मंत्री, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	—अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त प्लाट नं. 33, अशोक नगर भुवनेश्वर	—उपाध्यक्ष पदेन
3. श्रमायुक्त, उड़ीसा	—सदस्य
4. श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे विधान सभा सदस्य, झारसुगुदा	—सदस्य पदेन
5. श्री एम के शाह, बीड़ी सप्लाई कम्पनी खतराजपुर, संभलपुर	नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री जगबंधु साहु, पाल्ली बीडी निर्माता मुकाम और डाकघर ब्रह्म बडौदा जिला कटक	
7. श्री अरुण डे, प्रेजीडेन्ट, बालासौर बीड़ी श्रमिक संघ बालासौर	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री बिपिन बिहारी पटनायक, प्रेजीडेन्ट, त्रिनाथ बीड़ी श्रमिक संघ, मुकाम और डाकघर चोलापुर बाबा आथागढ़, जिला कटक	
9. श्रीमती सरस्वती प्रधान, अध्यक्षा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उड़ीसा भुवनेश्वर	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण प्रशासक, भुवनेश्वर	सचिव

2. उक्त नियमों के नियम 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार भुवनेश्वर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है।

[यू. 19012/3/84-कल्याण-2]
रविदत्त मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1985.

S O. 1618.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 1976) read with sub-rule 2 of rule 3 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Orissa consisting of the following members, namely:—

1. Minister for Labour and Employment Government of Orissa, Bhubaneswar.	—Chairman
2. Welfare Commissioner, Plot No. 33, Ashok Nagar, Bhubaneswar.	—Vice-Chairman (Ex-Officio)
3. Labour Commissioner, Orissa.	Member-Ex-Officio
4. Shri Birendra Kumar Pandey, M.L.A., Jharsuguda.	—Member Ex-Officio
5. Shri M.K. Shah, Beedi Supply Company, Khatrajpur, Sambalpur.	Employers' representatives
6. Shri Jagabandhu Sahu, Palli Beedi Nirmata, At/P.O. Brahma Baroda, District : Cuttack.	
7. Shri Arun Dey, President, Balasore Beedi Sramik Sangha Balasore.	Employees' representatives
8. Shri Bipin Behari Patnaik, President, Trinath Beedi Sramik Sangha, At /P.O. Gholapur, Via Athagarh, District : Cuttack.	
9. Smt. Saraswati Pradhan, Chairman, State Social Welfare Advisory Board, Orissa, Bhubaneswar.	Women representatives
10. Welfare Administrator Bhubaneswar.	—Secretary

2. Under rule 16 of the said rules, the Central Government hereby fixes Bhubaneswar to be the headquarter of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/3/84-W-II]
R.D. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1985

का. आ. 1619.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 458, दिनांक 28 जनवरी, 1984 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी०सी० वर्मा को उन सभी क्षेत्रों के लिए जिस पर उक्त अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल, 1985 से मुख्य खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या ए-32012/3/84-एम I]
एल०के० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 1st April, 1985

S.O. 1619.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) S.O. No. 458, dated 28th January 1984, the Central Government hereby appoints Shri V. C. Varma to be the Chief Inspector of Mines with effect from the 1st April 1985 for all the territories to which the said such extends.

[No. A-32012/3/84-MII]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1985

का. आ. 1620.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण, में, केन्द्रीय सरकार, लाइफ इनश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया, डिवीजनल आफिस, नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 1st April, 1985

S.O. 1620.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of L.I.C. of India, Divisional Office, Nagpur and their workmen which was received by the Central Government on the 21st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Dr. Justice R. D. Tulpule Esqr.,
Presiding Officer.

Reference No. CGIT-16 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to Life Insurance Corporation, Nagpur.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. P. R. Rai Advocate.

For the Workmen.—Mr. B. N. Kohale the workman.

INDUSTRY : Insurance STAE : Maharashtra.

Nagpur, the 13th day of February, 1985

AWARD

This is a reference made to this Tribunal under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, referring the dispute agreed between the parties and award in the following para :—

"Whether the action by the management of Life Insurance Corporation of India in relation to their Divisional Office, Nagpur in terminating the service of Shri Bharat N. Kohale, Badli Chowkidar/Watchman watchman with effect from 27-5-1983 and not considering him for re-employment is justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

Parties to the reference are present in person. The employee is represented by the President of the Bharatiya Jeevan Bima Nigam Chaturtha Shreni Karmachari Sangh, Nagpur. The employee himself is also present. The parties to the reference have arrived at a settlement. The terms of it, they have reduced to writing and produced before me. The terms have been explained to the workman in my presence, who understood them and were also understood by the union representative, representing him. I am satisfied that the settlement is bonafide and Genuine and is also in order. In the circumstances, I accept the settlement and direct award in terms of settlement which are as under :—

(i) That Bharat N. Kohale, workman concerned will be empanelled in the panel of watchmen for Nagpur Divisional Office of Life Insurance Corporation of India constituted on 10-9-1984, a copy of which is annexed to the compromise petition of 13-2-1985.

(ii) That Bharat N. Kohale, workman concerned agrees to appear before the interview committee which has selected the empanelled candidates mentioned above within 3 weeks from 13-2-1985 and further agrees to be placed in the said panel of ten candidates at a place recommended by the said Interview Committee. That Nagpur Divisional Office will communicate the date, time and place of interview to the concerned workmen Bharat Nanaji Kohale.

2. Award accordingly.

Sd/-
R. D. TULPULE, Presiding Officer
[No. L-17012(25)/83-D, IV(A)]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का.आ. 1621.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स चुनीलाल प्राणजीवनदास एन्ड कम्पनी बम्बई, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd April, 1985

S.O. 1621.—In pursuance of section 17 of the Indusrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Boombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Chunilal Pranjivandas & Co. Bombay, and their workmen which was received by the Central Government on the 1st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

PRESENT :

Dr. Jutice R. D. Tulpule Esqr.,

PARTIES :

Presiding Officer.

Reference No. CGIT-17 of 1984

M/s. Chunilal Prajivandas & Company.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. P. Ramaswamy, Advocate.

For the workmen.—Mr. S. R. Wagh, Advocate.

INDUSTRY : Prots & Docks STATE . Maharashtra.

Bombay, the 18th day of February, 1985

AWARD

This is a reference made to this Tribunal under Section 10-(2) of the Industrial Disputes Act, referring the following dispute agreed between the parties vide order No. L-31012/1/84-D. IV(A), dated 14th August, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Chunilal Pranjivandas & Company, Bombay in terminating the services of Shri Akshit R. Shah, Customs Clerk, w.e.f. 30-6-1983 is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

Heard the parties. During the course of hearing the parties arrived at a settlement which they produced. Workman Mr. Shah is present in person. I have questioned him. He stated that he fully understood the contents of the settlement and he also stated what the settlement arrived at is. As the settlement is found to be bonafide and acceptable to all concerned, I accept the settlement and direct an award in terms of the settlement.

Sd/-
R. D. TULPULE, Presiding Officer
[No. L-31012(1)/84-D. IV(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY SHRI R. D. TULPULE

Ref. No. CGIT. 17 of 1984

BETWEEN

M/s. Chunilal Prajivandas & Co.

AND

Their Workmen.

May It Please Your Honour :—

The parties abovenamed have reached a settlement of the dispute of reinstatement of Shri Akshit R. Shah and pray that an award in terms thereof may be made :—

The workman Shri Akshit R. Shah agrees to receive Rs. 15,000 (Rupees Fifteen thousand only) in full and final settlement of all his claims including the claim of reinstatement and as such there are no other claim against the employers M/s. Chunilal Prajvandas & Co.

The Respondent Employers M/s. Chunilal Prajivandas & Co. do hereby agree to pay the said Akshit R. Shah the sum of Rs. 15,000 in full and final settlement of all his claims against them including the claim of reinstatement.

There will be no order as to costs.

Dated this 18th day of February, 1985

For the workman. For the Employers

Advocate for the workman. Advocate for the Employer.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का. आ. 1622—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, वेस्टर्न रेलवे मैनेजमैंट, चर्चगेट, बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21 मार्च 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd April, 1985

S.O. 1622.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Churchgate, Bombay, and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

COMPLAINT NO. CGIT-4 OF 1984

(Arising out of Reference No. CGIT-7 of 1983)

PARTIES :

Manilal Gopal Sutli . . Complainant.

Versus

The General Manager,

Western Railway, Churchgate, Bombay . . Opponent.

APPEARANCES :

For the Complainant—Mr. Vaidya, Advocate.

For the Opponent—Mr. P. R. Pai, Advocate.

INDUSTRY : Railways. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 20th day of February, 1985

AWARD

This is a complaint filed by the complainant under Section 33-A of the I.D. Act, 1947.

2. The concerned complainant to this complaint has given in writing that he was only a substitute Khalashi and that his name was entered into roll as a substitute or Badli Khalashi, and that he was not in the regular employment/service of the Railways as such. He, therefore admitted that there could be no question of termination of his services and what was done was only to remove his name from the roll of substitute Khalashis. He says that he would be satisfied if his name is brought back on the roll of substitute Khalashis and given work as substitute Khalashi as before, whenever there is an occasion and also considered for the post of temporary Khalashi in future when a vacancy arises. In view of this statement, and in view of the Railways being willing to consider the applicant's request sympathetically on humanitarian grounds, the workmen concerned does not press his complaint as also the reference.

2. In the circumstances, I direct the Railways to bring the workmen concerned on the roll of substitute Khalashi as early as possible and consider his case also for appointment as temporary Khalashi in view of his long experience and work in Railways. The concerned workman has now stated in writing that he is willing to work on transfer at any place within the unit in which Surat and Udhna falls.

3. In view of this, the reference is disposed of and the complaint dismissed as not pressed.

R. D. TULPULE, Presiding Officer
[No. L-41025(2)/85-D II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का. आ. 1623—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार झारखन्ड एरिया आफ़ कोलफील्ड लिमिटैड के प्रबंधतंत्र से सम्बन्द्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे विवाचक श्री के. सनमुघवल (अवकाशप्राप्त) उपयुक्त श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26 मार्च 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd April, 1985

S.O. 1623.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Arbitration Award of Shri K. Shanmughevel, Dy. Chief Labour Commissioner (Central) (Retd.) (Arbitrator) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jhagrakhand Area of Western Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th March, 1985.

Award under Section 10 A of the Industrial Disputes Act 1947 in an Industrial Dispute between the Management of Jhagrakhand Colliery, Western Coalfields and some of their workmen employed in South Jhagrakhand Colliery, represented by M P Colliery Workers' Federation (INTUC), District Surguja (M P)

PRESENT

Shri K Shanmughavel,
Dy CLC (C) (Retd),
Consultant (Industrial Relations)
Neyveli Lignite Corpn Ltd
Neyveli (Tamilnadu)

PARTIES

Representing Employer	Management of Jhagrakhand Area, Western Coalfields Limited, P O Jhagrakhand Colliery, Distt Surguja (M P)
Representing workmen	M P Colliery Workers' Federation (INTUC), Jhagrakhand Area, Jhagrakhand Colliery, Distt Surguja (M P)

APPEARANCE

On behalf of Management	Shri H P Singh, Personnel Manager, Western Coalfields Ltd, Jhagrakhand Area
On behalf of workmen	Shri G P Sharma, General Secretary, M P Colliery workers Federation, Jhagrakhand Area
Specific matter in dispute referred to Arbitration	"Whether the jobs performed by S/Shri Mohan, Lakheshwar and Budhu, although designated as Tippler Khalasis, justifies their claim for upgradation to the post of Mechanical Fitter-cum-Tippler Khalasis ? If not, what relief they are entitled to ?

By an agreement under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947, the aforesaid parties referred the dispute cited above to my arbitration. A number of hearings were held and were adjourned on account of reasons mutually agreed upon and on account of unavoidable reasons The parties, however, by mutual consent had agreed to extend the date for issuance of the Award upto 31st March 1985 The final hearing/arguments were held on 19th January, 1985 and on 20th January, 1985 at Neyveli.

2 The statements and counter statements from the parties were received, evidence were adduced by them and final arguments were heard

3 On behalf of the workmen it was argued that the concerned workmen were permanent employees of South Jhagrakhand Colliery Originally they had been designated as Screening Plant Khalasis Later on they were given a combined designation as Screening Plant cum Tippler Khalasis and placed in Cat. III

4 Since then their work load, responsibility, etc had been increased on account of installation of 16 Bunkers and introduction of conveyor system for expediting Wagon loading by rotation of tubs In this regard the following motors had been installed —

(i) One motor of 50 HP for Belt Conveyor (Slack),

(ii) One motor of 50 HP for Belt Conveyor (Steam)

(iii) One motor of 10 HP for Chain Conveyor.

5 Consequent to the installation of the above motors the workmen had to perform additional work by operating them and by doing allied works in addition to their normal work assigned in the capacity of Screening Plant-cum Tippler Khalasis No Fitter is exclusively earmarked to attend to breakdown work during the shifts All minor repairs pertaining to the Belt Conveyor, Screening Plan and Conveyor Chain etc are being attended to by them According to the principles laid down by the Central Wage Board for Coal Mining Industry and the National Coal Wage Agreements, the following factors have to be taken into consideration while categorising a particular workman or group of workmen

(a) Degree of Skill,

(b) Strain of work

(c) Experience involved

(d) Training required

(e) Responsibility undertaken

(f) Mental or physical strain

(g) Disagreeableness of task

(h) Hazard of work

(i) Fatigue involved

6 There is no doubt that the workmen had been called upon to carry out a certain amount of additional work on account of installation of Bunker and introduction of Conveyor system Consequently the workmen had to shoulder a greater degree of skill strain of work responsibility, mental and physical strain, fatigue etc So they have to be correspondingly compensated and rewarded suitably The union further stated that similar category of workmen in Rajnagar Colliery of Jhagrakhand area are placed in Category V Finally the union pleaded that the concerned workmen shall be placed in Category VI and payment made accordingly

7 On the other hand the Management averred that the concerned workmen were operating only the Screening Plant regularly and attending the belt, at times, and as and when needed They are not at all operating the Tippler Creeper, Hoist, etc By the installation of motors which facilitates expeditious wagon loading the physical strain generally, faced by the Tippler Khalasis has been mitigated to a great extent Switching on the motors, which is the normal job of Tippler Khalasis does not involve more responsibility nor emanates fatigue and strain as argued by the Union Once the switch is made on no other manual operation is required till the process of coal handling is over Besides they are being centrally operated At the time of breakdown of the motors *regular fitters* are invariably called upon to attend to breakdown As such, no additional burden of work is devolved on the Screening Plant Tippler Khalasis So the Management argued that the concerned workmen have been rightly categorised and placed in Category III However, during the course of the hearing on behalf of the Management it was argued that even if it was admitted that the original three workers who were mentioned in the reference to Arbitration were given some extra job then they would be entitled for payment of wages to only one category higher than their existing category as per the recommendations of the Wage Board Regarding retrospective effect of the award it was said that the Management would abide by the spirit of the mutual agreement between the parties saying if the award goes in favour of the workmen then they would get the arrears from the date of installation of the Bunker/Conveyor The Management would stand by the commitment given

8 From the evidences available and from the tenor of the arguments placed before me I have no hesitation to state that the concerned workmen have to carry out extra burden of work since the installation of the Bunker/Conveyor But at the same time the burden of work had not been aug-

mented to the extent of categorising them under Category-VI is highly skilled as the strength of the Operators had been adequately augmented to man the additional machines. So the concerned workmen can not be upgraded to the post of Mechanical Fitter-cum-Tippler Khalasis.

9 The National Wage Board Agreements have opined that as and when changes in conditions of work occurred, the rates of wages have to be reviewed and revised within the frame work of the NCWA.

10. In view of the above, I award that the concerned workmen would be placed on Category-IV with effect from the date of installation of the Bunker/Conveyor.

11. With regard to the argument of the union that the award should bind other workmen who are now engaged, I have to state that I have to function within the terms of the reference.. According to the terms the names of Sarvashri Mohan, Fakheshwari and Budu only are the contestants. Hence I may not go beyond the terms of reference.

12. The union demanded award of cost. In the circumstances of the case and the manner in which the hearing was held, I do not find any justification to award cost.

Award dated 21st March, 1985.

K. SHANMUGHAVEL, Dy. CLC (C) (Retd.)
Consultant (Industrial Relations)
Neyveli Lignite Corporation Ltd.,
Neyveli (Tamilnadu)
AND
ARBITRATOR

[No. L-22013(7)/79-D.IV(B)/D V]
R. K. GUPTA, Desk Officer

New Delhi, the 12th April, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1624.—In para 15 of the Award of the Industrial Tribunal, Bangalore published under Notification No S.O. 1336 dated the 30th March, 1985 in Part II, Section 3, Sub-Section (II) of the Gazette of India dated the 31st March, 1985, for the words "rejecting the reference", read "accordingly".

[No. L-29011/59/79-D.III(B)]
M.L. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985